



मध्यप्रदेश में  
पंचायतों के तृतीय आम चुनाव  
2004-05

|||

प्रतिवेदन-वर्ष 2006

|||

मध्यप्रदेश  
राज्य निर्बोचन आयोग

## प्राक्कथन

नगरीय निकायों तथा पंचायतों को स्थानीय शासन की सक्षम एवं सशक्त ईकाइयाँ बनाने के उद्देश्य से संविधान में तिहतरवें तथा चौहत्तरवें संशोधन किये गये। इन ईकाइयों के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव निर्धारित समय पर कराने के लिये एक स्वतंत्र राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान इन संशोधनों में किया गया है। इस प्रावधान के अन्तर्गत मध्यप्रदेश में फरवरी, 1994 में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। गठन के तीन-चार माह के अंदर ही आयोग द्वारा पंचायतों के प्रथम आम चुनाव मई-जून, 1994 में करा लिये गये और उसके छः माह के अंदर ही नगरीय निकायों के चुनाव भी नवम्बर-दिसम्बर 1994 में पूर्ण करा लिये गये। तब से संविधान द्वारा निर्धारित अवधि अर्थात् पाँच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व नगरीय निकायों के चुनाव तो सम्पन्न कराये गए किन्तु पंचायत के द्वितीय आम चुनाव के समय कुछ व्यवधान उत्पन्न हुआ। ये चुनाव प्रारंभ तो समय पर हुए किन्तु न्यायालयीन स्थगन के कारण कुछ समय के लिये टल गये। स्थगन हटने के बाद प्रक्रिया पुनः प्रारंभ हुई और लगभग छः सात माह के विलम्ब से जनवरी-फरवरी, 2000 में सम्पन्न हुई। किन्तु तीसरे आम चुनाव निर्धारित समय के अंदर 22-12-2004 से प्रारम्भ कर 29-1-2005 को पूर्ण किये गये।

आयोग द्वारा 22,731 ग्राम पंचायतों के सरपंच तथा 3,60,954 पंचों, 313 जनपद पंचायतों के 6,811 सदस्यों एवं 48 जिला पंचायतों के 836 सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ की थी। किन्तु 133 सरपंच, 17,080 पंच एवं 3 जनपद पंचायत सदस्यों के पद विभिन्न कारणों जैसे-नाम निर्देशन पत्र दाखिल नहीं होने, सभी नाम निर्देशन पत्र खारिज हो जाने, न्यायालय द्वारा स्थगित किये जाने अथवा कुछ स्थानों पर मतदाताओं द्वारा मतदान का बहिष्कार किये जाने के कारण रिक्त रह गये।


विधि अथवा नियमों में चुनावों के संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा कोई प्रतिवेदन तैयार करने की अपेक्षा नहीं की गई है। किन्तु पूर्व परम्परा के अनुसार भावी संदर्भ हेतु एक विस्तृत प्रतिवेदन आयोग द्वारा तैयार किया गया है जिसमें सिलसिलेवार विभिन्न कार्यवाही का विवरण एवं सांख्यिकी जानकारी दी गई है।

पंचायतों के इतने बड़े और व्यापक निर्वाचन में निर्वाचन आयोग सहित जिला/तहसील स्तर तक के अधिकारियों/कर्मचारियों को रात-दिन कठिन परिश्रम करना पड़ा। मुझे यह कहते हुए अत्यन्त हर्ष है कि इन अधिकारियों/कर्मचारियों के इस कार्य को सफलतापूर्वक सम्पन्न करने में अपनी कुशलता, कार्यक्षमता एवं विश्वसनीयता प्रमाणित की है। मैं इनके कार्य की न केवल सराहना करता हूँ बल्कि मैं इनका आभार भी प्रकट करता हूँ।

मैं, राज्य सरकार, विभिन्न राजनैतिक दलों तथा अभ्यर्थियों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके विपुल सहयोग के बिना यह महायज्ञ संभव नहीं था।

भोपाल

जुलाई, 2006

  
( गोपाल शरण शुक्ल )  
राज्य निर्वाचन आयुक्त  
मध्यप्रदेश।

## आमुख

त्रिस्तरीय पंचायतों के नियमित एवं निरंतर चुनाव कराना राज्य निर्वाचन आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है। इसी जिम्मेदारी के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तीन आम निर्वाचन क्रमशः 1994, 1999-2000 एवं 2004-05 में संपन्न कराए हैं।

आम निर्वाचन कराना एक महत्वपूर्ण एवं व्यापक कार्य है। इस कारण इसकी तैयारी भी काफी पहले से करनी होती है। 2004-05 का आम निर्वाचन यद्यपि जनवरी 2005 में सम्पन्न हुआ तथापि इसकी तैयारी 2003 से ही प्रारंभ हो गई थी।

निर्वाचन का आधार ही मतदाता सूचियाँ होती हैं। मतदाता सूचियाँ जितनी साफ-सुधरी होगी निर्वाचन उतने ही निष्पक्ष होंगे। यह कार्य भी बहुत व्यापक होने से इसमें समय काफी अधिक लगता है। आयोग द्वारा मतदाता सूचियाँ पुनरीक्षित करने का कार्य जुलाई 2004 में प्रारंभ किया गया तथा अक्टूबर 2004 के अन्त तक इसे सम्पन्न कराया जा सका। मतदाता सूची को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से पहली बार प्रारूप मतदाता सूचियों का वाचन ग्राम सभाओं में किया जाकर वहाँ पर भी दावे/आपत्तियाँ प्राप्त की गईं।

स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन में जिला प्रशासन एवं जिले की शासकीय/पंचायत मशीनरी के साथ पुलिस बल की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उपलब्ध पुलिस बल की दृष्टि से आयोग द्वारा इस बार तीन चरणों में मतदान सम्पन्न कराया जबकि इसके पूर्व के आम निर्वाचनों में मतदान दो चरणों में सम्पन्न कराया गया था। सुरक्षा व्यवस्ता हेतु 1.22 लाख से अधिक पुलिस कर्मी, होमगार्ड्स, वनरक्षक, आबकारी सिपाही एवं कोटवार तैनात किये गये।

इस निर्वाचन में मतदाताओं की कुल संख्या 2.80 करोड़ थी जिसके लिये 60,603 मतदान केन्द्र स्थापित किये गये। गत आम निर्वाचन (1999-2000) यद्यपि अविभाजित मध्यप्रदेश के लिये कराए गए थे तथापि इस प्रदेश से संबंधित जिलों में कुल 2,51,85,670 मतदाताओं के लिये 54,047 मतदान केन्द्र स्थापित किये गये थे।

इस निर्वाचन में मतदान दल में 2.94 लाख से अधिक कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग किया गया। लगभग 20,000 अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाएं सारणीकरण कार्य में उपयोग में ली गई।

इस निर्वाचन में मतदान का औसत प्रतिशत 76.61 रहा। यह अभी तक का सर्वाधिक मतदान है तथा प्रदेश में प्रजातंत्र के प्रति लोगों की आस्था एवं जागरूकता का प्रतीक है।

इस निर्वाचन की एक सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि इस बार सार्वजनिक स्थान पर प्ररूपण के अधिक मामले दर्ज हुए परन्तु गंभीर अपराध बहुत कम दर्ज हुए। इतने बड़े निर्वाचन में हत्या का तो एक भी प्रकरण कायम नहीं हुआ।

इस निर्वाचन में कुल मिलाकर रु. 26,96,91,313/- \*व्यय होने की सूचना प्राप्त हुई है। गत आम निर्वाचन (1999-2000) जो कि अविभाजित मध्यप्रदेश के लिये कराए गए थे, में रु. 25,91,57,000/- व्यय हुए थे।

इस प्रतिवेदन को तैयार करने में आयोग के निर्वाचन शाखा के अधिकारियों/कर्मचारियों ने कड़ी मेहनत की है। मैं उनकी भी सराहना करता हूँ जिनके कड़ी मेहनत के फलस्वरूप छोटी-छोटी जानकारियों को संग्रहित/संकलित कर एक समग्र प्रतिवेदन तैयार किया जा सका।

( हीरालाल त्रिवेदी )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

---

(\*ये आंकड़े अंकेक्षण के पूर्व के हैं। अंकेक्षण के पश्चात् इसमें कुछ घट-बढ़ हो सकती है।)

### अनुक्रमणिका

अध्याय क्रमांक (1)	कंडिका क्रमांक (2)	संक्षिप्त विषय (3)	पृष्ठ क्रमांक (4)
<b>भाग-एक</b>			
1.		पृष्ठ भूमि, पंचायतों का गठन और निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण	1-4
2.		निर्वाचन आयोग तथा निर्वाचन तंत्र	5-7
3.		मतदाता सूची	8-13
	1.	मतदाता सूची तैयार करने संबंधी विधिक प्रावधानों का संक्षिप्त विवरण.	8
	2.	मतदाता सूची (ग्राम पंचायतवार) तैयार की जाना	8
	3.	मतदाता सूची कार्यक्रम	9-10
	4.	मतदाता सूचियों का मुद्रण	12-13
4.		मतपत्र एवं निर्वाचन प्रतीक	14-17
	1.	मतपत्र	14
	2.	निर्वाचन प्रतीक	14-15
	3.	मतपत्र मुद्रण	16-17
5.		मतदान केन्द्र	18-19
6.		निर्वाचन सामग्री	20-22
7.		निर्वाचन कार्यक्रम	23-26
8.		नाम निर्देशन एवं निर्विरोध निर्वाचन	27-31
	1.	नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति	27-29
	2.	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा	29
	3.	अध्यर्थिता वापसी	29-30
	4.	निर्विरोध निर्वाचन	30-31

(1)	(2)	(3)	(4)
9.	मतदान से पूर्व की व्यवस्था		32-42
1.	मतदान दलों का गठन एवं प्रशिक्षण		32-34
2.	क्षेत्रीय अधिकारियों (जोनल अधिकारियों) की नियुक्ति		34-35
3.	मतदान दलों की सामग्री के वितरण की व्यवस्था		35-36
4.	परिवहन व्यवस्था		36-37
5.	आदर्श आचरण संहिता		37-38
6.	सुरक्षा व्यवस्था		38-40
7.	शराब के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध		40
8.	शासकीय कार्यालयों एवं कारखानों में मतदान के दिन अवकाश		40
9.	जनसम्पर्क		40-41
10.	प्रेक्षकों की नियुक्ति		41-42
10.	मतदान		43-46
1.	आपराधिक प्रकरण		46
11.	मतों की गणना, सारणीकरण तथा परिणामों की घोषणा		47-50
1.	सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणामों की घोषणा		49-50
2.	सविरोध निर्वाचन का परिदृश्य		50
12.	विविध		51-54
1.	निर्वाचन के दौरान प्राप्त शिकायतें		51-53
2.	निर्वाचन हेतु मदवार व्यय		53
3.	आयोग के प्रकाशन		53-54
भाग-दो	परिशिष्ट एवं सांख्यिकी तालिकाएँ		57-152

## अध्याय 1

### पृष्ठभूमि, पंचायतों का गठन और निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण

पंचायतों को स्थानीय स्वशासन की सुदृढ़, कार्यक्षम और ऊर्जावान ईकाइयाँ बनाने के उद्देश्य से संविधान में तिहतरवें संशोधन के माध्यम से जो अनेक प्रावधान किए गये हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण प्रावधान (अनुच्छेद 243-ट), इनके नियमित और निरन्तर चुनावों के लिए राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करना है। इस प्रावधान के अन्तर्गत इस प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन फरवरी, 1994 में हुआ।

2. मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 में यह प्रावधान है कि ग्राम स्तर की पंचायत अर्थात् ग्राम पंचायत में सरपंच का स्थान भी प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरा जाए। इस प्रकार मध्यप्रदेश के संदर्भ में पंचायतों के निर्वाचन में 04 पदों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन सन्निहित है अर्थात् ग्राम पंचायत के सरपंच तथा पंच, मध्यवर्ती पंचायत जिसे कि मध्यप्रदेश में “जनपद पंचायत” कहा जाता है, के सदस्य तथा जिला पंचायत के सदस्य के लिए निर्वाचन।

3. संविधान के अनुच्छेद 243 घ के अनुसार प्रत्येक स्तर की ग्राम पंचायत में:—

- (i) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उस पंचायत क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित रहेंगे।
- (ii) प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई स्थान प्रत्येक वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित रखने का प्रावधान है।
- (iii) ग्राम या किसी अन्य स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों का पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित होंगे।
- (iv) यदि राज्य विधान मंडल चाहे तो पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में भी स्थानों के लिए आरक्षण किया जा सकेगा। मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 में यह उपबन्ध किया गया है कि यदि किसी पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कुल मिलाकर 50% या उससे कम स्थान आरक्षित किए गए हैं तो उसमें कुल स्थानों की संख्या के 25% स्थान अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए आरक्षित किए जायेंगे।

(v) ऐसे आरक्षित स्थान भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आवंटित किए जाने की व्यवस्था की गई है।

विभिन्न पदों पर आरक्षण हेतु कार्यवाही करने का अधिकार राज्य शासन को है।

4. जहाँ तक विभिन्न स्तरों की पंचायतों में वार्डों/निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या का प्रश्न है, इस संबंध में मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 में निम्नांकित प्रावधान हैं :—

- (i) प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम दस वार्ड होंगे परन्तु जहाँ ग्राम पंचायत की जनसंख्या एक हजार से अधिक हो वहाँ वार्डों की संख्या 20 तक हो सकती है।
- (ii) प्रत्येक जनपद पंचायत में कम से कम दस निर्वाचन क्षेत्र होंगे परन्तु जहाँ जनपद पंचायत की जनसंख्या 50 हजार से अधिक हो वहाँ (प्रति निर्वाचन क्षेत्र न्यूनतम पाँच हजार की जनसंख्या के अध्यधीन) निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या पच्चीस तक हो सकती है।
- (iii) प्रत्येक ज़िला पंचायत में कम से कम दस निर्वाचन क्षेत्र होंगे परन्तु जहाँ ज़िले की जनसंख्या 5 लाख से अधिक हो वहाँ (प्रति निर्वाचन क्षेत्र न्यूनतम पचास हजार की जनसंख्या के अध्यधीन) निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या पैतीस तक हो सकती है।

5. ग्राम पंचायत के वार्डों के परिसीमन के अधिकार मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के अन्तर्गत कलेक्टर में वेष्ठित है। जहाँ तक जनपद पंचायतों तथा ज़िला पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और निर्धारण का प्रश्न है इस संबंध में अधिकार राज्य सरकार में वेष्ठित है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 9 मार्च 1994 द्वारा इन अधिकारों का प्रत्यायोजन क्रमशः कलेक्टर्स तथा संभागीय आयुक्तों को किया गया है।

6. त्रि-स्तरीय ग्राम पंचायतों के चुनाव उपरोक्त विहित अधिकारियों द्वारा परिसीमन तथा आरक्षण पूर्ण करने के बाद ही किये जा सकते हैं। परिसीमन के बिना तो मतदाता सूची भी नहीं बनाई जा सकती। अतः आयोग के अद्वैशासकीय पत्र क्रमांक एफ 70-34/2000/तीन/1656, दिनांक 14-11-2003 द्वारा राज्य शासन से अनुरोध किया गया कि समय रहते ये कार्यवाहियाँ पूरी कर लें। राज्य शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 4-1/2003/22/पं-2, दिनांक 30-12-2003, द्वारा कलेक्टरों को त्रिस्तरीय पंचायतों के परिसीमन एवं आरक्षण का कार्यक्रम जारी किया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार परिसीमन/वार्ड आरक्षण की कार्यवाही 31 जनवरी 2004 तक पूर्ण हो जाना चाहिए थी। इन निर्देशों के अन्तर्गत अनेक ज़िलों द्वारा 1991 की जनसंख्या को आधार मानकर कार्यवाही की गई। जबकि मध्यप्रदेश

पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 2 (उनीस) के अनुसार यह कार्यवाही सन् 2001 की जनसंख्या के आधार पर की जाना अपेक्षित थी। इस प्रकार यह कार्यवाही विहित प्रावधानों के अनुरूप नहीं पाई गई। अतः मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय द्वारा अपने ज्ञापन दिनांक एफ 4-1/2004/22/पं-2, दिनांक 21-5-2004 द्वारा वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायतों के परिसीमन की कार्यवाही करने हेतु नए सिरे से कार्यक्रम जारी किया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार परिसीमन/आरक्षण कार्यवाही 29-6-2004 तक पूर्ण करने के निर्देश जारी किये गये।

राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा दिनांक 16-6-2004 को पूर्वान्ह 11.30 बजे त्रिस्तरीय पंचायतों के परिसीमन के कार्य की समीक्षा एवं चर्चा हेतु एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं आयुक्त, पंचायत एवं समाज कल्याण को आमंत्रित किया गया।

उक्त बैठक में प्रमुख सचिव, पंचायत के प्रवास पर होने से सचिव पंचायत एवं आयुक्त, पंचायत एवं समाज सेवा ने भाग लिया। बैठक में अवगत कराया गया कि परिसीमन कार्य में कुछ समस्याएँ हैं इसलिए प्रमुख सचिव, पंचायत के प्रवास से लौटने पर चर्चा हेतु पुनः उपस्थित होंगे।

दिनांक 22-6-2004 को प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा आयुक्त, पंचायत एवं समाज कल्याण के साथ पुनः बैठक हुई। बैठक में प्रमुख सचिव, पंचायत द्वारा बताया गया कि विधान सभा एवं लोक सभा के आम चुनाव में मैदानी अमला व्यस्त रहने, तत्पश्चात् पंच ज अभियान में व्यस्त रहने के कारण पंचायतों में परिसीमन की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो सकी। प्रमुख सचिव द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त महोदय से अनुरोध किया कि इस कार्य हेतु दिनांक 24-7-2004 तक का समय दिया जाय। इसके पश्चात् मतदाता सूची तैयार करने का कार्य प्रारम्भ किया जाय।

मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अपने ज्ञापन क्रमांक एफ 4-1/2004/22/पं-2, दिनांक 23-6-2004 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों का संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया। इस कार्यक्रम के अनुसार परिसीमन/आरक्षण की कार्यवाही दिनांक 22-7-2004 तक पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

उक्त कठिनाइयों के कारण आयोग को पंचायतों की मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के कार्य को आगे बढ़ाना पड़ा और चूंकि आयोग को पंचायत निर्वाचन से पूर्व नगरपालिकाओं के आम निर्वाचन हेतु भी मतदाता सूचियाँ पुनरीक्षित कराई जाना थीं इसलिए आयोग को अल्प समय में मतदाता सूचियाँ पुनरीक्षित करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

7. आरक्षण की कार्यवाही सम्पन्न होने के पश्चात् विभिन्न वर्गों के लिए त्रि-स्तरीय पंचायतों में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भेरे जाने वाले स्थानों की जो स्थिति सामने आयी वह निम्नानुसार है :—

त्रि-स्तरीय पंचायतों में स्थानों (सीटों) की संख्या तथा आरक्षण की स्थिति, 2004-2005

क्रमांक	पंचायत का विवरण		पद	स्थानों (सीटों) का विवरण					महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान	प्रति वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र, मतदाताओं की औसत संख्या	
	नाम	संख्या		अनु. जाति	अनु. जनजाति	पिछ़ा वर्ग	अनारक्षित (सामान्य)	योग			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	ग्राम पंचायत	22,731	(1) पंच (2) सरपंच	55,407 3,210	1,01,852 7,739	64,765 4,217	1,38,930 7,565	3,60,954 22,731	1,23,012 7,598	78 1,233	
2.	जनपद पंचायत.	313	सदस्य		1,041	1,846	1,333	2,591	6,811	2,268	4,115
3.	जिला पंचायत.	48	सदस्य		130	211	179	316	836	288	33,527

स्थानों (सीटों) का जिलेवार विवरण, विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या सहित परिशिष्ट-एक (क), (ख), (ग), (घ) में दिया गया है।

8. आयोग द्वारा 1994 में तत्समय के मध्यप्रदेश राज्य की 30,922 ग्राम पंचायतों, 459 जनपद पंचायतों तथा 45 जिला पंचायतों के कुल 4,84,394 स्थानों (पंच 4,43,429) सरपंच 30,922, सदस्य जनपद पंचायत 9,097 एवं सदस्य जिला पंचायत 946) तथा वर्ष 1999-2000 में अविभाजित मध्यप्रदेश के 30,967 ग्राम पंचायतों, 459 जनपद पंचायतों तथा 61 जिला पंचायतों के कुल 4,84,873 स्थानों (पंच 4,43,793, सरपंच 30,967, सदस्य जनपद पंचायत 9,105 तथा सदस्य जिला पंचायत 1,008) के लिए आयोग द्वारा आम निर्वाचन सम्पन्न कराए गए थे। आयोग द्वारा वर्ष 2004-2005 में (मध्यप्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य अलग होने के बाद प्रथम बार) मध्यप्रदेश राज्य की कुल 22,731 ग्राम पंचायतों, 313 जनपद पंचायतों तथा 48 जिला पंचायतों के कुल 3,91,332 स्थानों (पंच 3,60,954, सरपंच 22,731, सदस्य जनपद पंचायत 6,811 एवं सदस्य जिला पंचायत 836) के लिए तृतीय आम निर्वाचन सम्पन्न कराए गए। (जिला मंडला के विकासखंड मर्वई की 52 ग्राम पंचायतों, उनके 800 वार्डों तथा जनपद पंचायत के 16 निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचन, उनका कार्यकाल पूरा नहीं होने के कारण नहीं कराये गए) कुल मतदाताओं की संख्या 2,80,28,319 थी।

## अध्याय 2

### निर्वाचन आयोग तथा निर्वाचन तंत्र

संविधान के अनुच्छेद 243-ट में यह उपबन्ध है कि पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए मतदाता सूची (निर्वाचक नामावली) तैयार करने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा जिसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा। यह भी उपबन्ध है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकेगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के मामले में निर्धारित है अन्यथा नहीं और निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जाएंगे। यह भी उपबन्ध है कि जब राज्य निर्वाचन आयोग ऐसा अनुरोध करें तब उसे अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए राज्यपाल द्वारा आवश्यक कर्मचारीवृन्द उपलब्ध कराए जाएंगे।

2. त्रि-स्तरीय पंचायतों के प्रथम आम निर्वाचन के समय राज्य निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा के अनुसार आयोग के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रारंभिक तौर पर जो पद स्वीकृत किए गए थे उनमें अधिकांश पदों पर सचिवालय, शासन के विभागों तथा सार्वजनिक उपक्रमों के उपयुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर ली गई थी। प्रथम साधारण निर्वाचन सम्पन्न हो जाने के बाद सतत् चलने वाली गतिविधियों जैसे कि आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उपनिर्वाचन, मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण, न्यायालयीन प्रकरणों में प्रतिरक्षण, निर्वाचन सामग्री (मतपेटियां आदि) का संधारण, लेखा संबंधी कार्य, नियमों और निर्देशों में आवश्यकतानुसार संशोधन आदि कार्यों के लिये जो अत्यन्त सीमित अमला रखा गया है, उसका विवरण परिशिष्ट-दो में पृथक्षः दर्शाया गया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि द्वितीय एवं तृतीय आम निर्वाचन को इसी सीमित अमले द्वारा सम्पन्न कराया गया। केवल थोड़े से अतिरिक्त अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें सीमित अवधि के लिये शासन से प्राप्त की गई थीं। फलतः प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को अत्यधिक परिश्रम करना पड़ा। इस चुनौती भरे कार्य हेतु संलग्न अधिकारियों/कर्मचारियों को कठोर परिश्रम और विशेष भूमिका के अभिज्ञान एवं सम्मान स्वरूप मानदेय स्वीकृत करने हेतु प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया जो बार-बार निवेदन करने पर भी शासन द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया जबकि लोकसभा एवं विधान सभा निर्वाचन के समय ड्यूटी पर लगाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों को मानदेय स्वीकृत किया जाता है एवं मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-19-113/94/1/4, दिनांक 22/24 अगस्त, 1994 के द्वारा वर्ष 1994 में वर्ष 1994 के आम चुनाव में यह मानदेय स्वीकृत किया गया था।

3. जिला स्तर पर पंचायतों के साधारण निर्वाचन सम्बन्धी कार्य के संचालन का दायित्व जिला कलेक्टर को पदेन जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करके सौंपा गया। उसकी सहायता के लिए एक डिप्टी/संयुक्त कलेक्टर स्तर के अधिकारी को उप-जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

मतदाता सूची (निर्वाचक नामावली) तैयार करने के लिए आयोग द्वारा राज्य सरकार के निम्नांकित अधिकारियों को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आदि पदाभिहित किया गया :—

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| (1) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी       | उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)  |
| (2) सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी | तहसीलदार/अतिरिक्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार/<br>अधीक्षक-भू-अभिलेख/सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख |
| (3) अपीली प्राधिकारी           | अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).   |

5. ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाने वाले पंचों, सरपंचों और सदस्यों की भारी संख्या को देखते हुए ग्राम पंचायत तथा जनपद पंचायत के लिए तहसीलदार/अपर तहसीलदार को रिटर्निंग आफिसर पदाभिहित किया गया, जबकि जिला पंचायत के लिए कलेक्टर को पदेन रिटर्निंग आफिसर नियुक्त किया गया। निर्वाचन से संबंधित विविध कर्तव्यों के निष्पादन में इन अधिकारियों की सहायता के लिए जिला स्तर तथा विकासखण्ड/तहसील स्तर पर पदस्थ अनेक कनिष्ठ अधिकारियों को सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित किया गया है। इन अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट-तीन में है।

पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के आम निर्वाचन समय पर सम्पन्न कराया जाना एक संवैधानिक अनिवार्यता है। इसके साथ ही प्रत्यक्ष निर्वाचन से भेरे जाने वाले स्थानों की संख्या लाखों में होने के कारण मृत्यु, त्यागपत्र आदि के कारण होने वाली आकस्मिक रिक्तियों की संख्या भी बहुत अधिक रहती है। इन रिक्तियों को भरने के लिये वर्ष में दो बार उप निर्वाचन भी कराये जाते हैं। उप निर्वाचनों के लिए मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण भी किया जाना होता है। इस कार्य की व्यापकता और निरन्तरता को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक समझा गया कि जिला स्तर पर भी इस कार्य के सुचारू सम्पादन के लिए कलेक्टर के अधीन, कुछ स्थायी अमला हो। तदनुसार राज्य सरकार ने आयोग के प्रस्ताव के आधार पर, प्रत्येक जिले में स्थानीय संस्थाओं के निर्वाचन कार्य के लिए निम्नानुसार पद सूजित किए हैं :—

- |  |    |
|--|----|
| (i) डिप्टी कलेक्टर (उप जिला निर्वाचन अधिकारी)  | एक |
| (ii) सहायक अधीक्षक (केवल ऐसे जिलों के लिए जिनमें<br>विकासखण्डों की संख्या 8 या उससे अधिक है) | एक |
| (iii) लेखापाल  | एक |
| (iv) कनिष्ठ श्रेणी लिपिक   | एक |

जिला-स्तरीय इस अमले द्वारा पंचायत/नगरपालिकाओं के आम निर्वाचन के अलावा किए जाने वाले कार्यों में निम्नांकित प्रमुख हैं :—

- (क) आकस्मिक रिक्तियों की जानकारी का संकलन करना तथा आयोग को भेजना।

- (ख) मतदाता सूचियों की तैयारी तथा पुनरीक्षण और उनका प्रकाशन।
- (ग) पंचायतों तथा नगरपालिकाओं में आकस्मिक रिक्तियों के लिए उप-निर्वाचन सम्बन्धी कार्य।
- (घ) निर्वाचन/उप निर्वाचन संबंधी कार्य हेतु/स्थापना संबंधी व्यय के लिये आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए बजट आवंटन का हिसाब किताब रखना और व्यय पत्रक आयोग को भेजना।
- (ङ) उच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों तथा निर्वाचन याचिकाओं के संबंध में आवश्यक जानकारी और अभिलेख प्रस्तुत करना।
- (च) मतपत्रों के पैकेटों आदि निर्वाचन सम्बन्धी कागज-पत्रों को नियमों में निर्धारित अवधि तक सुरक्षित अभिरक्षा में रखना और तत्पश्चात् उन्हें विनष्ट करना।
- (छ) मतपेटियों तथा निर्वाचन सम्बन्धी अन्य सामग्री और प्रकाशनों की साज-संभाल।
- (ज) निर्वाचन व्यय का लेखा-जोखा रखना, निर्वाचन कार्य में कर्तव्य विमुखता या अनियमितताओं से संबंधित प्रकरणों में कार्यवाही, सांख्यिकी जानकारी का संधारण, आयोग के प्रकाशनों का विक्रय आदि।

आयोग द्वारा अपने जिला कार्यालयों की आवश्यकता के अनुरूप वर्ष 98 के पूर्व के 45 जिलों में कार्यालय सह-भण्डारण कक्ष निर्मित कराये गए। इनमें स्थानीय निर्वाचन कार्यालय के अधिकारी/कर्मचारियों के बैठने तथा मतपेटियाँ/निर्वाचन सामग्री/रिकार्ड सुरक्षित रखने हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध है। दिनांक 22-5-98 के बाद गठित 16 नए जिलों में आयोग के अनुरोध पर नवनिर्मित जिला कार्यालय भवन में ही कार्यालय-सह-भण्डारण कक्ष के लिये भी स्थान आरक्षित किया गया। इसके उपरांत वर्ष 2000 में मध्यप्रदेश राज्य के पुनर्गठन के फलस्वरूप 16 जिले नवगठित राज्य छत्तीसगढ़ में चले गये। केवल 45 जिले मध्यप्रदेश में रह गये। दिनांक 15-8-2003 को राज्य शासन द्वारा 3 नये जिले बनाये गये। इस प्रकार वर्तमान में मध्यप्रदेश में 48 जिले हो गये। इन तीन नवगठित जिलों में भी आयोग के कार्यालय सह भण्डारण कक्ष नवीन निर्मित किये जाने वाले जिला कार्यालय भवन में बनाये जाने हेतु शासन से अनुरोध किया गया है।

---

### अध्याय 3

## मतदाता सूची

#### मतदाता सूची तैयार करने संबंधी विधिक प्रावधानों का संक्षिप्त विवरण :

संविधान के अनुच्छेद 243-ट एवं मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा -42 में पंचायतों के लिए कराये जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने का कार्य राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपा गया है।

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा-4 के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक मतदाता सूची होगी, जो उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार तैयार की जाएगी। अधिनियम की धारा-5 के अनुसार ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो उस ग्राम से संबंधित विधान सभा निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किये जाने के लिए अहिंत है या जिसका नाम उसमें प्रविष्ट है और जो उस ग्राम का मामूली तौर से निवासी है, उस ग्राम की मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिये हकदार होगा। परन्तु कोई व्यक्ति एक से अधिक ग्रामों की मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत किये जाने के लिए हकदार नहीं होगा और न ही वह व्यक्ति किसी ग्राम की मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए हकदार होगा, जिसका नाम किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी से संबंधित निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट है।

#### 2. मतदाता सूची ( ग्राम पंचायतवार ) तैयार की जाना :—

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा-4 में उल्लिखित मतदाता सूची तैयार करने का दायित्व धारा-42 के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का है। आयोग द्वारा यह सूची ऐसी रीति से बनाई जाना है जैसी कि विहित की जाये। मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 9 से 15 में मतदाता सूची तैयार करने की रीति विहित की गयी है। इसके अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन के लिए प्रारूप मतदाता सूची, विधानसभा की प्रचलित निर्वाचन नामावली ( अर्थात् तत्समय प्रभावशील निर्वाचक नामावली ) के आधार पर, ग्राम पंचायतवार, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा तैयार की जाती है। मतदाता सूची तैयार करना आधारभूत कार्य होने के कारण आयोग द्वारा मतदाता सूची तैयार करने के संबंध में निर्देश पुस्तिका मई, 2004 प्रसारित की गई। इस प्रारूप मतदाता सूची पर दावे एवं आपत्तियाँ प्राप्त करने हेतु विभिन्न केन्द्रों-संबंधित सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय, संबंधित जनपद पंचायत के कार्यालय एवं संबंधित ग्राम पंचायत के कार्यालय पर इसका प्रकाशन किया जाता है। प्रत्येक केन्द्र पर प्राधिकृत कर्मचारी दावे एवं आपत्तियाँ प्राप्त करता है। दावे एवं आपत्तियाँ प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। अतः आयोग द्वारा मतदाता सूची तैयार करने हेतु नियुक्त प्राधिकृत कर्मचारियों के लिये निर्देश पुस्तिका मई 2004 प्रसारित की गयी। प्राप्त दावे एवं आपत्तियों की सुनवाई कर निर्णय सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा किया

जाता है। सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के आदेश से असंतुष्ट कोई व्यक्ति अपीलीय प्राधिकारी को अपील प्रस्तुत कर सकता है। अपीलीय प्राधिकारी का आदेश अंतिम होता है। इस प्रकार दावे एवं आपत्ति की कार्यवाही के पश्चात् मतदाता सूची को अंतिम रूप दिया जाकर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा इसका अंतिम प्रकाशन किया जाता है।

### 3. मतदाता सूची कार्यक्रम :—

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 14 के अन्तर्गत मतदाता सूची का पुनरीक्षण पंचायत के प्रत्येक साधारण निर्वाचन वर्ष की एक जनवरी की स्थिति में कराया जाता है। अतः आयोग ने ग्राम पंचायतवार मतदाता सूचियाँ तैयार कराने के लिये अपने ज्ञापन दिनांक 3-7-2004 द्वारा निम्नानुसार कार्यक्रम जारी किया गया:—

#### मतदाता सूची कार्यक्रम

क्रमांक (1)	कार्य/गतिविधि (2)	तारीख (3)
1.	कलेक्टरेट से प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित प्रचलित निर्वाचक नामावली की दो प्रतियाँ प्राप्त करना और उन्हें (विकास) खण्डवार भागों में बांटना।	15-7-2004 तक
2.	(विकास) खण्डवार मतदाता सूचियाँ, तहसीलदारों (अर्थात् सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों) को उपलब्ध कराना तथा मतदाता सूची तैयार करने हेतु कर्मचारियों का चयन एवं उनका प्रशिक्षण।	15-7-2004 से 23-7-2004
3.	(i) विधान सभा की भाग क्रमांकवार मूल निर्वाचक नामावली में अनुपूरक सूचियों का समावेश करना, उसमें ग्राम पंचायत, ग्राम और वार्ड को चिह्नित करना तथा आधार पत्रक तैयार करना।	24-7-2004 से 30-7-2004 तक
	(ii) आधार पत्रक का मौके पर वार्डों की अधिसूचित सीमाओं के साथ मिलान करना।	31-7-2004 से 4-8-2004 तक
	(iii) प्रत्येक ग्राम पंचायत की प्रारंभिक मतदाता सूची की पाण्डुलिपि तैयार करना।	5-8-2004 से 13-8-2004 तक
	(iv) प्रारंभिक मतदाता सूचियों की पंचायतवार पाण्डुलिपियाँ उप जिला निर्वाचन अधिकारी (अर्थात् जिला निर्वाचन अधिकारी को मुद्रणार्थ लौटाया जाना)।	18-8-2004 तक

4. जिला कार्यालय द्वारा विकासखण्डवार पांडुलिपियाँ अनुबंधित मुद्रणालयों को मुद्रण हेतु सौंपना। 22-8-2004 तक
5. विकासखण्डवार मुद्रित सूचियाँ प्राप्त करना और उन्हें तहसीलदारों को उपलब्ध कराना। 30-9-2004

### दावे तथा आपत्तियाँ प्राप्त करने का कार्यक्रम

- |     |  |                              |
|-----|--|------------------------------|
| 6.  | मतदाता सूचियों के प्रकाशन के संबंध में संबंधित व्यक्तियों को पूर्व सूचना भेजना तथा प्रचार-प्रसार करना, प्राधिकृत कर्मचारियों का प्रशिक्षण एवं सामग्री वितरण। | 27-9-2004 से<br>30-9-2004 तक |
| 7.  | मतदाता सूचियों के संबंध में सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन और दावे तथा आपत्तियाँ प्राप्त करने के कार्य की शुरुआत।  | 1-10-2004                    |
| 8.  | दावे तथा आपत्तियाँ प्राप्त करने की अंतिम तारीख   | 12-10-2004                   |
| 9.  | प्राप्त दावों तथा आपत्तियों के निपटारे की आखिरी तारीख  | 15-10-2004                   |
| 10. | ग्राम पंचायतवार अनुपूरक सूचियाँ तैयार करना   | 19-10-2004                   |
| 11. | अनुपूरक सूचियों का मुद्रण  | 25-10-2004 तक                |
| 12. | अनुपूरक सूचियाँ, मूल (प्रारंभिक) सूचियों के साथ जोड़ा जाना   | 27-10-2004                   |
| 13. | मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन-उप जिला निर्वाचन अधिकारी (अर्थात् जिला रजिस्ट्रीकरण अधिकारी) द्वारा।   | 28-10-2004                   |

अत्यधिक संख्या में दावे तथा आपत्ति प्राप्त होने से कतिपय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर प्राप्त दावे आपत्तियों के निराकरण की अंतिम तिथि 21-10-04 की गयी किन्तु मतदाता सूचियों के अन्तिम प्रकाशन की तिथि यथावत् 28-10-04 ही रखी गयी।

प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन की जानकारी जनसाधारण को रहे इसलिए यह निर्देश दिये गये कि प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन से कम से कम 3 दिन पूर्व प्रकाशन की सूचना प्रत्येक ग्राम में एक सहज दृश्य स्थान (यथा पाठशाला, उचित मूल्य की दुकान, आंगनवाड़ी केन्द्र, कोई सामुदायिक भवन आदि) में प्रदर्शित की जाए। इस प्रकाशन की सूचना की प्रति जिला पंचायत सदस्य और जनपद सदस्य को भेजे जाने के निर्देश दिये गये। साथ ही समाचार पत्रों, आकाशवाणी, दूरदर्शन, केबल नेटवर्क, पम्पलेट एवं ग्रामीण क्षेत्रों में डॉँडी पिटवाकर मुनादी से व्यापक रूप से प्रचार, एक अभियान के रूप में करने के भी निर्देश दिये गये।

4. मतदाता सूची किसी भी निर्वाचन का आधार होती है। मतदाता सूची जितनी परिपूर्ण और सही होगी, चुनाव उतने व्यवस्थित, निष्पक्ष एवं पारदर्शी होंगे। यद्यपि हर बार आयोग का प्रयास होता है कि मतदाता सूची यथासंभव परिपूर्ण और सही बने किन्तु इस बार आयोग द्वारा इस दिशा में विशेष प्रयास किये:—

- (I) **प्रेक्षक** :—मतदाता सूची तैयार करने के कार्य के पर्यवेक्षण के लिये आयोग द्वारा प्रत्येक जिले में प्रेक्षक भेजे गये। प्रेक्षकों को जिले में जाने के पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त महोदय द्वारा गहन प्रशिक्षण दिया गया। प्रेक्षकों ने प्रत्येक जिले में दो बार भ्रमण किया। प्रथम प्रारूप मतदाता सूची तैयार करते समय तथा द्वितीय दावे एवं आपत्तियाँ प्राप्त करते समय। जिलों में भेजे गये प्रेक्षकों की सूची परिशिष्ट चार (अ) एवं (ब) पर है।
- (II) **प्रशिक्षण** :—किसी भी कार्य को सही ढंग से सम्पन्न करने हेतु उसका गहन प्रशिक्षण आवश्यक है। इस कड़ी में निम्नानुसार कार्यवाही की गई :—
  - (क) राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा स्वयं समस्त संभागीय मुख्यालय पर जाकर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारियों, अनुविभागीय अधिकारियों एवं मास्टर ट्रेनर को गहन प्रशिक्षण दिया।
  - (ख) आयोग के सामान्य निर्देशों के साथ-साथ सहायक रजिस्ट्रीकरण के लिए तथा निचले स्टाफ को प्रशिक्षण के लिए अलग से टीप बनाकर दी गई।
  - (ग) मतदाता सूची तैयार करने में प्राधिकृत कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए प्राधिकृत कर्मचारियों के लिये निर्देश पुस्तिका के अतिरिक्त एक संक्षिप्त टीप बनाकर भी वितरित की गई, जिसमें विशेष रूप से कार्यालय समय के दौरान निर्धारित केन्द्र पर उपस्थित रहने, मतदाता को निर्धारित फार्म भरने में सहायता करने, थोक में दावे एवं आपत्ति ग्रहण न करने आदि पर जोर दिया गया।
- (III) **स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग** :—आयोग द्वारा मतदाता सूची के संबंध में जागृति पैदा, करने, दावे एवं आपत्तियाँ प्रस्तुत करने में अशिक्षित मतदाताओं की सहायता के लिये स्वयं सेवी संस्थाओं का सहयोग लेने का निर्णय लिया गया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि इस संबंध में ऐसी सक्रिय स्वयंसेवी संस्थाओं को भागीदारी दें जो सेवाभावी एवं पूर्णतः अराजन्त्रितिक हो एवं इन संस्थाओं द्वारा दी गई जानकारी पर त्वरित कार्यवाही करें।
- (IV) **ग्राम सभा में वाचन** :—मतदाता सूचियों पर दावे/आपत्ति प्राप्त करने का कार्य कार्यालयीन समय में होता है जबकि इस समय ग्रामीणजन अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं। अतः ग्रामीणजनों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया कि

मतदाता सूचियों का वाचन ग्राम सभा में कराया जाए। समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिये गए कि माह अक्टूबर की 2 तारीख से एक सप्ताह तक बारी-बारी से जिले के सभी ग्रामों में ग्राम सभा का आयोजन किया जाए तथा इस दिन शाम 6 बजे के बाद ग्राम सभा में प्रारूप मतदाता सूचियों का वाचन किया जाए। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि वाचन के पश्चात् जो मतदाता दावे/आपत्ति प्रस्तुत करना चाहे उसको मौके पर ही दावे/आपत्ति का फार्म उपलब्ध कराया जाए और पटवारी, पंचायत सचिव तथा सरपंच से प्रमाणीकरण भी करा लिया जाए और अगले दिन संबंधित केन्द्र पर इन दावे और आपत्तियों को जमा कर सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेजा जाये।

ग्राम सभा में मतदाता सूची के वाचन के समय मतदाता के नाम छूटने, गांव में न रहने व गलत प्रविष्टि होने की जानकारी तो मिली किन्तु ग्राम सभा में उपस्थित न होने के कारण कोई मतदाता दावे अथवा आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर सके। मतदाताओं की सुविधा हेतु आयोग द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिये गये कि प्राधिकृत कर्मचारी प्रतिदिन पांच बजे के बाद एक ग्राम में जाकर वाचन के समय नोट किये संशोधनों के आधार पर दावे/आपत्तियाँ प्राप्त करलें और पटवारी/ग्राम सहायक की सहायता लेकर मौके पर जाँच भी कर लें।

#### (V) दावे/आपत्ति की सूक्ष्म जाँच :—

आयोग द्वारा निर्देश दिये गये कि बिना मौके पर जाँच कराए तथा पुष्ट प्रमाण के बिना कोई नाम मतदाता सूची में जोड़ा नहीं जावे तथा आपत्ति आने पर संबंधित को सूचना दिये बिना नाम नहीं काटा जाये। इसके अतिरिक्त आयोग द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि जिन पंचायतों में 0.5 प्रतिशत से अधिक दावे प्राप्त हो तो मौके पर विशेष रूप से सघन जाँच अवश्य की जाए।

#### 4. मतदाता सूचियों का मुद्रण :—

प्रदेश के 313 विकास खण्डों में 22,731 ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियों का मुद्रण एक व्यापक कार्य था और इतनी ही पंचायतों की मतदाता सूचियों का एक सीमित समय में मुद्रण करना शासकीय मुद्रणालय की क्षमता के अनुसार संभव नहीं था। अतः पूर्व की भाँति आयोग द्वारा मतदाता सूचियों का मुद्रण स्थानीय तौर पर निविदायें आमंत्रण करके निजी मुद्रणालयों से कराने का निर्णय लिया गया।

मुद्रण हेतु आयोग द्वारा उच्चतम दरों निम्नानुसार निर्धारित की गईः—

(1) प्रथम पृष्ठ (मुख्य पृष्ठ) तथा 46 से 90 नाम वाले प्रत्येक पृष्ठ के लिए रु. 41.75
(2) 23 से 45 नाम वाले आधे पृष्ठ के लिए रु. 20.88
(3) 01 से 22 नाम वाले प्रत्येक चौथाई पृष्ठ के लिए रु. 10.44

उक्त दरों के साथ-साथ कलेक्टरों को यह भी निर्देश दिये गये कि यदि उक्त दर पर कोई निविदाकार कार्य करने को तैयार न हो तो निर्धारित उच्चतम दर+15 प्रतिशत के अन्दर वे कार्य कराने के लिये सक्षम होंगे। यदि निविदा में उससे अधिक आये तो राज्य निर्वाचन आयोग से स्वीकृति प्राप्त करने के भी निर्देश दिये गये किन्तु इसकी कहीं आवश्यकता नहीं पड़ी। जिलों द्वारा उनके लिए निर्धारित भीमा के अन्दर ही कार्य पूर्ण करा लिया गया।

उक्त दरों मुद्रण के लिये निर्धारित की गई। कागज आयोग द्वारा प्रदाय किया गया। इस हेतु आयोग द्वारा 60 जीएसएम के 59×42 से.मी. आकार के 6060 रीम कागज की व्यवस्था हेतु शासकीय मुद्रणालय से अनुरोध किया गया, जिसकी उन्होंने यथा समय व्यवस्था की।

विभिन्न जिलों द्वारा मतदाता सूची हेतु जिन दरों पर अनुबंध किया गया उसका विवरण परिशिष्ट-पाँच पर है।

---

## अध्याय-4

**मतपत्र एवं निर्वाचन प्रतीक****मतपत्र :—**

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 51 में यह उपबन्ध है कि प्रत्येक मतपत्र प्रतिपर्ण के साथ ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी विशिष्टताओं के साथ होगा जैसा आयोग द्वारा अवधारित किया जाए। निर्वाचन में खड़े होने वाले अभ्यर्थी का नाम मतपत्र में उसके निर्वाचन प्रतीक के सामने हिन्दी (देवनागरी लिपि) में लिखा जाएगा।

2. देश में लोकसभा तथा विधान सभा निर्वाचनों में प्रयुक्त होने वाले मतपत्रों के आकार-प्रकार से मतदाता भली-भांति परिचित हो चुके हैं। अतः वर्ष 1994 में आयोग द्वारा यह उपयुक्त समझा गया कि पंचायत निर्वाचन में भी मतपत्र का परिकल्प (डिज़ाइन) वैसा ही रखा जाय जैसा कि विधान सभा या लोकसभा के निर्वाचन के लिए रहता था जिससे ग्रामीण मतदाताओं को कोई भ्रम न हो। इसी परिकल्प के अनुसार इस निर्वाचन में भी मतपत्र मुद्रित कराए गए।

3. पंचायतों के साधारण निर्वाचन में एक विशेष बात यह है कि प्रत्येक मतदाता को 4 पदों के लिए एक साथ मतदान करना पड़ता है अर्थात् ग्राम पंचायत के पंच तथा सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्य के लिए। अतः पूर्व निर्वाचनों की भांति ही इस निर्वाचन में विभिन्न पदों के लिए अलग-अलग रंगों वाले मतपत्रों का उपयोग किया गया ताकि ग्रामीण मतदाताओं को यह समझने में आसानी रहे कि किस रंग का मतपत्र किस पद के लिए है। ऐसा करना मतदाताओं के साथ-साथ अभ्यर्थियों के हित में भी था और मतगणना में सुविधा की दृष्टि से भी बांछनीय था। अतएव मतपत्रों का मुद्रण निम्नांकित रंग के कागज में किया गया :—

(1)	पंच पद के लिए	सफेद
(2)	सरपंच पद के लिए	नीला
(3)	जनपद पंचायत सदस्य के लिए	पीला
(4)	जिला पंचायत सदस्य के लिए	गुलाबी

**निर्वाचन प्रतीक :—**

1. राज्य में पंचायत निर्वाचन दलीय आधार पर कराए जाने का प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय दल के रूप में या मध्यप्रदेश में राज्य दल (स्टेट पार्टी) के रूप में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के लिए आरक्षित निर्वाचन प्रतीक (जो कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीके आरक्षण और आवंटन आदेश, 1968 के अधीन आरक्षित है) आवंटित नहीं किए गए।

2. निर्वाचन नियमों में अभ्यर्थी को उसकी पसंद का प्रतीक मांगने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। नियम 39 में प्रावधान है कि रिटर्निंग आफिसर द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी को उन प्रतीकों में से एक प्रतीक आवंटन किया जाएगा, जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किए जाएं तथा इस प्रकार का आवंटन आयोग द्वारा विहित रीति में किया जाएगा।

निर्वाचन प्रतीकों के आवंटन के संबंध में आयोग द्वारा जो रीति विहित की गई उसके अनुसार निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की वर्णक्रमानुसार तैयार की गई सूची (नियम 35) में जिस क्रम में उनके नामों का उल्लेख हो, उसी क्रम में उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निर्वाचन प्रतीक आवंटित किए जा सकते थे। दूसरे शब्दों में नियम 35 के अंतर्गत तैयार की गई अभ्यर्थियों की वर्ण क्रमानुसार सूची में क्रम एक पर जिस अभ्यर्थी का नाम हो, उसे संबंधित पद के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित निर्वाचन प्रतीकों की सूची में क्रम 1 पर अंकित निर्वाचन प्रतीक आवंटित किया जाना था और इसी प्रकार सूची में सम्मिलित अन्य अभ्यर्थियों को उनके नामों के क्रम के अनुसार, प्रतीकों की निर्धारित सूची में से एक के बाद एक प्रतीकों का क्रमवार आवंटन किया जाना था।

3. पंचायत निर्वाचन में चार पदों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। पंच के पद को छोड़कर सभी पदों के लिये अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ने वाले अभ्यार्थियों की संख्या काफी अधिक रहने की संभावना को ध्यान में रखते हुए आयोग ने प्रत्येक पद के लिए पर्याप्त संख्या में निर्वाचन प्रतीक निर्धारित किए। हर पद के लिये प्रतीकों के अलग-अलग समुच्चय (सेट) निर्धारित किए गए जिससे प्रतीकों को लेकर भ्रम की स्थिति निर्मित न हो। विभिन्न पदों के लिए मुक्त प्रतीकों की संख्या निम्नानुसार थी :—

(1) जिला पंचायत सदस्य के लिए	39
(2) जनपद पंचायत सदस्य के लिए	23
(3) सरपंच के लिए	24
(4) पंच के लिए	10

उपरोक्त प्रतीकों के अलावा 14 और “अतिरिक्त प्रतीक” आरक्षित रखे गए ताकि किसी निर्वाचन क्षेत्र में उपरोक्त संख्या से अधिक अभ्यर्थी खड़े हो जाने पर प्रतीकों की कमी न पड़े। इन “अतिरिक्त प्रतीकों” के संबंध में यह प्रतिबन्ध रखा गया कि इनका उपयोग उसी स्थिति में किया जाय, जबकि किसी पद के लिए चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की अधिक संख्या के कारण निर्धारित प्रतीक कम पड़ जाए। आयोग द्वारा निर्धारित उपरोक्त प्रतीकों की सूची परिशिष्ट छः (क) पर दी गई है तथा इन प्रतीकों के नमूने परिशिष्ट छः (ख), (ग), (घ), (च), (छ) दर्शाये गये हैं।

## मतपत्र मुद्रण :—

### 1. सांचे की व्यवस्था :—

पंचायत आम निर्वाचन 1994 के समय मतपत्रों के मुद्रण के लिए मुक्त प्रतीकों के सांचे (ब्लॉक्स) शासकीय मुद्रणालयों को प्रदाय किए गए थे। चूंकि पंचायत में लाखों पदों के मतपत्रों का मुद्रण सीमित समय में शासकीय मुद्रणालय द्वारा संभव नहीं था। अतः वर्ष 1994 में कोरो मतपत्र मुद्रित कराए जाकर निर्वाचन लड़ने वाले अध्यर्थियों के नाम हाथ से लिखे गये थे। इस प्रक्रिया में आयी व्यावहारिक कठिनाई को ध्यान में रखते हुए आम निर्वाचन 1999-2000 में पंच, सरपंच एवं जनपद सदस्य के मतपत्रों का मुद्रण स्थानीय स्तर पर निजी मुद्रणालयों से कराने का निर्णय लिया गया। इस कारण प्रत्येक पद के मतपत्रों के मुद्रण हेतु अर्थात् पंच, सरपंच, तथा जनपद पंचायत सदस्य के पद के लिए निर्धारित मुक्त प्रतीकों के सांचे (ब्लॉक्स) विभिन्न जिलों को स्थानीय स्तर पर मुद्रण हेतु प्रदाय किए गए। जिला पंचायत सदस्य के पद के लिए मतपत्रों का मुद्रण प्रदेश के शासकीय मुद्रणालयों से कराया गया। अतः इस पद के मतपत्रों के लिये प्रतीकों के सांचे संबंधित शासकीय मुद्रणालयों को ही दिए गए। प्रत्येक जिले को पूर्व निर्वाचन के समय प्रदाय किये गये सांचों (ब्लॉक्स) की संख्या परिशिष्ट सात में दर्शाई गई है। यही व्यवस्था आम निर्वाचन 2004-2005 में भी रही।

### 2. मतपत्र मुद्रण की व्यवस्था :—

पंच, सरपंच तथा जनपद सदस्यों के मतपत्र मुद्रण कार्य जिला स्तर पर ही निजी मुद्रणालयों से कराने के संबंध में विस्तृत निर्देश एक पुस्तिका के रूप में प्रसारित किये गये। मुद्रण की दरें जिला स्तर पर निविदा बुलाकर तय की जाना थी, किन्तु अधिकतम दरें आयोग द्वारा निर्धारित कर दी गई थी जो परिशिष्ट-आठ में दी गई है। इनसे 15 % ऊपर तक दरें स्वीकृत करने के अधिकार जिला निर्वाचन अधिकारी को दिये गये थे। इससे भी अधिक दर की स्वीकृति आयोग द्वारा दी जा सकती थी किन्तु इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। जिला स्तर पर ही दरें स्वीकृत कर कार्य पूर्ण करा लिया गया। विभिन्न जिलों में स्वीकृत दरें परिशिष्ट-नौ पर दी गई हैं।

### 3. कागज की व्यवस्था :—

यद्यपि मुद्रण निजी मुद्रणालयों द्वारा किया जाना था किन्तु मतपत्रों के लिए कागज की व्यवस्था शासकीय मुद्रणालयों से कराई गई। इसके लिए कागज की निम्नानुसार व्यवस्थी हेतु शासकीय मुद्रणालय से अनुरोध किया गया :—

सफेद (पंच पद के लिए)  
नीला (सरपंच पद के लिए)

38 मीट्रिक टन  
90 मीट्रिक टन

पीला(जनपद सदस्य के लिए)	90 मीट्रिक टन
गुलाबी (जिला पंचायत सदस्य के लिए)	90 मीट्रिक टन

मतपत्रों के मुद्रण के लिए कागज स्थानीय तौर पर अनुबन्धित मुद्रणालय को जिला निर्वाचन कार्यालय के माध्यम से प्रदान किया गया। यह कागज जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा उस शासकीय मुद्रणालय से प्राप्त किया गया जिससे कि वह जिला सम्बद्ध था। विभिन्न शासकीय मुद्रणालयों से संबद्ध जिलों का विवरण निम्नानुसार है :—

1. शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल— भोपाल, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, मंडला, रीवा, राजगढ़, छिंदवाड़ा, डिण्डोरी, नरसिंहपुर, सिवनी, शाजापुर, बालाघाट एवं सीधी।
  2. शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर— ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, भिण्ड, दतिया, शिवपुरी, गुना, टीकमगढ़, अशोकनगर, छतरपुर, दमोह, जबलपुर, तथा सागर।
  3. शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, इन्दौर— इन्दौर, उज्जैन, देवास, बुरहानपुर, खण्डवा खरगौन, बड़वानी, धार, झाबुआ, रतलाम, मन्दसौर तथा नीमच।
  4. शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, रीवा— सतना, अनूपपुर, पन्ना, शहडोल, उमरिया, एवं कटनी।
-

## मतदान केन्द्र

निर्वाचन नियमों में यह उपबन्ध है कि जिला निर्वाचन अधिकारी पर्याप्त संख्या में मतदान केन्द्रों की व्यवस्था करेगा और मतदान की तारीख से कम से कम 20 दिन पूर्व एक ऐसी सूची प्रकाशित करेगा जिसमें मतदान केन्द्र तथा ऐसे मतदान क्षेत्र, जिनके लिए वे बनाए जाएंगे दर्शाए गए हों।

2. गत आम निर्वाचन की भाँति इस बार भी आयोग ने यह नीतिगत निर्णय लिया कि विधान सभा के विगत निर्वाचन के समय जिन भवनों में मतदान केन्द्र स्थापित किए गए थे यथासंभव उन्हीं में पंचायत निर्वाचनों के लिए मतदान केन्द्र रखे जाएं ताकि मतदाताओं को मतदान केन्द्र खोजने में परेशानी न उठानी पड़े। विधान सभा निर्वाचन के लिए सामान्यतया लगभग 1000 मतदाताओं के लिए एक मतदान केन्द्र स्थापित किया जाता है। पंचायत निर्वाचन में एक साथ 4 पदों के लिए मतदान करने की विशिष्ट स्थिति के कारण आयोग ने सामान्यतया 500 से 600 मतदाताओं के लिए एक मतदान केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया, ताकि मतदान कार्मिकों के ऊपर कार्य का बहुत अधिक भार न पड़े और मतदाताओं को भी (अपनी बारी की) लम्बी प्रतीक्षा न करनी पड़े। अतएव पंचायत निर्वाचन में, विधान सभा निर्वाचन की तुलना में मतदान केन्द्रों की संख्या दुगुनी हो जाने के कारण, लगभग हर ग्राम पंचायत में कम से कम एक अतिरिक्त मतदान केन्द्र स्थापित करना पड़ा।

3. मतदान केन्द्रों की स्थापना के संबंध में आयोग ने जो दिशा-निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारियों को प्रसारित किए उनमें निम्नांकित बातों को ध्यान में रखने के लिए कहा गया :—

- (1) विगत विधान सभा निर्वाचन के समय जिस भवन में मतदान केन्द्र स्थापित किया गया था, पंचायत निर्वाचन के लिए यथासंभव उसी भवन में अतिरिक्त मतदान केन्द्र स्थापित किया जाए। परन्तु यदि ऐसा भवन बहुत छोटा हो और उसमें दूसरा मतदान केन्द्र रखे जाने की गुंजाइश न हो तो नया मतदान केन्द्र ऐसे ग्राम में स्थापित किया जाए जहां कोई उपयुक्त भवन उपलब्ध हो तथा जिसकी स्थिति केन्द्रीय हो या जो उससे सम्बद्ध अधिकांश मतदाताओं के लिए नजदीक पड़ता हो और जहां पहुंचने में अपेक्षाकृत सुगमता हो। आयोग की धारणा थी कि पूर्व से चले आ रहे मतदान केन्द्र भवन में ही, गुंजाइश होने पर, अतिरिक्त मतदान केन्द्र स्थापित करने से न केवल उपलब्ध पुलिस बल का सुरक्षा-व्यवस्था करने में बेहतर उपयोग हो सकेगा बल्कि मतदाताओं को भी सुविधा होगी।
- (2) किसी ग्राम पंचायत में यदि मतदाताओं की संख्या 1000 से अधिक हो और इसलिए यदि उसमें दो से अधिक मतदान केन्द्र स्थापित करने पड़ें तो प्रथम दो मतदान केन्द्रों को

यथासम्भव एक ही भवन में रखा जाए और तीसरा मतदान केन्द्र उप कंडिका (1) में उल्लिखित बातों को ध्यान में रखते हुए अन्यत्र स्थापित किया जाए।

- (3) एक वार्ड के सभी मतदाता एक ही मतदान केन्द्र से सम्बद्ध होने चाहिए। यह अनुज्ञेय नहीं है कि किसी वार्ड विशेष के कुछ मतदाता एक मतदान केन्द्र से जोड़े जाएं और शेष दूसरे मतदान केन्द्र से। इसी प्रकार किसी ग्राम पंचायत में स्थापित मतदान केन्द्र/केन्द्रों में उसी ग्राम पंचायत क्षेत्र के मतदाता सम्बद्ध होने चाहिए।
- (4) सामान्यतया मतदान केन्द्र शासकीय भवनों या शासकीय उपक्रमों के स्वामित्व/आधिपत्य के भवनों अथवा शासकीय विद्यालयों, शासन से सहायता प्राप्त विद्यालयों व संस्थाओं के भवनों में स्थापित किये जाने चाहिए। जहां तक संभव हो, मतदान केन्द्र किसी निजी भवन या परिसर में स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। किन्तु जहाँ ऐसा करना अपरिहार्य हो वहाँ भवन स्वामी की लिखित सहमति प्राप्त कर भवन को अल्पकालीन अवधि के लिए अधिग्रहित किया जाना चाहिए। निजी भवन के अधिग्रहण में यह अवश्य ध्यान रखा जाए कि भवन का स्वामी अथवा अधिवासी निर्वाचन में खड़ा कोई अभ्यर्थी या उसका अभिकर्ता या कार्यकर्ता न हो।
- (5) यदि कोई उपयुक्त भवन या ढाँचा उपलब्ध न हो तो मतदान हेतु अस्थाई ढाँचा निर्मित करके मतदान केन्द्र स्थापित किया जाए।

4. विभिन्न कारणों से अधिसूचित किये गए मतदान केन्द्रों की अवस्थिति में परिवर्तन आवश्यक होने से विभिन्न जिलों से आयोग को मतदान केन्द्र परिवर्तन के प्रस्ताव प्राप्त हुए। इन प्रस्तावों में जहाँ मतदान केन्द्रों में परिवर्तन के लिए समाधानकारक आधार थे, उन प्रस्तावों को आयोग द्वारा स्वीकृति प्रदान की। इनका विवरण परिशिष्ट-दस पर अवलोकनीय है।

राज्य में पंचायतों के साधारण निर्वाचन हेतु मतदाताओं की कुल संख्या 2.80 करोड़ थी एवं मतदान हेतु कुल 60,603 मतदान केन्द्र स्थापित किए गए थे,-जिनकी जिलावार संख्या परिशिष्ट-ग्यारह पर दर्शायी गयी है। सर्वाधिक 2,398 मतदान केन्द्र रीवा जिले में तथा सबसे कम 482 बुरहानपुर जिले में थे। प्रति मतदान केन्द्र मतदाताओं की औसत संख्या 462 थी।

---

## अध्याय-6

**निर्वाचन सामग्री**

किसी भी निर्वाचन में बड़ी मात्रा में निर्वाचन सामग्री की आवश्यकता पड़ती है जैसे मतपेटियाँ, विभिन्न प्रकार की सीलें, अमिट स्याही नियमों/निर्देशों की पुस्तिकाएं एवं इसके अन्तर्गत निर्धारित प्ररूप/लिफाफे एवं प्रपत्र, स्टेशनरी आदि-आदि। इस सामग्री का आंकलन कर इनकी व्यवस्था करके जिलों को प्रदाय करना एक बड़ा कार्य है।

पंचायत आम निर्वाचन 2004-05 में निर्वाचन सामग्री की व्यवस्था को तीन भागों में बांटा गया है :—

- (i) जिलों में पूर्व से ही उपलब्ध सामग्री,
- (ii) आयोग स्तर से की गई व्यवस्था,
- (iii) जिला स्तर पर स्थानीय उप जिला निर्वाचन कार्यालय के माध्यम से व्यवस्था।

**(I) जिलों में पूर्व से ही उपलब्ध सामग्री :—**

(i) **मतपेटियाँ** :—वर्ष 1994 में आयोग द्वारा भारत निर्वाचन आयोग से मतपेटियाँ किराये पर लेकर नगरपालिकाओं के आम निर्वाचन सम्पन्न कराये गये थे। बाद में आयोग द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार 35,000 मतपेटियाँ क्रय कर ली गई। इनमें से 10,933 मतपेटी उन जिलों को आवंटित हैं जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में हैं। इस प्रकार प्रदेश में 24,067 मतपेटियाँ हैं। इस आम निर्वाचन में इन्हीं मतपेटियों का उपयोग किया गया। चूँकि इस निर्वाचन में 60,603 मतदान केन्द्र थे अतएव आवश्यकतानुसार अतिरिक्त मतपेटियों की व्यवस्था भारत निर्वाचन आयोग से किराये पर मतपेटियाँ प्राप्त करके की गई। विभिन्न जिलों में उपलब्ध मतपेटियों का विवरण परिशिष्ट-बारह में दिया गया है।

(ii) **पीतल की सीलें** :—सन् 1994 में पंचायत आम निर्वाचन के समय एक लाख पीतल की सीलें बनवाकर जिलों को उनकी आवश्यकता के अनुसार आवंटित की गई थी। इन्हीं सीलों का उपयोग पंचायत आम निर्वाचन 2004-05 में भी किया गया।

(iii) **घूमते तीरों वाली रबर की सीलें** :—मतपत्र पर अपना मत अंकित करने के लिए मतदाता

को दी जाने वाली घूमते तीरों के निशान वाली (एरो-क्रॉस) रबर की मोहरें भी आयोग द्वारा वर्ष 1994 के प्रथम आम चुनाव के समय पर्याप्त मात्रा में (दो लाख) बनवाई गई थी एवं सभी जिलों को उनके मतदान केन्द्रों की संख्या के अनुसार पर्याप्त मात्रा में आवंटित कर दी गई थी। फलस्वरूप, एरोक्रॉस रबर की मोहरें पर्याप्त मात्रा में पूर्व से ही ज़िलों में होने के कारण नई सीलें बनवाने की आवश्यकता नहीं पड़ी।

(iv) कपड़े की थैली, स्केल एवं धातु की धारदार पट्टी :—इसके संबंध में यह निर्देश दिये गये कि नागरपालिका निर्वाचन के समय क्रय की गई सामग्री का उपयोग इस निर्वाचन में किया जाए। अतिरिक्त आवश्यकता होने पर ही इसका स्थानीय तौर पर क्रय किया जाए।

## ( II ) आयोग स्तर से की गई व्यवस्था :—

(i) अमिट स्याही :—अमिट स्याही की व्यवस्था पूर्व आम निर्वाचनों की भाँति मेसर्स मैसूर पेन्ट्स एन्ड वार्निश कम्पनी लिमिटेड, मैसूर (जो कि कर्नाटक सरकार का उपक्रम है) से क्रय करके की गई थी। इस निर्वाचन हेतु 5 सीसी मात्रा वाली 68,000 अमिट स्याही की शीशियाँ क्रय की गई। इन चुनावों के लिये जिलों को प्रदाय की गई अमिट स्याही का विवरण परिशिष्ट-तेरह में दिया गया है।

(ii) निर्वाचन हेतु विभिन्न निर्देश पुस्तिकाएँ, प्ररूप एवं लिफाफों की व्यवस्था :—पंचायत निर्वाचन नियम 1995 सहित विभिन्न निर्देश पुस्तिकाएँ, निर्वाचन नियम में निर्धारित प्ररूप एवं आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र शासकीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित कराकर जिलों को प्रदाय करने की व्यवस्था की गई। इसी प्रकार निर्वाचन प्रक्रिया में उपयोग में आने वाले परिनियत लिफाफे भी शासकीय मुद्रणालय, भोपाल से तैयार कराकर जिलों को प्रदाय किये गये। प्रत्येक जिले में लगने वाली सामग्री की आवश्यकता का आंकलन कर जिलों को सामग्री वितरित की गई। वितरित सामग्री का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-चौदह (अ) (ब) (स) पर दिया गया है।

(iii) अन्य लेखन सामग्री :—जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, रिटर्निंग आफिसर कार्यालय, मतदान के समय मतदान केन्द्रों एवं मतगणना में उपयोग में आने वाली लेखन सामग्री (जैसे कागज, कार्बन, पिन, स्टाम्प पेड, स्याही इत्यादि) शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश के माध्यम से क्रय कर जिलों को वितरित की गई। विगत निर्वाचनों के अनुभव के आधार पर (प्रति मतदान केन्द्र के मान से) विभिन्न जिलों के लिये सामग्री का आंकलन कर जिलों को वितरित की गई। वितरित की गई सामग्री का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-पन्द्रह पर है।

(III) जिला स्तर पर स्थानीय क्रय के माध्यम से व्यवस्था :—

शासकीय मुद्रणालय द्वारा प्रदाय में असमर्थता व्यक्त करने के कारण निम्नलिखित सामग्री को स्थानीय तौर पर क्रय करने के निर्देश दिये गये:—

- (1) फीता सूती, (2) धागे के साथ 3×5 से. मी. के आकार के मोटे कागज के टुकड़े, (3) स्केल,
  - (4) रबर बैंड 4 इंच, (5) माचिस, (6) लचीले तार के टुकड़े, (7) लोहे की कीलें, (8) चाक स्टिक,
  - (9) सुभेदक मोहरें, (10) सादे कागज की सील (11), (गोदरेज टाईप मतपेटी हेतु) (11) पद नाम की मोहरें (12) मतदान केन्द्र से 100 मीटर की दूरी दर्शने वाले पोस्टर, (13) पता पर्ची (एड्रेस टेग)।
-

## निर्वाचन कार्यक्रम

पंचायत निर्वाचन के लिए स्थापित मतदान केन्द्रों की भारी संख्या, तथा सुरक्षा बल सहित अन्य संसाधनों की उपलब्धता पर विचार करने के पश्चात् आयोग द्वारा मतदान तीन चरणों में कराए जाने का निर्णय लिया गया और इस हेतु समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों से मतदान के प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण में जिले के विकासखण्डों को सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किए गए। जिलों से प्राप्त प्रस्तावों का आयोग द्वारा परीक्षण कर अनुमोदन किया गया। सामान्यतया चुनाव तीन चरणों में कराया गया किन्तु जिलों की स्थिति को देखते हुए और उनके प्रस्तावों पर विचार करते हुए कुछ जिलों में चुनाव एक या दो चरणों में कराये गये। भोपाल में एक चरण में, रतलाम, देवास, इन्दौर, खण्डवा, शहडोल, बुरहानपुर, पन्ना, डिंडौरी एवं उमरिया जिलों में दो चरणों में तथा शेष जिलों में तीन चरणों में चुनाव कराए गए। मतदान हेतु प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण में विकासखण्डों के विभाजन की यह योजना अत्यन्त लाभकारी सिद्ध हुई। जहाँ एक ओर मतपेटियों की आवाजाही में समय और परिवहन की व्यवस्था सुचारू बनी रही वहाँ दूसरी ओर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बल भी सुगमता से उपलब्ध हो गया। मतदान के प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण में सम्मिलित विकासखण्डों की जिलावार सूची परिशिष्ट-सोलह पर दृष्टव्य है।

2. ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियाँ अंतिम रूप से प्रकाशित होने के पश्चात् दिनांक 16-12-2004 को आयोग द्वारा पंचायतों के तृतीय आम चुनाव की घोषणा की गई।

3. पंचायत निर्वाचन, 2005 के लिए निर्धारित कार्यक्रम (समय अनुसूची) निम्नानुसार था :—

क्र.	कार्यवाही	निर्धारित तारीख और समय
(1)	(2)	(3)
1.	(i) निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करना। (ii) स्थानों (सीटों) के आरक्षण की स्थिति के सम्बन्ध में सूचना का प्रकाशन। (iii) मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन	22-12-2004 (बुधवार) 10.30 बजे
2	नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि	28-12-2004 (मंगलवार) 3.00 बजे तक
3	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जाँच) करने की तारीख।	29-12-2004 (बुधवार) 10.30 बजे से
4	अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख	31-12-2004 (शुक्रवार) 3.00 बजे तक
5	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूचियाँ तैयार करना (और उन्हें मुद्रण हेतु भेजना)।	31-12-2004 (शुक्रवार) 3.00 बजे के पश्चात्

		प्रथम चरण	द्वितीय चरण	तृतीय चरण
6	मतदान (प्रातः 7.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक).	16-1-2005 (रविवार)	19-1-2005 (बुधवार)	23-1-2005 (रविवार)
7	मतगणना की तारीख (i) मतदान केन्द्र पर की जाने वाली मतगणना के लिए (ii) खण्ड मुख्यालय पर की जाने वाली मतगणना के लिए.	16-1-2000 (रविवार) (मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद).	19-1-2005 (बुधवार) (मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद).	23-1-2005 (रविवार) (मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद).
8	सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा		1. 27-1-2005 (गुरुवार) प्रातः 8.00 बजे से 2. 28-1-2005 (शुक्रवार) प्रातः 8.00 बजे से	
			पंच, सरपंच, जनपद पंचायत	
			27-1-2005 (गुरुवार) प्रातः 8.00 बजे से	
			28-1-2005 (शुक्रवार) प्रातः 8.00 बजे से	
			जिला पंचायत	
			29-1-2005 (शनिवार) प्रातः 10.30 बजे से	

4. उपर्युक्त निर्वाचन कार्यक्रम जारी करते हुए आयोग द्वारा समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों (पंचायत) को निम्नानुसार निर्देश भी दिये गये:—

(1) म. प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 28 के अन्तर्गत यथास्थिति प्ररूप 2 या 3 में, ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों एवं जिला पंचायतों के लिये निर्वाचन की सूचना जारी की जाए, जिनमें पंचों/सरपंचों/जिला पंचायत सदस्यों/ जनपद पंचायत सदस्यों का पांच वर्षीय कार्यकाल फरवरी, 2005 में पूरा हो रहा हो।

(2) निर्वाचन की सूचना (प्ररूप-2 या 3) के साथ—

- (i) नियम- 29 के अन्तर्गत प्ररूप-3-क या 3-ख में स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना,
- (ii) नियम-23 (1) की अपेक्षा के अनुसार मतदान केन्द्रों की सूची, का भी प्रकाशन किया जाये।

(3) ऐसी पंचायतों/पदों के लिए निर्वाचन की सूचना प्रकाशित न की जाए जिसके निर्वाचन की कार्यवाही किसी न्यायालयीन आदेश के अन्तर्गत स्थगित की गई हो अथवा जिसके निर्वाचन न कराये जाने के संबंध में आयोग द्वारा पृथक्षशः आदेश जारी किया गया हो।

(4) ऐसी ग्राम पंचायतों के पंचों तथा सरपंचों के निर्वाचन के लिये सूचना प्रकाशित न की जाये जिनका गठन विगत आम निर्वाचन के बाद हुआ हो अथवा जिनका निर्वाचन फरवरी, 2000 के पश्चात् हुआ हो और उनका पांच वर्षीय कार्यकाल फरवरी, 2005 में पूरा नहीं हो रहा हो। तथापि इन ग्राम पंचायतों के मतदाता अपने क्षेत्रों के जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन में मतदान करेंगे।

(5) नवगठित ऐसी ग्राम पंचायतों के पंचों तथा सरपंचों के लिये भी निर्वाचन की सूचना प्रकाशित की जाए जिनमें वार्डों के परिसीमन तथा आरक्षण की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है और जिनमें पंचों और सरपंचों के लिये पहली बार निर्वाचन हो रहा है।

(6) यद्यपि मतदान एक से लेकर तीन चरणों में कराया जायेगा किन्तु निर्वाचन की सूचना के प्रकाशन से लेकर अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने तक की समस्त कार्यवाही सभी विकासखण्डों में एक साथ की जायेगी।

(7) पंचायतों के निर्वाचन में मतों की गणना सामान्यतः मतदान केन्द्रों पर कराई जाती है किन्तु यदि किसी/किन्हीं मतदान केन्द्रों की विशिष्ट परिस्थिति के कारण पूर्व से ही यह आभास हो कि कुछ मतदान केन्द्रों पर अथवा विकासखण्ड के सभी मतदान केन्द्रों पर मतगणना कराया जाना पूर्णतः असुरक्षित होगा और ऐसी विशिष्ट परिस्थितियों में मतगणना विकासखण्ड मुख्यालय पर करने का निर्णय लिया जाता है तो निर्वाचन की सूचना (प्रूफ-2 एवं 3) में इसका उल्लेख किया जाए तथा इस संबंध में आयोग द्वारा जारी निर्देश क्रमांक एफ-37-10-2004/तीन/1534, दिनांक 15-12-2004 का पालन सुनिश्चित किया जाए।

(8) निर्वाचन के संचालन की सभी कार्यवाहियाँ मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 तथा आयोग द्वारा समय-समय पर प्रसारित निर्देशों के अनुसार की जाए।

5. इस निर्वाचन के लिये किये गये दो नवीन प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए निम्न निर्देश दिये गये:—

1. मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 31 में संशोधन के फलस्वरूप पंच पद के प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने नामनिर्देशन पत्र के साथ आयोग द्वारा विहित प्रूफ में घोषणा-पत्र तथा सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, एवं जिला पंचायत सदस्य के प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ शपत्र-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है। जिसमें

अभ्यर्थी की आपराधिक पृष्ठभूमि, संपत्ति एवं दायित्वों तथा शैक्षणिक योग्यता की जानकारी होगी। इस नियम का पालन सुनिश्चित करने हेतु आयोग द्वारा दिनांक 22-9-2004 को आदेश जारी कर पंच पद के अभ्यर्थियों के लिये घोषणा पत्र तथा सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के लिये शपथ-पत्र का प्ररूप निर्धारित किया गया। ये प्ररूप क्रमशः परिशिष्ट सत्रह (अ) एवं (ब) पर दिये गये हैं। अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र/शपथ पत्र दो हस्ताक्षरित अतिरिक्त प्रतियों सहित प्राप्त किये जाये। इनमें से मूल प्रति नाम निर्देशन पत्र के साथ रखी जाये। अतिरिक्त दो प्रतियों में से एक प्रति रिटर्निंग ऑफिसर के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये तथा दूसरी प्रति रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में रखी जाये। किसी निर्वाचक द्वारा मांगे जाने पर घोषणा पत्र/शपथ पत्र की प्रमाणित प्रति प्रदाय की जाये। यदि कोई निर्वाचक किसी अभ्यर्थी के शपथ पत्र में दी गई जानकारी के विरुद्ध शपथ-पत्र प्रस्तुत करता है तो उसकी प्रति भी रिटर्निंग ऑफिसर के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये।

2. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा-36 में किये गये संशोधन के फलस्वरूप अब वे अभ्यर्थी, जो पंचायतों के किसी भी प्रकार के बकायादार हैं और या जिन्होंने शासकीय या पंचायत की भूमि या भवन पर अतिक्रमण कर कब्जा किया है, निर्वाचन लड़ने के पात्र नहीं होंगे। अतः अभ्यर्थियों से इस आशय का घोषणा पत्र भी नाम निर्देशन पत्र के साथ प्राप्त किया गया। आयोग द्वारा यह भी निर्देश दिए गए कि वे पंचायत के किसी प्रकार के बकायादार नहीं हैं एवं उनका पंचायत तथा सरकार की किसी भूमि या भवन पर अतिक्रमण नहीं है। घोषणा-पत्र का प्ररूप परिशिष्ट-अठारह पर है।
-

## नाम निर्देशन एवं निर्विरोध निर्वाचन

रिटर्निंग ऑफिसरों के मार्गदर्शन के लिए आयोग द्वारा “निर्वाचन संदर्शिका” शीर्षक के अन्तर्गत एक मार्गदर्शी पुस्तिका प्रसारित की गई। इसमें नियमों एवं उपबंध को रेखांकित किया गया है और रिटर्निंग ऑफिसरों के मार्गदर्शन के लिये विस्तृत निर्देश दिये गये हैं। इनके अन्तर्गत नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करने और उनकी संवीक्षा की भी व्यवस्था की गई है।

### नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति :—

आयोग द्वारा निर्धारित समय सारणी (निर्वाचन कार्यक्रम) के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारियों ने दिनांक 22-12-2004 को निर्वाचन की औपचारिक सूचना जारी की। इसी तिथि से नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने का कार्य प्रारंभ हो गया। जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि वे निर्वाचन की औपचारिक सूचना जारी होने के पूर्व, विभिन्न पदों के लिए नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने के संबंध में की गई व्यवस्था अर्थात् नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जाने के लिए निर्धारित स्थान और समय, अधिकारी जिसे वे प्रस्तुत किए जाएंगे आदि का व्यापक प्रचार-प्रसार करें। उन्हें विभिन्न वर्गों के लिये आरक्षित वार्डों/निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में भी गाँव-गाँव में प्रचार करने के लिए कहा गया ताकि निर्वाचन लड़ने के इच्छुक अभ्यर्थियों को इस संबंध में किसी प्रकार का भ्रम न रहे।

प्रति विकासखण्ड ग्राम पंचायतों की औसत संख्या 72 से कुछ अधिक होने के कारण आयोग का अनुमान था कि पंच तथा सरपंच पद के लिये निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की प्रति विकासखण्ड औसत संख्या एक हजार से ऊपर हो सकती है। (वस्तुतः यह संख्या 1698 पर जा पहुँची) ऐसी स्थिति में विकासखण्ड स्तरीय रिटर्निंग ऑफिसर के लिए यह संभव नहीं था कि वह सभी पंच तथा सरपंच पद के अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र स्वयं प्राप्त करें एवं तत्पश्चात् स्वयं ही उनकी संवीक्षा करें। दूर-दराज के गांवों से सभी पंच/सरपंच के अभ्यर्थियों को विकासखण्ड मुख्यालय तक आने में असुविधा भी होती। अतः पंच तथा सरपंच पदों के लिए नाम निर्देशन पत्र, विकासखण्ड में एकाधिक केन्द्रों पर प्राप्त करने के लिए सहायक रिटर्निंग ऑफिसरों को प्राधिकृत किया गया। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि:—

- (i) विकासखण्ड की ग्राम पंचायतों को चार-पाँच समूहों में विभाजित करते हुए प्रत्येक समूह की पंचायतों में पंचों तथा सरपंच के पद के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के उद्देश्य से एक ऐसा प्रमुख स्थान छाँटा जाय, जहाँ हाट बाजार लगता हो, कोई उपयुक्त शासकीय भवन (शाला या अन्य कार्यालय) हो, पुलिस थाना या चौकी हो तथा जहाँ आने जाने के लिए सुगम मार्ग और यातायात के साधन सुलभ हो। यदि कदाचित् ऐसे स्थान पर पुलिस चौकी या पुलिस थाना न हो तो नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अवधि के दौरान वहाँ पर एक पुलिस

- पिकेट (दस्ता) तैनात करने की व्यवस्था की जाए। विकासखण्ड के आकार एवं भौगोलिक संरचना को देखते हुए ऐसे केन्द्रों/स्थानों की संख्या का निर्धारण जिला निर्वाचन अधिकारी के ऊपर छोड़ दिया गया।
- (ii) निर्धारित केन्द्रों का चयन करने के पश्चात् उनसे सम्बद्ध ग्रामों में मुनादी सहित अन्य प्रचार माध्यमों का उपयोग करते हुए इस बात का लगातार प्रचार किया जाए कि उन ग्रामों के पंच तथा सरपंच पद के अभ्यर्थी, निर्धारित केन्द्र में अपने नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकते हैं।
  - (iii) प्रत्येक केन्द्र में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने का दायित्व एक सहायक रिटर्निंग आफिसर को सौंपा जाए।
  - (iv) नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करते समय, रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसरों को विशेष रूप से यह निर्देश दिये गये कि:—
    - (अ) जैसे ही कोई नाम निर्देशन पत्र दाखिल हो, सरसरी तौर से उसकी जाँच कर ले जैसे कि अभ्यर्थी और उसके प्रस्तावक का मतदाता सूची क्रमांक सही अंकित है या नहीं, अभ्यर्थी ने अपनी आयु लिखी है या नहीं आदि। यदि ऐसा न किया गया हो तो इस ओर अभ्यर्थी का ध्यान आकृष्ट करते हुए उसे ठीक से प्रविष्टि करने और त्रुटि सुधारने का अवसर दिया जाए।
    - (ब) नाम निर्देशन पत्र में कॉट-छाँट अथवा ओवर राइटिंग की गई हो तो वहाँ अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक से लघु हस्ताक्षर करवा लिए जाए।
    - (स) पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 31-क (1) अथवा (2) के अन्तर्गत अभ्यर्थी द्वारा घोषणा-पत्र अथवा शपथ पत्र निर्धारित प्रपत्र में दो अतिरिक्त हस्ताक्षरित प्रतियों सहित नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न किये हैं अथवा नहीं। यदि नहीं तो इन्हें संलग्न करावें। साथ ही संलग्न घोषणा-पत्र/शपथ पत्र को भी उसी समय चेक कर लिया जाए। यदि उसमें कोई प्रविष्टि छूट गई हो तो उसकी पूर्ति करा ली जाए एवं मूलप्रति से अन्य प्रतियों का मिलान कर लिया जाए, यदि कोई अन्तर हो तो उसे ठीक करा लिया जाए।
  - (v) नाम निर्देशन के लिए निर्धारित अंतिम तारीख को सहायक रिटर्निंग आफिसर निर्धारित समयावधि तक प्रस्तुत सभी नाम निर्देशन पत्रों को अपने साथ लेकर विकासखण्ड मुख्यालय पर लौट आएँ तथा पंच एवं सरपंच पद के लिए प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों की पंचायतवार एकजाई सूची, संवीक्षा हेतु तैयार करें।
  - (vi) यदि कोई अभ्यर्थी नाम निर्देशन पत्र खण्ड मुख्यालय पर दाखिल करने आए तो वहाँ पर भी रिटर्निंग आफिसर या इस हेतु प्राधिकृत सहायक रिटर्निंग आफिसर द्वारा नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाए।
  - (vii) नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा विकासखण्ड मुख्यालय में ही की जाए। पंच पद के नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा का कार्य सहायक रिटर्निंग आफिसर द्वारा रिटर्निंग आफिसर के दिशा-निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में किया जाय। यदि सहायक रिटर्निंग आफिसर पंच के पद के लिए किसी नाम

निर्देशन पत्र को अस्वीकृत करने योग्य समझे तो वह उसे आदेशार्थ रिटर्निंग आफिसर को प्रस्तुत करेगा और स्वयं किसी नाम निर्देशन पत्र को अस्वीकृत करने का आदेश पारित नहीं करेगा।

### नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा :—

संवीक्षा के संबंध में रिटर्निंग आफिसरों को निम्नानुसार निर्देश दिये गये :—

- (i) संवीक्षा में किसी नाम निर्देशन पत्र को किसी लिपिकीय या मुद्रण संबंधी भूल या किसी ऐसी त्रुटि के आधार पर जो सारभूत प्रकार की न हो अस्वीकृत (प्रतिक्षेपित) नहीं किया जाना चाहिए। संवीक्षा में नाम निर्देशन पत्र इस आधार पर कदापि अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए कि संवीक्षा के समय अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता उपस्थित नहीं था।
- (ii) यदि नाम-निर्देशन पत्र अस्वीकृत करने का निर्णय लिया जाय तो इसके लिए कारणों का संक्षिप्त विवरण अभिलिखित किया जाना चाहिए।
- (iii) नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के पश्चात् यदि किसी स्थान (सीट) के लिए अन्य सभी अभ्यर्थियों के लिए नाम निर्देशन पत्र खारिज हो जाने के कारण केवल एक अभ्यर्थी रह जाये तो मध्यप्रदेश पंचायत नियम, 1995 के नियम 36 के अन्तर्गत प्रावधान है कि रिटर्निंग आफिसर अपना प्रतिवेदन प्रकरण के संपूर्ण अभिलेख सहित तत्काल सक्षम पुनरीक्षण प्राधिकारी को भेजेगा और उनके आदेश के अनुसार कार्य करेगा। ग्राम पंचायत के पंच अथवा सरपंच के मामले में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जनपद पंचायत सदस्य के मामले में कलेक्टर एवं जिला पंचायत सदस्य के मामले में संभागीय आयुक्त सक्षम पुनरीक्षण प्राधिकारी है। यदि पुनरीक्षण अधिकारी का आदेश अभ्यर्थिता वापसी के लिए नियत तारीख को निर्धारित समय के पूर्व रिटर्निंग आफिसर को प्राप्त नहीं होता तो प्रश्नाधीन स्थान (सीट) के लिए निर्वाचन स्थगित कर दिया जाएगा।

### अभ्यर्थिता वापसी :—

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 37 में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि अभ्यर्थिता वापसी के आवेदन पत्र की प्रमाणिकता और परिदृत करने वाले व्यक्ति की पहचान के संबंध में रिटर्निंग आफिसर को विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। यदि अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित न हो तो और भी अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। अभ्यर्थिता वापसी का आवेदन पत्र तभी स्वीकार किया जाना चाहिए जब उसके साथ नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय दी गई मूल रसीद भी प्रस्तुत की गई हो। पंच तथा सरपंच की अभ्यर्थिता का वापसी की कार्यवाही खण्ड स्तर से नीचे निर्धारित उन केन्द्रों पर भी की जाती है जहाँ अभ्यर्थियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल किये गये थे इस संबंध में आवेदन पत्र संबंधित सहायक रिटर्निंग आफिसर द्वारा प्राप्त और स्वीकृत किए जाते हैं। परन्तु जनपद पंचायत सदस्य के लिए अभ्यर्थिता की वापसी का आवेदन खण्ड मुख्यालय पर तथा जिला पंचायत सदस्य के लिये जिला मुख्यालय पर संबंधित रिटर्निंग आफिसर के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं।

म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 40 के में प्रावधान है कि यदि मतदान की तारीख से पहले रिटर्निंग आफिसर को ज्ञात होता है कि ऐसे किसी अभ्यर्थी का जो प्रथमदृष्ट्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग का नहीं है, का नाम निर्देशन किसी ऐसे स्थान के लिए किसी भी कारण से स्वीकृत हो गया है जो यथास्थिति इस वर्ग के लिए आरक्षित नहीं हैं तो वह तत्काल अभ्यर्थी को सूचना जारी करेगा कि वह उस वर्ग का सदस्य होने के बावजूद जिसके लिए स्थान आरक्षित है एक शपथ पत्र दाखिल करें। यदि संबंधित अभ्यर्थी शपथ-पत्र दाखिल कर देता है तो रिटर्निंग ऑफिसर प्रकरण में आगे जांच नहीं करेगा और नाम निर्देशन को वैध माना जाएगा। यदि अभ्यर्थी शपथ-पत्र दाखिल करने में असफल रहता है तो यह समझा जाएगा कि वह उस वर्ग का सदस्य नहीं है जिसके लिए स्थान आरक्षित है। इस स्थिति में रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा सक्षम प्राधिकारी को पूरे तथ्य प्रतिवेदित किये जाकर नाम निर्देशन की वैधता के संबंध में अपने आदेश के पुनर्विलोकन की अनुमति प्राप्त की जाएगी। ग्राम पंचायत के पंच अथवा सरपंच के मामले में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जनपद पंचायत सदस्य के मामले में कलेक्टर एवं जिला पंचायत सदस्य के मामले में संभागीय आयुक्त सक्षम प्राधिकारी है। सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त होने पर रिटर्निंग ऑफिसर अपने आदेश का पुनर्विलोकन कर नियम 35 के अधीन तैयार की गई विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची में से अभ्यर्थी का नाम निकाल देगा। तथा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची को संशोधित कर प्रकाशित करेगा। यदि सक्षम अधिकारी संदर्भित मामले का निपटारा मतदान के दिन के कम-से-कम 5 दिन पहिले करने में असफल रहता है या रिटर्निंग आफिसर को नाम-निर्देशन स्वीकार करने के संबंध में त्रुटि का ज्ञान उस दिन होता है जिसके बाद मतदान के लिये 7 दिन से कम की अवधि बची हो तो रिटर्निंग आफिसर ऐसे स्थान के लिये निर्वाचन स्थगित कर देगा।

#### **निर्विरोध निर्वाचन :**

विभिन्न स्तर की पंचायतों में उन स्थानों (सीटों) की जिलावार संख्या जिनमें एक से अधिक अभ्यर्थियों के खड़े न होने के कारण निर्विरोध निर्वाचन हुए, उन स्थानों की संख्या जहां सविरोध निर्वाचन हुआ और इन स्थानों पर अभ्यर्थियों की संख्या और ऐसे स्थानों की संख्या जिनमें किसी ने भी नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत नहीं किया, से संबंधित आंकड़े परिशिष्ट उनीस (i) से (iv) में दिए गए हैं। इन आंकड़ों के विश्लेषण से उद्भूत कुछ उल्लेखनीय बातें निम्नांकित हैं :—

- (1) ग्राम पंचायतों में पंचों की 12,438 सीटें ऐसी थीं जिनके लिए किसी ने नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत नहीं किए तथा 4,558 स्थानों के लिए सभी नाम निर्देशन पत्र खारिज हो गये, इसलिए ये पद रिक्त रह गए। सरपंचों तथा जनपद पंचायत के सदस्यों के मामले में नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत न होने के तथा नाम निर्देशन पत्र खारिज हो जाने के कारण रिक्त सीटों की संख्या अपेक्षाकृत कम अर्थात् क्रमशः 126 व 02 थीं जबकि जिला पंचायत सदस्यों के मामले में नाम निर्देशन पत्र सभी स्थानों के लिए प्रस्तुत हुए। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत न होने तथा खारिज हो जाने के कारण रिक्त स्थानों का विवरण परिशिष्ट-बीस में दिया गया है।
- (2) अभ्यर्थिता की वापसी के पश्चात् विभिन्न पदों के लिए जो अभ्यर्थी चुनाव मैदान में शेष रहे

गए उनकी संख्या पूर्वानुमान से कम निकली। पंचों के 57.22 प्रतिशत स्थानों (सीटों) पर मात्र एक-एक अभ्यर्थी शेष रह जाने से, उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। निर्विरोध निर्वाचित अभ्यर्थियों का प्रतिशत सरपंचों के मामले में 3.58 जनपद पंचायत सदस्यों के मामले में 1.95 तथा जिला पंचायत सदस्यों के मामले में 0.60 था।

- (3) मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 46 में प्रावधान है कि यदि मतदान प्रारंभ होने के पूर्व किसी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाती है और उस स्थान के लिए निर्वाचन लड़ने वाला एक ही अभ्यर्थी शेष रह जाता है तो रिटर्निंग आफिसर उस अभ्यर्थी की मृत्यु के तथ्य के बारे में समाधान कर लेने के पश्चात् मतदान को प्रत्यादिष्ट कर देगा। इस निर्वाचन के संदर्भ में समस्त कार्यवाहियाँ ऐसे प्रारंभ की जाएगी जैसे कि वह नये निर्वाचन के लिए आरम्भ की जाती है। इस निर्वाचन में 18 स्थानों के लिये मतदान प्रत्यादिष्ट किया गया। इसकी जिलावार सूची परिशिष्ट-इक्कीस पर है।
- (4) निर्वाचन कुल 3,91,332 स्थानों (सीटों) में से कुल 1,66,588 स्थानों (सीटों) के लिए सविरोध निर्वाचन हुआ जिनमें कुल 5,32,319 अभ्यर्थी खड़े हुए। प्रत्येक वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र में अभ्यर्थियों की औसत संख्या निम्नानुसार थी:—

पंचायत का नाम	पद	पदों की संख्या	निर्विरोध निर्वाचन	रिक्त रह गये पदों की संख्या	सविरोध निर्वाचन स्थान	अभ्यर्थियों की संख्या	अभ्यर्थियों की औसत संख्या
1. ग्राम पंचायत	पंच	3,60,954	2,06,557	17097*	1,37,300	3,50,931	2.56
	सरपंच	22,731	814	135*	21,782	1,32,250	6.07
2. जनपद पंचायत	सदस्य	6,811	133	3**	6,675	41,819	6.27
3. जिला पंचायत	सदस्य	836	5	0	831	7,319	8.81

\* नाम निर्देशन पत्र दाखिल नहीं होने, सभी नाम निर्देशन खारिज हो जाने, आयोग/न्यायालयों द्वारा निर्वाचन स्थगित किए जाने, निर्वाचन प्रत्यादिष्ट हो जाने एवं मतदान का बहिष्कार किए जाने के कारण रिक्त रहे।

\*\* 02 स्थान (जिला रायसेन) नाम निर्देशन पत्र खारिज होने के कारण तथा 01 स्थान (जिला पन्ना) न्यायालय द्वारा निर्वाचन स्थगित किए जाने से रिक्त रहे।

अतः स्पष्ट है कि इन चुनावों में जिला पंचायत सदस्य के लिए अभ्यर्थियों की सर्वाधिक रूचि प्रदर्शित हुई। जनपद पंचायत के सदस्य एवं सरपंच के पद के लिए भी अभ्यर्थियों में काफी रूचि रही। किन्तु ग्राम पंचायत के पंच पद के लिए अभ्यर्थियों की अपेक्षाकृत कम रूचि दिखाई दी।

## मतदान से पूर्व की व्यवस्था

### 1. मतदान दलों का गठन एवं प्रशिक्षण :

(1) त्रिस्तरीय पंचायतों में चार-चार पदों (अर्थात् पंच, सरपंच, जनपद पंचायत, जिला पंचायत सदस्य) के लिए एक साथ निर्वाचन होने के कारण मतदान दलों के प्रशिक्षण की ओर विशेष ध्यान देना आवश्यक था। पंचायत निर्वाचन में मतदान और मतगणना से संबंधित नियमों के बुनियादी प्रावधान वे ही हैं जो लोक प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये निर्वाचन नियमों में लोक सभा/विधानसभा निर्वाचन के लिए हैं, तथापि पंचायत निर्वाचन की विशिष्टताओं को मतदान/मतगणना कार्मिकों को ठीक से समझाना आवश्यक था ताकि वे इस संबंध में कोई त्रुटियाँ न करें।

(2) मतदान केन्द्रों की बहुतायत तथा जिलों में राज्य सरकार तथा सरकारी उपक्रमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में उपलब्ध अधिकारियों/कर्मचारियों की सीमित संख्या के कारण वांछित संख्या में मतदान दलों का गठन आसान नहीं था। बाहरी जिलों से कर्मचारी भेजने की स्थिति में उनके आवास-भोजन आदि की नई समस्या उठ खड़ी होती। अतः यह उपयुक्त समझा गया कि पीठासीन अधिकारी तथा मतदान अधिकारी क्र. 1 (जो कि अपरिहार्य परिस्थितियों में पीठासीन अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन करता है) जिले में उपलब्ध वरिष्ठ और अनुभवी कर्मचारियों में से नियुक्त करते हुए, अन्य मतदान अधिकारियों के नियुक्ति के मापदण्ड कुछ शिथिल किए जाएँ। तदनुसार मतदान दलों के गठन के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारियों को निम्नांकित निर्देश दिये गये:—

- (i) पीठासीन अधिकारी के पद पर, निर्वाचन नियम 24(1) के अनुसार केवल किसी शासकीय सेवक या स्थानीय निकाय या सरकार के अधीन किसी सार्वजनिक उपक्रम के अधिकारी/ कर्मचारी को ही नियुक्त किया जाए। मतदान केन्द्र पर उसकी महत्वपूर्ण भूमिका के परिप्रेक्ष्य में यह अधिकारी पर्याप्त वरिष्ठ और अनुभवी होना चाहिए।
- (ii) सामान्यतया प्रत्येक मतदान केन्द्र में पीठासीन अधिकारी के अतिरिक्त 4 मतदान अधिकारी नियुक्त किए जाए। मतदान अधिकारी क्र. 1 का दायित्व ऐसे अधिकारी को सौंपा जाए जो अपेक्षाकृत अधिक अनुभवी हो। मतदान अधिकारी क्र. 4 का कोई विशेष दायित्व न होने से वह सबसे कनिष्ठ या चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी हो सकता है। जिन मतदान केन्द्रों में मतदाताओं की संख्या 400 से कम हो उनमें मतदान अधिकारियों की संख्या 4 से घटाकर 3 रखी जाए। ऐसे मतदान केन्द्रों में मतदान अधिकारी क्र. 2 और 3 का कार्य एक ही अधिकारी को सौंपा जाए।

यह उल्लेखनीय है कि मतदान अधिकारी क्रमांक 1 मतदाता की पहचान स्थापित करने तथा उसकी अंगुली में अमिट स्याही लगाने का कार्य करता है जबकि मतदान अधिकारी क्र. 2 पंच तथा सरपंच पद के लिए मतपत्र देने का तथा मतदान अधिकारी क्र. 3 जनपद पंचायत सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्य के लिये मतपत्र देने का कार्य करता है। मतदान अधिकारी क्र. 4 का मुख्य कार्य मतपेटी पर नजर रखना तथा बीच-बीच में “पुशर” के द्वारा मतपेटी में डाले गये मतपत्रों को अन्दर करना है।

- (iii) पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी क्रमांक-1 के चयन के पश्चात् कर्मचारियों की सूची से ऐसे कर्मचारी जो हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा जिनका सेवाकाल एक वर्ष से अधिक का हो गया हो, मतदान अधिकारी क्र. 2 या 3 के पद पर नियुक्त किये जा सकते हैं और शेष को मतदान अधिकारी क्र. 4 नियुक्त किया जा सकता है। यथासंभव प्रत्येक मतदान दल में एक महिलाकर्मी रखी जाए। ऐसी महिला मतदान अधिकारी उस ग्राम पंचायत क्षेत्र में निवास करने वाली या उसके अंतर्गत किसी विद्यालय/कार्यालय/संस्था में कार्य करने वाली भी हो सकती है जिसमें मतदान केन्द्र स्थित है।
- (iv) आवश्यक सेवाओं में संलग्न अमले को निर्वाचन द्वयूटी से मुक्त रखा जाए। इस प्रकार की छूट लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जल प्रदाय, विद्युत् प्रदाय तथा दुग्ध प्रदाय से संबंधित विभागों/संस्थानों के फील्ड स्तर पर कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों को दी जाए।
- (v) किसी भी विकासखण्ड (अर्थात् जनपद पंचायत क्षेत्र) के अन्तर्गत पदस्थ, किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को उस विकासखण्ड के किसी मतदान केन्द्र पर पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के तौर पर नियुक्त न किया जाए। इसका अपवाद केवल महिला मतदान अधिकारी क्रमांक 04 (जो कि सामान्यतया एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हुआ करता है) होंगे। दूसरे शब्दों में, महिला कर्मचारियों तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर, शेष सभी कर्मचारियों की मतदान-कार्मिकों के रूप में नियुक्ति, उनकी पदस्थापना के विकासखण्ड से भिन्न किसी अन्य विकासखण्ड में अर्थात् उससे लगे हुए किसी विकासखण्ड में की जाये। साथ ही इस बात का ध्यान रखा जाए कि ऐसा कोई भी कर्मचारी जो किसी विकासखण्ड का मूल निवासी है, उसके अन्तर्गत आने वाले मतदान में केन्द्र के पीठासीन अधिकारी के तौर पर नियुक्त न हो।
- (vi) जिले में मतदान केन्द्रों की संख्या से कम से कम 5 प्रतिशत अधिक मतदान दल गठित किए जाएं ताकि आपात स्थिति में शेष दल, आरक्षित दलों के रूप में उपलब्ध हो सकें।
- (vii) मतदान दलों का गठन रिटर्निंग आफिसर द्वारा उसी सूची में समाविष्ट अधिकारियों/कर्मचारियों में से किया जाए जो जिला निर्वाचन अधिकारी (अर्थात् कलेक्टर) द्वारा अनुमोदित की गई हो। उस सूची के बाहर का कोई व्यक्ति किसी दल में सम्मिलित न किया जाए।

(3) प्रशिक्षण के ठीक से आयोजन के उद्देश्य से निम्नानुसार व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए:—

- (i) सर्वप्रथम जिला, तहसील और विकासखण्ड स्तर पर 2 या 3 उपयुक्त वरिष्ठ अधिकारियों का चयन प्रशिक्षकों के रूप में किया जाए तथा उनकी जिला मुख्यालय पर एक बैठक आयोजित करके उन्हें समस्त नियमों/निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी जाए। प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण की इस बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा स्वयं भाग लेकर सारी पृच्छाओं/शंकाओं का समाधान किया जाए तथा उन्हें नियमों और निर्देशों का एक पूरा “सेट” उपलब्ध कराया जाए।
- (ii) तत्पश्चात् प्रशिक्षकों द्वारा पीठीसीन अधिकारियों तथा मतदान अधिकारियों (क्रमांक 1) को सम्मिलित प्रशिक्षण दिया जाय। एक प्रशिक्षण सत्र में उतने ही अधिकारी रखे जायें जिन्हें भली प्रकार प्रशिक्षित किया जा सके। रिटर्निंग अधिकारी भी इन सत्रों में उपस्थित रहें।  
इन अधिकारियों के कार्य के महत्व को देखते हुए यह भी उचित समझा गया कि मतदान के ठीक पहले इनका एक और प्रशिक्षण कराया जाय जिससे कि वे सभी परिस्थितियों से निपटने में सक्षम रहें।
- (iii) इसके अतिरिक्त मतदान अधिकारी क्र. 2 तथा 3 के भी प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये। इनका कार्य उतना जटिल न होने के कारण इनके लिये एक बार ही प्रशिक्षण की व्यवस्था करना पर्याप्त समझा गया।
- (iv) चूंकि सामान्यतया मतदान की समाप्ति के पश्चात् मतदान केन्द्र पर ही मतों की गणना का कार्य किया जाना अपेक्षित है और यह कार्य बहुत संवेदनशील स्वरूप का है, अतएव इसकी ओर प्रशिक्षण में विशेष ध्यान दिया जाय।

## 2. क्षेत्रीय अधिकारियों (जोनल अधिकारियों) की नियुक्ति :

मतदान/मतगणना कार्य सुचारू रूप से सम्पन्न कराने की दृष्टि से जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे प्रत्येक विकासखण्ड में 20 से 30 मतदान केन्द्रों पर, सामान्य पर्यवेक्षण के लिए एक क्षेत्रीय अधिकारी (जोनल अधिकारी) नियुक्त करें। यह स्पष्ट किया गया कि क्षेत्र का आकार और उसमें सम्मिलित मतदान केन्द्रों की संख्या इस बात पर निर्भर करेगी कि उसकी भौगोलिक संरचना कैसी है अर्थात् उसमें नदी, पहाड़ इत्यादि किस प्रकार के अवरोध हैं, मतदान केन्द्रों की परस्पर दूरी कितनी है तथा पहुँच मार्गों की स्थिति कैसी है। उतने ही मतदान केन्द्रों के लिए एक क्षेत्र बनाया जाए जितने केन्द्रों में, मतदान के दिन क्षेत्रीय अधिकारी कम से कम दो बार पहुँच सके।

ये भी निर्देश दिए गए कि क्षेत्रीय अधिकारी राजपत्रित अधिकारी होने चाहिए तथा उनकी नियुक्ति मतदान की तारीख से कम से कम 15 दिन पूर्व कर दी जानी चाहिए ताकि वे अपने क्षेत्र के सभी मतदान केन्द्रों का एक बार पूर्वावलोकन कर सके और मार्गों की स्थिति तथा मतदान केन्द्र के भवनों की हालत से अवगत हो सके और उनमें समय पर आवश्यक सुधार कार्य करा सके।

### 3. मतदान दलों को सामग्री के वितरण की व्यवस्था :—

(1) मतदान/मतगणना सामग्री का वितरण विकासखण्ड मुख्यालय से ही किया गया और इसका अपवाद केवल ऐसे विकासखण्ड मुख्यालय रहे जिनमें बुनियादी सुविधाओं का अभाव हो जैसे कि पुलिस थाना या ईधन लेने के लिये डीजल/पेट्रोल पम्प का न होना अथवा सामग्री रखने और कर्मियों के ठहरने के लिए उपयुक्त स्थान की अपर्याप्तता।

(2) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को उसके अनुविभाग में स्थित वितरण केन्द्र/केन्द्रों का प्रभारी अधिकारी बनाया गया, ताकि इस कार्य में शासन के विभिन्न विभागों से जो सहयोग चाहिए वह सहजता से प्राप्त हो सके और अन्तर्विभागीय गतिविधियों में समन्वय स्थापित किया जा सके।

(3) ये भी निर्देश दिए गए कि किसी अनुभाग में दो या अधिक विकासखण्डों के लिए एक ही वितरण केन्द्र स्थापित किया गया हो तो ऐसे केन्द्र में, मतदान सामग्री के वितरण के लिए विकास खण्डवार अलग-अलग काउन्टर बनाए जाए।

(4) विकासखण्ड स्तरीय रिटर्निंग आफिसर (तहसीलदार/अतिरिक्त तहसीलदार) को मतदान सामग्री के वितरण आदि के संबंध में निम्नांकित कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई:—

- (i) मतपत्रों के मतदान केन्द्रवार बंडल तैयार कराना और उन्हें वितरण हेतु तैयार करना।
- (ii) मतदान केन्द्रों को दी जाने वाली समस्त निर्वाचन सामग्री के पैकेट तैयार कराना और उन्हें मतदान दलों को वितरित करना।
- (iii) मतदान दलों के परिवहन के लिए मार्ग-चार्ट तैयार करना और विभिन्न मार्गों के लिए वाहन अभिनियोजित करना।
- (iv) मतदान तथा मतगणना के लिए समुचित व्यवस्था करना।
- (v) मतदान दलों की वापसी पर मतपेटियां, सीलें एवं अन्य सामग्री तथा परिनियत लिफाफे और अन्य कागज-पत्र प्राप्त करने के लिये आवश्यक व्यवस्था करना।
- (vi) मतदान दलों को मानदेय वितरित करना तथा उसका विधिवत लेखा रखना।

(vii) विकासखण्ड मुख्यालय पर मतगणना/सारणीकरण करना, निर्वाचन परिणाम घोषित करना तथा उनके संबंध में जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी को शीघ्रता से भिजवाने की समुचित व्यवस्था करना।

सामग्री की वापसी के लिए वितरण केन्द्र पर निम्नांकित काउंटर बनाए जाने और प्रत्येक काउंटर का प्रभार किसी पदाधिकारी (सामान्यतया सहायक रिटर्निंग ऑफिसर) को सौंपे जाने की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए थे:—

काउंटर क्रमांक 1—मतपत्र लेखा, पीठासीन अधिकारी की डायरी तथा मतगणना के परिणाम पत्रक प्राप्त करने के लिए।

काउंटर क्रमांक 2—गिने गए मतपत्रों के बंडल तथा परिनियत लिफाफों के बंडल प्राप्त करने के लिए,

काउंटर क्रमांक 3—अन्य लिफाफों के बंडल, उपयोग में न लाई गई सामग्री एवं खाली मतपेटियां प्राप्त करने के लिए,

काउंटर क्रमांक 4—मानदेय भुगतान के लिए।

#### 4. परिवहन प्रबन्धः—

निर्वाचन की तैयारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मतदान दलों के परिवहन से संबंधित रहता है। स्थानीय तौर पर उपलब्ध शासकीय और अशासकीय वाहनों का मितव्ययिता और दक्षता के साथ उपयोग करने के लिए यह आवश्यक है परिवहन व्यवस्था के लिये एक सुचिन्त्य कार्य योजना तैयार की जाए। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारियों को निम्नांकित निर्देश दिये गये थे:—

(1) जिला निर्वाचन कार्यालय में एक संयुक्त/उप जिलाध्यक्ष को मतदान दलों के परिवहन से संबंधित कार्य की व्यवस्था का प्रभार सौंपा जाए। यह अधिकारी (जिसे संचालन अधिकारी कहा जाए) जिले में उपलब्ध समस्त शासकीय और निजी सवारी वाहनों (बसें, मिनी बसें एवं जीपें) तथा ट्रकों एवं ट्रैक्टर ट्रालियों की जानकारी (बैठक क्षमता/भार वाहन क्षमता, पंजीयन क्रमांक एवं स्वामी/नियंत्रणकर्ता के विवरण सहित) तैयार करें। इस कार्य में परिवहन/सहायक परिवहन अधिकारी तथा मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के आगार/संहायक आगार प्रबंधक की सहायता ली जाए।

(2) संचालन अधिकारी द्वारा प्रत्येक वितरण केन्द्र के प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से, वितरण केन्द्र से संबंधित विकासखण्ड में स्थापित मतदान केन्द्रों तक के पहुँच मार्ग दर्शने वाला एक नक्शा और समस्त मार्गों की एक तालिका (चार्ट) तैयार कराई जाए। नक्शे में मतदान केन्द्रों की अवस्थिति और

उनकी पारस्परिक दूरी दर्शायी जाए। नक्षा लोक निर्माण विभाग और वन विभाग के स्थानीय अधिकारियों तथा तहसीलदार/विकासखण्ड अधिकारी के परामर्श से तैयार किया जाए, ताकि उसमें कोई गलती न रह जाए। ऐसे प्रत्येक मतदान केन्द्र के बारे में, जहाँ कोई वाहन नहीं जा सकता है, यह दर्शाया जाए कि उसके मतदान दल को किस गाँव/स्थान पर उतारा जाएगा और वहाँ से केन्द्र तक कितनी दूरी मतदान दल को पैदल पार करनी होगी।

(3) प्रत्येक विकासखण्ड के लिए उपरोक्तानुसार तैयार कराये गये नक्षे और मार्ग तालिका के आधार पर संचलन अधिकारी द्वारा यह आंकलन किया जाए कि मतदान दलों के परिवहन के लिए कितने और किस प्रकार के वाहनों की आवश्यकता होगी? स्पष्ट है कि किसी मार्ग विशेष के लिये आवश्यक वाहनों की संख्या, उनकी बैठक क्षमता तथा उस मार्ग में पड़ने वाले मतदान केन्द्रों की संख्या पर निर्भर करेगी। इस प्रकार मार्गवार नियोजित किए जाने वाले छोटे और बड़े वाहनों तथा प्रत्येक वाहन में भेजे जाने वाले मतदान दलों के विवरण का एक प्लान तैयार किया जाए। यही प्लान वाहनों की व्यवस्था करने का आधार होगा। इसी प्लान के अनुसार जिले में उपलब्ध वाहनों में से आवश्यक वाहन अधिग्रहित किए जाएं और उन्हें मतदान दलों के प्रस्थान की तारीख को पूर्व संध्या तक वितरण केन्द्र के प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी को उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जाए।

बहुधा अधिग्रहीत वाहन समय पर नहीं पहुँच पाते या कुछ बीच रास्ते में ही खराब हो जाते हैं। इस प्रकार की स्थिति से निपटने के लिये, प्रत्येक वितरण केन्द्र में 2 या 3 अतिरिक्त वाहन आपात स्थिति में उपयोग के लिए आरक्षित वाहनों के रूप में रखे जाए।

(4) पुलिस बल, क्षेत्रीय अधिकारियों तथा सेक्टर मजिस्ट्रेटों के संचलन के लिये अतिरिक्त तौर पर कुछ हल्के वाहनों की आवश्यकता पड़ती है। इस हेतु भी आवश्यक संख्या में वाहनों के अधिग्रहण की व्यवस्था अन्य वाहनों के साथ-साथ की जाए।

(5) कतिपय जिलों में, स्थानीय तौर पर आवश्यकतानुसार वाहन उपलब्ध नहीं रहते। ऐसे जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों को चाहिए कि वे सम्भागीय मुख्यालय या पड़ोस के किसी अन्य जिले से, जहाँ स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर हो, वाहन उपलब्ध कराने के लिए संबंधित जिले के कलेक्टर तथा सम्भागीय आयुक्त से आग्रह करें।

## 5. आदर्श आचरण संहिता :—

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन स्वतंत्र और निष्पक्ष कराने के उद्देश्य से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों तथा शासकीय कर्मियों और विभागों के लिये आदर्श आचरण संहिता जारी की गई तथा सभी राजनैतिक दलों तथा अभ्यर्थियों से उसका पालन करने की अपेक्षा की गई। इस प्रकार तैयार की गई आचरण संहिता परिशिष्ट-बाईस में उद्धृत है।

आदर्श आचार संहिता को प्रदेश से प्रकाशित होने वाले प्रत्येक दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशित कराया गया और आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के माध्यम से भी उसकी प्रमुख बातों के संबंध में जानकारी प्रसारित की गई।

आदर्श आचार संहिता की एक-एक प्रति निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचन प्रतीक के आवंटन के समय निःशुल्क प्रदाय की गई।

जिला निर्वाचन अधिकारियों तथा रिटर्निंग ऑफिसरों को निर्देशित किया गया कि वे आचार संहिता के अनुपालन पर बराबर जोर दे और किसी भी उपबंध के उल्लंघन की शिकायत मिलने पर उसमें तत्परता से जाँच और उपयुक्त कार्यवाही करें।

## 6. सुरक्षा व्यवस्था :—

(1) पंचायत निर्वाचन में स्थानीय मसले, पुराने विवाद, जातिगत समीकरण, गुटीय प्रतिस्पर्धाएं आदि प्रबलता से उभरकर सामने आती हैं। उनके कारण बहुधा कटुता और तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है और कभी-कभी तो शान्ति और व्यवस्था खतरे में पड़ जाती है। अतः राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों के चुनाव शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने की दृष्टि से निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों को समुचित निर्देश प्रसारित करने हेतु राज्य शासन को परामर्श दिया गया अर्थात्:—

राज्य में पंचायत चुनावों के लिये सूचना जारी होते ही—

- (i) प्रत्येक जिले में आगेय शस्त्रों एवं अन्य घातक हथियारों को लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया जाए। ऐसा प्रतिबंध जिले में आखिरी चुनाव परिणाम की घोषणा होने तक प्रभावशील रखा जाए।
- (ii) यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपने शस्त्र का दुरुपयोग कर लोक सुरक्षा या लोक शांति भंग किये जाने की आशंका हो तो ऐसे व्यक्ति की शस्त्र अनुज्ञित आम्र्स एक्ट, 1959 के अन्तर्गत निलंबित करते हुए उसका शस्त्र निकटतम थाने में जमा कराया जाय। शांति एवं व्यवस्था की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में निवास करने वाले शस्त्र अनुज्ञितधारियों द्वारा यदि शस्त्रों का दुरुपयोग करने की आशंका हो तो ऐसे क्षेत्र के समस्त या चुनिंदा अनुज्ञितधारियों की अनुज्ञितियां आम्र्स एक्ट, 1959 के अन्तर्गत निलंबित करते हुए उनके शस्त्र निकटस्थ थाने में जमा कराए जाए। ऐसे किसी क्षेत्र के जिले में अंतिम चुनाव परिणाम की घोषणा हो जाने के बाद ही, स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार शस्त्र लौटाये जाने की कार्यवाही की जाए।
- (iii) अवैध रूप से शस्त्र एवं बारूद रखने वाले, विस्फोटक पदार्थों का भण्डारण एवं प्रदाय करने वाले एवं शस्त्रों का निर्माण एवं व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों एवं उनके ठिकानों का पता

लगाने के लिये प्रत्येक जिले में सघन अभियान चलाया जाए तथा इस प्रकार की अवैध गतिविधियों में संलग्न तत्वों के विरुद्ध संगत अधिनियम के अन्तर्गत सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए।

- (iv) जिले में मतदान के लिए निर्धारित तारीख के 3 दिन पूर्व से मतदान के दिन तक प्रत्येक जिले में चलने वाले वाहनों की, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनमें कोई अवांछनीय तत्व या शस्त्र या विस्फोटक सामग्री तो नहीं ले जाई जा रही है, सघन चैकिंग की जाए, तथा
- (v) जिले में मतगणना पूर्ण हो जाने तक पुलिस द्वारा असामाजिक एवं अपराधिक तत्वों एवं कानून एवं व्यवस्था भंग करने की मंशा से अवैधानिक कृत्यों में प्रवृत्त व्यक्तियों की धरपकड़ तथा प्रतिबन्धात्मक गिरफ्तारी का एक सघन अभियान चलाया जाए।

(2) मतदान के दिन हिंसा की घटनाओं की विशेष आशंका रहती है क्योंकि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी अपने विजय के अवसरों को बढ़ाने के लिये हर प्रकार के तौर-तरीकों का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। चूंकि पंचों तथा सरपंचों के “निर्वाचन क्षेत्र” बहुत छोटे रहते हैं और अभ्यर्थियों तथा मतदाताओं का प्रत्यक्ष और नजदीक का संपर्क रहता है, अतएव निर्वाचन के समय सारा सामाजिक माहौल उद्भेदित हो जाता है। इस कारण मतदान केन्द्रों पर हिंसा, मतपत्र छीनने या मतपेटियों को विनष्ट करने अथवा मतदान की प्रक्रिया में बाधा पहुँचाने की घटनाएँ घटित होने की प्रबल संभावना रहती है। मध्यप्रदेश राज्य के उत्तरी पट्टी के अनेक जिले (मुरैना, भिण्ड, ग्वालियर, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, सतना, रीवा तथा सीधी) उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं, इन सीमावर्ती जिलों में हिंसा की घटनाओं की विशेष संभावना रहती है। शेष जिलों में भी कई ऐसे ग्राम तथा क्षेत्र हैं, जो कानून व्यवस्था की दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील हैं तथा जिनमें विगत निर्वाचनों में हिंसा हुई है। इस परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य शासन को सलाह दी थी कि उक्त सीमावर्ती जिलों में शांति और व्यवस्था बनाए रखने की ओर विशेष ध्यान दिया जाए तथा राज्य के अन्य जिलों में भी मतदान केन्द्रों में मतदान के दिन सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए जाएं। इन प्रबन्धों के अन्तर्गत मतदान केन्द्रों पर, उनकी संवेदनशीलता के अनुसार, सुरक्षा बलों की पर्याप्त तैनाती, पुलिस के चलित दलों की गश्त तथा खास-खास स्थानों पर रक्षित बल की टुकड़ियाँ रखे जाने (ताकि वे आवश्यकता पड़ने पर तुरन्त वांछित स्थान को भेजी जा सके) की ओर सरकार का विशेष तौर पर ध्यान आकृष्ट किया गया। जिला मुख्यालय से अनुभाग/तहसील और वहाँ से थाना स्तर तक निरन्तर संवाद बनाए रखने के लिए “वायरलेस संचार प्रणाली” को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए लिखा गया। यह भी कहा गया कि यदि राज्य में उपलब्ध पुलिस बल पर्याप्त न हो तो केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल प्राप्त किये जाए। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा की गई व्यवस्था की समीक्षा, राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा की गई। गृह सचिव द्वारा बताया गया कि केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल उपलब्ध कराने के राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया; तथापि राज्य में उपलब्ध बलों का इस प्रकार अधिनियोजन किया जा रहा है कि मतदान/मतगणना के दौरान शांति और व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। पंचायत निर्वाचनों का आयोजन तीन-तीन दिन के अन्तराल के साथ, तीन विभिन्न चरणों में करने के पीछे मुख्य उद्देश्य यही था कि मतदान एवं मतगणना के समय शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपलब्ध पुलिस बल का अधिकतम उपयोग

किया जा सके। राज्य सरकार ने उपलब्ध पुलिस बल (जिला कार्यकारी बल एवं विशेष सशस्त्र बल 39,799) के अतिरिक्त होम गार्ड्स (करीब 24,216) वन रक्षक तथा आबकारी विभाग के सिपाहियों (करीब 12,938) और गाँवों के कोटवारों (करीब 39,,635 हैं) की सेवाओं का भी उपयोग मतदान के दिन शांति और व्यवस्था बनाए रखने में किया।

#### 7. शराब के क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध :—

पंचायत चुनाव शांति तथा शुचिता के बातावरण में सम्पन्न कराने के उद्देश्य से राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को परामर्श दिया कि मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे के पूर्व से लेकर मतदान के सम्पूर्ण दिन तक संबंधित जिले में पूर्ण रूप से शराब के क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध लगाया जाए। तदनुसार राज्य सरकार ने शराब की दुकानें बन्द रखने के निर्देश सभी कलेक्टरों को जारी किए।

#### 8. शासकीय कार्यालयों एवं कारखानों में मतदान के दिन अवकाशः—

(1) आयोग की पहल पर, राज्य सरकार ने पंचायत निर्वाचन हेतु मतदान के दिन अर्थात् 16 जनवरी एवं 19 जनवरी एवं 23 जनवरी, 2005 को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के लिये सामान्य अवकाश घोषित किया। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि नगरीय क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारी, जो निकटवर्ती ग्राम में निवास करते हों, को ग्राम पंचायत का मतदाता होने का प्रमाण प्रस्तुत करने पर विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाए।

(2) आयोग द्वारा श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश से अनुरोध किया गया कि यदि पंचायत क्षेत्र में उद्योग/कारखानें/व्यापारिक प्रतिष्ठान/दुकानें स्थित हो तो उनमें कार्य करने वाले मतदाताओं को, मतदान का अवसर देने के लिये संबंधित संस्थानों/कारखानों द्वारा संबंधित क्षेत्रों में मतदान की तारीख के दिनः—

(1) साप्ताहिक अवकाश घोषित किया जाए। ऐसा अवकाश प्रतिस्थापित साप्ताहिक अवकाश माना जा सकता है।

(2) दुकानों एवं वाणिज्यिक संस्थानों में मध्यप्रदेश दुकान एवं संस्थान अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित दिन छुट्टी/अवकाश न रखकर उसके स्थान पर मतदान के दिन छुट्टी/अवकाश दिया जावे। श्रमायुक्त ने तदनुसार निर्देश जारी किये।

#### 9. जनसम्पर्क :—

(1) राज्य के पंचायतों के निर्वाचन दलीय आधार पर नहीं लड़े गये। संचार माध्यमों ने पंचायत चुनावों के प्रति काफी रूचि प्रदर्शित की और उनसे संबंधित समाचारों को प्रमुखता से प्रकाशित और प्रसारित किया।

जिला निर्वाचन अधिकारियों को भी निर्देश दिये गये कि वे स्वयं पहल करके अभ्यर्थियों, मीडिया प्रतिनिधियों तथा राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों से नियमित रूप से मिलते रहें और उन्हें चुनावों के सिलसिले में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराते रहें तथा इस प्रकार के अवसरों का उपयोग शांति और व्यवस्था बनाये रखने और आचरण संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने में उनका सहयोग प्राप्त करने के लिये भी करें। वस्तुतः प्रत्येक जिले में, निर्वाचन के दौरान एक जनसंपर्क प्रकोष्ठ स्थापित करने के निर्देश दिये गये ताकि प्रेस और अन्य इच्छुक लोगों को निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण बातों की जानकारी नियमित तौर पर मिलती रहे।

(2) यद्यपि पंचायत चुनाव दलीय आधार पर नहीं होते तो भी समाज में उनकी भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के राज्य स्तरीय प्रतिनिधियों के साथ जानकारी के आदान-प्रदान के लिए एक बैठक आयोजित की गई। मीडिया प्रतिनिधियों के साथ भी विभिन्न अवसरों पर औपचारिक बैठकें की गईं और मतदान के दिनों में तथा निर्वाचन परिणामों की घोषणा के दौरान प्रतिदिन प्रेस को जानकारी देने की व्यवस्था की गई।

#### 10. प्रेक्षकों की नियुक्ति :—

(1) चुनावों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के संबंध में आम लोगों के मन में विश्वास उत्पन्न करने के लिये जिलों में मतदान के अवसर पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों एवं वरिष्ठ प्रशासनिक पदों से सेवानिवृत्त अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। प्रेक्षकों से यह अपेक्षा की गई कि वे मतदान की तारीख से कम से कम दो दिन पूर्व उन्हें आवंटित जिले में पहुंचे और वहाँ निर्वाचन परिणाम की घोषणा तक रुकें। अपने प्रवास के दौरान उन्हें निमांकित बातों की ओर विशेष ध्यान देने के लिये कहा गया:—

क्या निर्वाचन स्वतंत्र और निष्पक्ष बातावरण में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संचालित हो रहा है? संवेदनशील क्षेत्रों/मतदान केन्द्रों में सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की गई है? मतदाता सूचियाँ ठीक बनी हैं? अभ्यर्थियों को प्रक्रिया और व्यवस्था के संबंध में कोई शिकायतें तो नहीं ? मतदान के दिन मतदाताओं को डराने-धमकाने या उन्हें मतदान से रोकने अथवा प्रलोभन देकर मतदान कराने के प्रयास तो नहीं किए गए? आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा?

प्रेक्षकों को निर्देशित किया गया कि वे जिले में अपने प्रवास के दौरान अभ्यर्थियों और राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से मिलते रहे और उनकी शिकायतों और सुझावों पर विचार करें। विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी का अपने विवेक से उपयोग करते हुए स्थिति का आंकलन करें। शिकायत में सच्चाई प्रतीत होने पर उसे उचित कानूनी कार्यवाही के लिये सक्षम पुलिस अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजें। आवश्यक प्रकरणों में वे स्वतंत्र रूप से भी जांच करें। उन्हें बताया गया कि किसी भी बिन्दु पर वे अपना

प्रतिवेदन सीधे आयोग को भेजें और प्रेक्षक के रूप में कार्य करते हुए वे आयोग को छोड़कर और किसी अधिकारी से निर्देश प्राप्त न करें।

प्रेक्षकों के मार्गदर्शन के लिये अलग से निर्देश पुस्तिका प्रकाशित की गई जो उन्हें उपलब्ध कराई गई। इसके अतिरिक्त निर्वाचन नियम तथा आयोग के निर्देशों की पुस्तिकायें भी उपलब्ध कराई गईं। राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा उनकी बैठक आयोजित कर उन्हें उनके कर्तव्यों से समक्ष में भी अवगत कराया गया।

(2) वरिष्ठ अधिकारियों को जिलों में प्रेक्षक के रूप में नियुक्त करने का प्रयोग बहुत सफल रहा और उनकी उपस्थिति से अभ्यर्थियों तथा आम नागरिकों के मन में चुनावों की स्वतंत्रता तथा निष्पक्षता के प्रति विश्वास पैदा हुआ। अनेक प्रेक्षकों ने आयोग को भेजे गए प्रतिवेदनों में बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी सुझाव भी दिए। विभिन्न जिलों में नियुक्त किए गए प्रेक्षकों का विवरण परिशिष्ट-तर्फ़ेस में है।

## अध्याय-10

## मतदान

निर्वाचन के घोषित इस कार्यक्रम के अनुसार प्रथम चरण में प्रदेश के 113, द्वितीय चरण में 105 एवं तृतीय चरण में 95 विकासखण्ड सम्मिलित थे। प्रथम चरण में सम्मिलित विकासखण्डों में मतदान दिनांक 16-1-2005 को द्वितीय चरण में सम्मिलित विकासखण्डों में मतदान 19-1-2005 को तथा तृतीय चरण में सम्मिलित विकासखण्डों में मतदान 23-1-2005 को सम्पन्न हुआ।

2. सामान्यतया एक मतदान केन्द्र पर 500 या उससे कम मतदाता सम्बद्ध किए गए और प्रयोस यह किया गया कि मतदाताओं के निवास से मतदान केन्द्र की दूरी 2 कि.मी. से अधिक न हो परन्तु कठिपय अन्तर्वर्ती अंचलों और विशेषतः विरली जनसंख्या वाले आदिवासी क्षेत्रों में दूरी के संबंध में इस मापदण्ड का अनुसरण करना संभव नहीं हो पाया। वहां मतदाताओं को कुछ अधिक दूर चलना पड़ा। इस निर्वाचन में एक विशेष बात जो देखने में आई वह यह थी कि महिलाओं ने मतदान में लगभग पुरुषों के बराबर भाग लिया। महिलाओं के लिये आरक्षित वार्डों/निर्वाचन क्षेत्रों में महिलाएं भारी संख्या में मतदान करने गई। कई महिला अभ्यर्थियों ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केन्द्रों में महिलाओं को ही मतदान अभिकर्ता (पोलिंग एजेन्ट) नियुक्त किया।

3. कुल 2,80,28,319 (पुरुष 1,46,63,792 तथा महिला 1,33,64,527) मतदाताओं के लिए कुल 60,603 मतदान केन्द्र स्थापित किये गये इनमें से 59,538 पक्के अथवा अर्द्धस्थायी स्वरूप के भवनों में तथा 1,065 मतदान केन्द्र अस्थाई ढांचों में स्थापित किये गये।

4. पंचायत निर्वाचनों की व्यापकता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि इनमें कुल 1,66,588 स्थानों (सीटों) के लिये 5,32,319 अभ्यर्थियों ने चुनाव लड़ा। सविरोध निर्वाचन वाले स्थानों (सीटों) की पदवार संख्या और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या परिशिष्ट-चौबीस में दर्शाई गई है।

5. मतदान कार्य दक्षतापूर्वक सम्पन्न कराने के लिये मतदान केन्द्र की आंतरिक जमावट उसके आकार और दरवाजों/खिड़कियों की अवस्थिति के अनुसार करने के निर्देश दिए गए थे। एक दरवाजे वाले कमरे में स्थित मतदान केन्द्र की आंतरिक व्यवस्था परिशिष्ट-पच्चीस में दर्शाई गई है।

6. मतदान दलों में राज्य सरकार, सरकारी उपक्रमों तथा स्थानीय निकायों के 2.94 लाख से अधिक कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग किया गया। इसके अतिरिक्त लगभग 20,000 अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाएं मतों के सारणीकरण कार्य के लिए उपयोग में ली गई। सुरक्षा व्यवस्था हेतु 1.22 लाख से अधिक पुलिसकर्मी, होमगार्ड्स वनरक्षक, आबकारी सिपाही एवं कोटवार तैनात किए गए थे।

7. मतदान की तारीख के पूर्व से ही प्रत्येक जिला निर्वाचन कार्यालय में एक नियंत्रण कक्ष (कन्ट्रोल रूम) स्थापित किया गया था जो कि जिले के विकासखण्डों के साथ-साथ राज्य निर्वाचन आयोग के नियंत्रण कक्ष से भी जुड़ा था। निर्वाचन की सूचना जारी करने की तारीख से आयोग के मुख्यालय में भी एक नियंत्रण कक्ष प्रारंभ कर दिया गया था। ये सभी नियंत्रण कक्ष निर्वाचन परिणामों की घोषणा तक निरंतर कार्यशील रहे।

8. मतदान केन्द्र में पीठासीन अधिकारी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। वस्तुतः मतदान की विश्वसनीयता बहुत कुछ हद तक मतदान केन्द्रों पर की गई व्यवस्था और अपनाई गई प्रक्रिया पर निर्भर करती है। आयोग द्वारा पीठासीन अधिकारियों के लिए एक मार्गदर्शिका तैयार की गई थी जिसमें पीठासीन अधिकारियों के विभिन्न कर्तव्यों को विस्तार से समझाया गया था।

9. मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम 1964 की प्रतियां पुनर्मुद्रित कराकर जिलों को भेजी गई और निर्वाचन अपराधों की रोकथाम के लिये वर्षों पुराने इस कानून के उपबंधों का उपयोग करने का परामर्श दिया गया।

10. 22 दिसम्बर, 2004 को मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 57 में निम्नानुसार संशोधन किया गया:—

“(1-क) राज्य निर्वाचन आयोग मतदाता की पहचान के संबंध में ऐसे निर्देश दे सकेगा जैसा वह उचित समझे और यदि कोई मतदाता ऐसे निर्देशों के अनुसार अपनी पहचान स्थापित करने में असफल रहता है तो उसे मतपत्र जारी नहीं किया जाएगा और मतदान करने के अधिकार से वंचित किया जाएगा”

उपर्युक्त संशोधन के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता की पहचान के संबंध में आदेश जारी किया गया है जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 568, दिनांक 24 दिसम्बर, 2004 में प्रकाशित किया गया है। इसके अन्तर्गत मतदाता पहचान पत्र न होने की स्थिति में मतदाता को पहचान के लिये 22 में से कोई भी एक दस्तावेज प्रस्तुत करने का प्रावधान है। यह आदेश परिशिष्ट-छब्बीस पर है। निर्वाचन के दौरान फर्जी मतदान रोकने और वास्तविक मतदाता को मताधिकार के प्रयोग से वंचित न होने देने की दृष्टि से ये प्रावधान बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ।

11. अधिकांश मतदान केन्द्रों पर जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य तथा सरपंच के लिये निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की ओर से मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए गए थे। पंच पद के लिये अभ्यर्थी अलबत्ता, अपने वार्ड से संबंधित मतदान केन्द्र पर स्वयं ही उपस्थित रहे। कहीं-कहीं जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य तथा सरपंच पद के अभ्यर्थियों ने एक ही व्यक्ति को सम्मिलित रूप से अपना मतदान अभिकर्ता नियुक्त किया।

12. मतदान का समय प्रातः 7 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक रखा गया। अनेक मतदान केन्द्रों में अंतिम समय तक मतदाताओं की कतारें देखी गई। प्रदेश में सर्वाधिक मतदान का प्रतिशत जिला मुरैना में रहा। यहाँ मतदान का प्रतिशत 88.10 रहा जबकि सबसे कम भोपाल जिले में 39.66 प्रतिशत रहा। प्रदेश के 48 जिलों में से 20 जिलों में मतदान का प्रतिशत 80 से अधिक रहा, 13 जिलों में 75 से 80 प्रतिशत, 06 जिलों में 70 से 75 प्रतिशत, 07 जिलों में 60 से 70 प्रतिशत एवं जिला बड़वानी में 50 प्रतिशत तथा जिला भोपाल में 40 प्रतिशत से कम रहा।

इस मतदान में महिलाओं ने भी पुरुषों के समान बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। जहाँ पुरुषों के मतदान का प्रतिशत 78.64 रहा वहाँ महिलाओं के मतदान का प्रतिशत भी 74.58 रहा। दो जिले ऐसे हैं जहाँ महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा। जबलपुर में जहाँ पुरुषों का प्रतिशत 80 रहा वहाँ महिलाओं का प्रतिशत 83 रहा। इसी प्रकार बालाघाट जिले में जहाँ पुरुषों का प्रतिशत 73.44 रहा वहाँ महिलाओं का प्रतिशत 75.58 रहा। विभिन्न जिलों में कुल मतदाता तथा मतदान के प्रतिशत का विवरण परिशिष्ट-सत्ताईम पर दर्शाया गया है।

13. मतपत्रों में अभ्यर्थियों के नाम छापने में त्रुटि या उनके नाम छूट जाने या गलत प्रतीक के समक्ष अंकित हो जाने के कारण या प्रक्रिया संबंधी अन्य त्रुटियों या आरक्षण की त्रुटि या अनियमितताओं (जैसे कि किसी एक वार्ड के मतपत्र दूसरे वार्ड के मतदाताओं को वितरित किए जाने) के कारण 56 मतदान केन्द्रों पर निर्वाचन प्रभावित हुआ। प्रभावित स्थान (सीट)/स्थानों (सीटों) के लिये पुनः मतदान आयोजित करना पड़ा। इस प्रकार की सर्वाधिक त्रुटियाँ पन्ना जिले में हुईं जहाँ 12 मतदान केन्द्रों पर निर्वाचन प्रभावित हुआ। इस क्रम में अन्य जिले थे—शिवपुरी (5), नरसिंहपुर (4), बालाघाट (4) उमरिया (4), रत्लाम (3), टीकमगढ़ (3), छतरपुर (3), रीवा (3), विदिशा (2), बुरहानपुर (2), छिन्दवाड़ा, (2), सिवनी (2), सतना (2) तथा दतिया, बड़वानी, खण्डवा, डिण्डोरी एवं शहडोल में एक-एक।

बलवा या हिंसा के कारण 12 मतदान केन्द्रों पर कुछ देर मतदान में व्यवधान हुआ परन्तु स्थिति नियंत्रित कर लिए जाने या सामान्य होने पर मतदान ठीक प्रकार से सम्पन्न हो गया। जिला नरसिंहपुर एवं रीवा में 05-05 मतदान केन्द्रों पर इस प्रकार की स्थिति निर्मित हुई। बलवा या हिंसा के कारण 06 मतदान केन्द्रों पर मतदान जारी रखना संभव नहीं हुआ और उसे स्थगित करना पड़ा तथा स्थगित मतदान को पूरा करने के लिए नियम 71 के अन्तर्गत शेष मतदाताओं के लिए (बाद में) पुनः मतदान कराना पड़ा।

इसी प्रकार बलवा या हिंसा या मतदान केन्द्र पर कब्जा किए जाने, मतपेटी या मतपत्रों को छीनने या लूटकर ले जाने, मतपेटी को क्षति पहुंचाने, मतदाता सूची की चिन्हित प्रति विनष्ट करने मतदान कार्मिकों के साथ मारपीट की हिंसक घटनाओं के कारण अथवा मतदान केन्द्र पर गंभीर तनाव की स्थिति निर्मित हो जाने के कारण 220 मतदान केन्द्रों पर मतदान विकृत हो गया और इसलिए नियम 72 के अंतर्गत नए सिरे से पुनः मतदान का आयोजन करना पड़ा। उपर्युक्त विवरण परिशिष्ट-अट्ठाईस पर दर्शाया गया है।

#### 14. आपराधिक प्रकरण :—

पंचायत निर्वाचन आमतौर पर शांतिपूर्वक सम्पन्न हुए। इस निर्वाचन में हत्या की कोई घटना प्रतिवेदित नहीं हुई। हत्या के प्रयास के 14, चुनाव सामग्री की लूट या चुनाव में बाधा डालने के 126 एवं मारपीट की घटनाओं के 57 प्रकरण कायम हुए। भारतीय दंड संहिता तथा मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, 1964 के अन्तर्गत पंजीबद्ध प्रकरणों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-उन्तीस पर है। ऐसा प्रतीत होता है कि मतदान केन्द्रों पर चुनाव में बाधा डालने की सभी घटनाओं के आपराधिक प्रकरण कायम नहीं हुए।

15. मतदान के दिन जिला पंचायत सदस्य तथा जनपद पंचायत सदस्य पद का चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को अपने स्वयं तथा अपने अधिकर्ता के उपयोग के लिए दो वाहनों का उपयोग करने के लिए अनुमति दी गई। सरपंच तथा पंच पद के लिए चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक वाहन का उपयोग करने की अनुमति दी गई। इस प्रयोजन के लिये उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर के हस्ताक्षरित परमिट जारी किए गए। जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि मतदान के दिन—

- (i) लारियों, ट्रकों, ट्रैक्टर-ट्रालियों आदि मालवाहक वाहनों का (जिसमें सामान लादने अथवा उतारने वाले श्रमिकों को छोड़कर सवारियां ढोने की पाबंदी है) प्रचालन विनियमित करने के लिए सघन चेकिंग की व्यवस्था की जाय और यदि ऐसे वाहनों का दुरुपयोग मतदाताओं को लाने या ले जाने के लिये किया जा रहा हो तो उनके विरुद्ध मोटरयान अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाय, (ii) किसी अभ्यर्थी या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भाड़े पर अथवा अन्यथा प्राप्त किसी सवारी वाहन को मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने या ले जाने के कार्य को, जो कि मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, 1964 के अन्तर्गत अपराध रोकने के लिए प्रभावकारी प्रबंध किए जाएँ।

16. आयोग की सख्ती के कारण इस निर्वाचन में फर्जी मतदान के केवल 13 प्रकरण प्रतिवेदित हुए हैं जिसका जिलेवार विवरण परिशिष्ट-तीस पर है। इसी प्रकार मतदाताओं को वाहन में ढोने का केवल एक प्रकरण होशंगाबाद जिले में प्रतिवेदित हुआ है।

## अध्याय-11

## मतों की गणना, सारणीकरण तथा परिणामों की घोषणा

आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार मतों की गणना का कार्य सामान्यतया मतदान समाप्ति के उपरान्त मतदान केन्द्र पर ही किया गया। मतदान केन्द्र पर ही मतगणना कराने की व्यवस्था के पीछे मूल मंशा पंच तथा सरपंच पद के हजारों अभ्यर्थियों और विशेषतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला अभ्यर्थियों को सुदूर विकासखण्ड मुख्यालय तक अगले दिन मतगणना कार्य में सम्मिलित होने के लिए आने जाने के ब्यय और अन्य परेशानी से बचाना था। यो भी विकासखण्ड मुख्यालय में, उसके अन्तर्गत आने वाली सभी पंचायतों की मतगणना एक साथ कराने में व्यापक बन्दोबस्त करना पड़ता। यह दृष्टव्य है कि पंच तथा सरपंच पद के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की प्रति विकासखण्ड संख्या 1544 थी। जिला पंचायत सदस्य तथा जनपद पंचायत सदस्य के लिये निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की विकासखण्ड औसतन संख्या 134 इसके अतिरिक्त थी। अतः मतगणना के दौरान गणना कार्मिकों के अतिरिक्त इतनी भारी संख्या में अभ्यर्थियों तथा उनके गणन अधिकर्ताओं को विकास खण्ड मुख्यालय पर बैठाने की व्यवस्था करना अत्यन्त दुष्कर कार्य था।

2. विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत मतगणना का कार्य रिटर्निंग ऑफिसर के स्वयं के पर्यवेक्षण में कराना आवश्यक नहीं था और यह कार्य उसके द्वारा इस निमित्त किसी “प्राधिकृत अधिकारी” के पर्यवेक्षण तथा निर्देशन में कराया जा सकता था। मतदान केन्द्र पर, मतगणना के लिए प्राधिकृत अधिकारी के रूप में केन्द्र के पीठासीन अधिकारी को ही नियुक्त किया गया और उसकी सहायता के लिए मतदान अधिकारियों को गणना सहायक नियुक्त किया गया। रिटर्निंग ऑफिसर के हस्ताक्षर से प्रसारित नियुक्ति आदेशों में इस संबंध में विशिष्ट उल्लेख करके, विधिक आवश्यकता की पूर्ति की गई। पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि वे मतदान समाप्ति के बाद आवश्यक कार्यवाहियों जैसे कि मतपेटी बन्द करना, परिनियत लिफाफे सील बन्द करना तथा मतपत्र लेखा तैयार करना आदि के बाद ही मतगणना का कार्य हाथ में ले।

3. संभागीय बैठकों में कुछ कलेक्टरों ने तथा आयोग द्वारा बुलाई गई उप जिला निर्वाचन अधिकारियों की बैठक में अनेक उप जिला निर्वाचन अधिकारियों विशेष तौर पर चंबल संभाग के उप जिला निर्वाचन अधिकारियों ने वहां की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए विकासखण्ड मुख्यालय पर ही सभी मतदान केन्द्रों की मतगणना कराये जाने का अनुरोध किया।

पंचायत निर्वाचन में मतों की गणना सामान्यतः मतदान केन्द्रों पर, मतदान के पश्चात् कराए जाने के निर्देश हैं। किन्तु जिलों के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए निम्न परिस्थितियों में मतगणना विकासखण्ड मुख्यालय पर करने का निर्णय जिला निर्वाचन अधिकारी/पीठासीन अधिकारी पर छोड़ा गया है:—

(अ) जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा—

(i) किसी विकासखण्ड विशेष की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए पूरे विकासखण्ड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों की मतगणना विकासखण्ड मुख्यालय पर कराये जाने का निर्णय।

(ii) किन्ही मतदान केन्द्रों की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए इन मतदान केन्द्रों की मतगणना विकासखण्ड मुख्यालय पर कराये जाने का निर्णय।

(ब) पीठासीन अधिकारी द्वारा—

मतदान केन्द्र पर हिंसा या गड़बड़ी की आशंका के कारण पीठासीन अधिकारी द्वारा मतगणना विकासखण्ड मुख्यालय पर कराये जाने का निर्णय। उक्त निर्णय की स्थिति में यह निर्देश दिये गये कि :—

(1) उक्त कंडिका (अ) की स्थिति में निर्वाचन की सूचना में ही इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाये कि मतगणना विकासखण्ड मुख्यालय पर होगी तथा किस तिथि को होगी इसका उल्लेख भी किया जाये।

(2) उक्त कंडिका (ब) की स्थिति में पीठासीन अधिकारी द्वारा इसकी सूचना मतदान केन्द्र में उपस्थित अभ्यर्थियों और उनके अभिकर्ताओं को दी जाए और इस निमित्त निर्धारित प्रपत्र में “सूचना” मतदान केन्द्र पर चस्पा की जाए और दूसरी प्रति पर उपस्थित अभ्यर्थियों और उनके अभिकर्ताओं से हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान प्राप्त किया जाये।

(3) खण्ड मुख्यालय पर मतगणना कराये जाने की स्थिति में वहाँ पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध के साथ-साथ बिजली, पानी की समुचित व्यवस्था की जाए।

इस निर्वाचन में विभिन्न जिलों में विकासखण्ड मुख्यालय पर की गई मतगणना की जानकारी परिशिष्ट-इकतीस पर अंकित है। कुल स्थापित 60,603 मतदान केन्द्रों में से 15,092 (24.9 प्रतिशत) मतदान केन्द्रों की मतगणना विकासखण्ड मुख्यालय पर की गई। जिला मुरैना, भिण्ड, शिवपुरी, दतिया एवं होशंगाबाद जिले के सभी मतदान केन्द्रों की मतगणना विकासखण्ड मुख्यालय पर की गई। जिला मंदसौर, नीमच, देवास, खण्डवा, बुरहानपुर, छिन्दवाड़ा एवं शहडोल जिले में सभी मतदान केन्द्रों की मतगणना मतदान केन्द्रों पर ही की गई। अनूपपुर जिला ऐसा है जहाँ 835 मतदान केन्द्रों में से केवल 01 मतदान केन्द्र की मतगणना विकासखण्ड मुख्यालय कराई गई।

शेष जिलों में मतगणना आंशिक रूप से विकासखण्ड मुख्यालय पर कराई गई।

4. म. प्र. विद्युत् नियामक आयोग से आग्रह किया गया था कि वे मतदान तथा मतगणना के लिए निर्धारित तारीख को, संबंधित जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली का निर्बाध रूप से प्रदाय सुनिश्चित करें।

तदनुसार विद्युत् मंडल ने इस संबंध में भरसक प्रयास किया और कुछ अपवादिक स्थितियों को छोड़कर बिजली का प्रदाय निरन्तर बना रहा तथापि पर्याप्त सावधानी के तौर पर प्रत्येक केन्द्र पर गैस बत्ती या लालटेन का प्रबंध किया गया ताकि मतगणना कार्य अंधेरा होने से पहले समाप्त न होने पर उसमें कोई रुकावट न आए। जिन मतदान केन्द्रों में पुनर्मतगणना कराना आवश्यक हुआ उनमें यह वैकल्पिक व्यवस्था बहुत काम आई।

5. राज्य में पंचायत निर्वाचन दलीय आधार पर नहीं हुए थे। अतएव ऐसी कोई आशंका नहीं थी कि प्रथम चरण में सम्मिलित विकासखण्डों के निर्वाचन परिणाम घोषित कर दिए जाने से दूसरे चरण में सम्मिलित विकासखण्डों के निर्वाचन परिणाम प्रभावित होंगे। अतः चरणवार मतदान के साथ ही मतगणना का कार्य भी पूरा कर लिया गया।

#### 6. सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा:—

आयोग ने मतगणना तथा सारणीकरण कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न करने के उद्देश्य से रिटर्निंग आफिसरों के मार्गदर्शनार्थ “निर्वाचन संदर्शिका” शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित निर्देश पुस्तिका में विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की है। तदनुसार रिटर्निंग आफिसरों ने मतगणना और सारणीकरण का कार्य पूर्ण किया:—

#### विकासखण्ड स्तर पर:—

विकासखण्ड मुख्यालय पर की जाने वाली मतगणना के लिए 27 एवं 28 जनवरी 2005 निर्धारित थी। इस हेतु पहले से ही समुचित व्यवस्था (जैसे कि बड़े हॉल या 3-4 बड़े कमरे वाले भवन का चयन, कर्मचारियों का चयन एवं प्रशिक्षण तथा सुरक्षा व्यवस्था, प्रकाश, अग्निशमन भीड़ नियंत्रण, उद्घोषणा आदि करने की व्यवस्था) की गई। कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिये पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था की गई। अभ्यर्थियों और उनके अभिकर्ताओं के बैठने की भी व्यवस्था की गई।

जिन पंचायतों की मतगणना मतदान केन्द्र पर नहीं हुई थी उनकी मतगणना 27 एवं 28 जनवरी 2005 को हुई। इस बीच उन पंचायतों का सारणीकरण जारी रहा जिनकी मतगणना मतदान केन्द्र पर हो गई थी। विकासखण्ड स्तर पर की जा रही मतगणना पूर्ण होते ही उसके परिणाम भी सारणीकरण में जोड़ दिये गये। इस प्रकार दिनांक 27 एवं 28 जनवरी 2005 में विकासखण्ड स्तर पर मतगणना और सारणीकरण का कार्य पूर्ण कर पंच, सरपंच तथा जनपद सदस्यों के निर्वाचन परिणाम रिटर्निंग आफिसरों द्वारा घोषित किये गये। निर्वाचित घोषित अभ्यर्थियों को यथा संभव मौके पर ही निर्वाचन का प्रमाण-पत्र प्रदाय किया गया। इसका अपवाद वे रहे जिन्होंने सारणीकरण पर आपत्ति ली और इसकी पुनः जाँच की मांग की। साथ ही जिला पंचायत सदस्यों के संबंध में विकासखण्ड स्तर का सारणीकरण पूर्ण कर अन्तिम सारणीकरण के लिये जिला मुख्यालय भेज दिया गया।

## जिला स्तर पर :—

जिला पंचायतों के सदस्यों के लिये सारणीकरण कार्य जिला स्तर पर 29 जनवरी 2005 को किया गया। इसके लिये भी पूर्व में घोषित स्थान पर सभी आवश्यक व्यवस्थायें कर ली गई थी। सारणीकरण का कार्य 10:30 बजे से प्रारंभ किया गया और तब तक चलता रहा जब तक कि वह पूरा नहीं हो गया। सारणीकरण पूर्ण होने पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जिला पंचायत सदस्यों के परिणाम घोषित किये गये। निर्वाचित घोषित अभ्यर्थियों को यथा संभव मौके पर ही निर्वाचन प्रमाण-पत्र दिये गये। इसका अपवाद वे रहे जिन्होंने सारणीकरण पर आपत्ति की और इसकी पुनः जांच की मांग की।

### 7. सविरोध निर्वाचन का परिदृश्य:—

(i) त्रि-स्तरीय पंचायतों में कुल मिलाकर 1,66,588 स्थानों के लिये सविरोध निर्वाचन की स्थिति निर्मित हुई। जिला उमरिया में एक ग्राम पंचायत के 12 वार्डों में मतदाताओं द्वारा मतदान का बहिष्कार किया। विभिन्न स्तर की पंचायतों में सविरोध निर्वाचन से भरे गए स्थानों का पदवार व्याँ और परिशिष्ट-चौबीस में दिया गया है।

(ii) विभिन्न पदों के लिए निर्वाचन लड़ने वाले 5,32,319 अभ्यर्थियों में से प्रत्येक पद के लिये दो या तीन अभ्यर्थियों को छोड़कर शेष अभ्यर्थी गंभीर प्रतिद्वन्द्वी नहीं थे। जमानते खोने वाले अभ्यर्थियों का पदवार प्रतिशत परिशिष्ट-बत्तीस में दिया गया है। इसके अवलोकन से प्रतीत होता है कि जमानत जप्ती का सर्वाधिक प्रतिशत 68.79 जिला पंचायत सदस्य पद के अभ्यर्थियों का रहा जबकि सबसे कम प्रतिशत 08.12 पंच पद का अभ्यर्थियों का रहा। सरपंच पद के 55.32 प्रतिशत अभ्यर्थियों तथा जनपद पंचायत सदस्य पद के 57.74 प्रतिशत अभ्यर्थियों ने अपनी जमानतें खोई।

(iii) त्रि-स्तरीय पंचायतों में महिलाओं ने उनके लिये आरक्षित स्थानों (सीटों) के अतिरिक्त अनारक्षित स्थानों से भी चुनाव लड़ा और ऐसे कई स्थानों पर विजय प्राप्त की। इसके परिणामस्वरूप उन्हें पंचायतों में न्यूनतम निर्धारित एक तिहाई से अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ।

(iv) आरक्षित स्थानों के अलावा अन्य स्थानों से अनुसूचित जाति की महिलाओं को कुल स्थानों में 1,003 स्थान, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को 1,430 स्थान, अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं को 9,482 स्थान अधिक प्राप्त हुए हैं जबकि अनारक्षित (सामान्य) स्थानों (सीटों) में महिलाओं के लिये आरक्षित सीटों के अलावा 1,155 स्थानों (सीटों) पर महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिला है।

(v) अनुसूचित जाति के कुल (मुक्त+महिला) आरक्षित स्थानों (सीटों) के अलावा 2,434 सीटों, अनुसूचित जनजाति के लिए कुल आरक्षित स्थानों के अलावा 3,978 सीटों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कुल आरक्षित स्थानों के अलावा 38,129 स्थानों (सीटों) पर प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है। त्रि-स्तरीय पंचायतों में निर्वाचित महिलाओं की रेंज्या एवं आरक्षित वर्गों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से संबंधित पदवार जानकारी परिशिष्ट-तैतीस र ब्रं चौतीस में गई है।

## विविध

### 1. निर्वाचन के दौरान प्राप्त शिकायतें :—

निर्वाचन के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग को जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उन्हें मुख्यतः निम्नांकित शीर्षों में विभाजित किया जा सकता हैः—

- (i) मतदाता सूचियों में पात्र मतदाताओं के नाम प्रविष्ट न होना तथा फर्जी नाम सम्मिलित होना,
- (ii) प्रतिबन्ध के बावजूद कर्मचारियों/अधिकारियों के स्थानान्तर,
- (iii) मंत्रीगण द्वारा शासकीय तंत्र का दुरुपयोग तथा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन,
- (iv) शासकीय कर्मचारियों द्वारा निर्वाचन में भाग लिया जाना तथा पक्षपातपूर्ण कार्यवाही करना,
- (v) निर्वाचन कार्मिकों का पक्षपातपूर्ण रवैया/कृत्य,
- (vi) मतदाताओं को डराया/धमकाया जाना, प्रलोभन दिया जाना, उपहार बांटना या मतदाताओं की धार्मिक व जातिगत भावनाओं को उभारा जाना,
- (vii) आक्षेपकारी पर्चियों/पोस्टरों का मुद्रण और प्रकाशन,
- (viii) अभ्यर्थियों के प्रतिदृष्टि के पोस्टर/झण्डे फाड़ना,
- (ix) मतगणना में गड़बड़ी करना, शिकायत की सुनवाई न करना और अभद्र व्यवहार करना, एवं
- (x) अन्य विविध प्रकार की शिकायतें।

आयोग को प्राप्त शिकायतों में से जिन शिकायतों में तत्काल कार्यवाही की जानी थी उन शिकायतों को जिला निर्वाचन अधिकारी को तत्काल कार्यवाही हेतु फैक्स से भेजा गया एवं ऐसी शिकायतों के संबंध में दूरभाष से भी निर्देशित किया गया। ऐसी शिकायतों को जो गंभीर प्रकार की थी एवं जिनमें जाँच एवं कार्यवाही में समय लगने की संभावना थी, जिला निर्वाचन अधिकारियों को एक निश्चित समयावधि में जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर यथोचित कार्यवाही की गई जबकि अस्पष्ट या तुच्छ स्वरूप वाली शिकायतों को नस्तीबद्ध किया गया। प्राप्त शिकायतें उपरिलिखित शीर्षों में विभाजन परिशिष्ट-पैतीस में और उन पर की गयी कार्यवाही का सांख्यिकी विवरण परिशिष्ट-छत्तीस में दर्शाया गया है।

आयोग द्वारा चुनाव की निष्पक्षता तथा सुचिता को सर्वोपरि मानकर शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा निष्पक्ष रहकर निर्वाचन संबंधी कार्यवाही करने पर विशेष बल दिया गया। इस हेतु कलेक्टर एवं जिला अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनका निकट संबंधी अभ्यर्थी हो, उन्हें तत्काल निर्वाचन कार्यालय में संलग्न कर लिया जाए। शासकीय कर्मियों द्वारा चुनाव प्रचार में भाग लेने की शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल जाँच कराई जाकर निर्णय लिया जाय। यदि प्रारंभिक जाँच में शिकायत प्रथम दृष्टया सही पायी जाती है तो ऐसे शासकीय कर्मियों को ऐसे कार्यालय में सम्बद्ध किया जाए जहाँ उन्हें प्रचार इत्यादि में भाग लेने का अवसर न हो। यदि शिकायत प्रमाणित हो तो इसे गंभीर दुराचरण मान कर ऐसे शासकीय कर्मियों के विरुद्ध निलम्बन की कार्यवाही कर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए।

आयुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा भी इस संबंध में प्रभावी कार्यवाही करते हुए 109 अधिकारियों/कर्मचारियों को निलम्बित किया एवं 3 अधिकारी/कर्मचारियों की वेतनवृद्धि रोकी गई तथा 49 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस देकर अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई। रीवा में 1 कर्मचारी को कार्यमुक्त किया गया। 09 कर्मचारियों की छुट्टी डाइज-नान करने तथा अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई। इसके अतिरिक्त विभिन्न कारणों से 126 कर्मचारियों को कार्यालय से संबद्ध किया गया जिससे कि वे चुनाव को प्रभावित न कर सके। इस प्रकार कुल 297 शासकीय कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई। जिलावार विवरण परिशिष्ट-सैतीस पर दिया गया है। इस विषय में कुछ महत्वपूर्ण प्रकरण निम्नलिखित हैं—

- (i) आयुक्त सागर द्वारा निर्वाचन कार्य में लापरवाही के कारण सागर के 8 टीकमढ़ के 4 एवं पना के 3 अधिकारियों को निलम्बित किया, इनमें 8 झोनल अधिकारी एवं उप संचालक कृषि कार्यपालन यंत्री, महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग, सहायक भू-जल विद्. उप संचालक पंचायत, सहायक शल्यज्ञ पशु चिकित्सक, अनुविभागीय अधिकारी वन, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी भी थे।
- (ii) आयुक्त जबलपुर द्वारा जिला नरसिंहपुर के एक तहसीलदार एवं रिटनिंग ऑफिसर का नाम निर्देशन पत्र वापस लेने की अनियमितता के कारण निलम्बित किया एवं दो वेतनवृद्धि अंसचयी प्रभाव से रोकने के आदेश प्रसारित किए एवं उमरिया जिले के तहसीलदार को निर्वाचन कार्य में लापरवाही के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
- (iii) आयुक्त उज्जैन द्वारा जिला कलेक्टर नीमच की अनुशंसा पर प्राचार्य उ. मा. विद्यालय को निर्वाचन इयूटी से अनुपस्थित रहने के कारण निलम्बित किया गया।
- (iv) आयुक्त इन्दौर द्वारा झाबुआ जिले के उपयंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को निर्वाचन कार्य से इंकार करने एवं वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने पर निलम्बित किया एवं जिला खरगौन के सहायक यंत्री को अनुशासनात्मक कार्यवाही का कारण बताओ नोटिस दिया।

- (v) आयुक्त चम्बल संभाग द्वारा निर्वाचन कार्य में अनियमितता के कारण ज़िला भिण्ड में अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार को निलम्बित किया गया।
- (vi) जनपद पंचायत गंगेव में मतदान केन्द्र पर (बूथ केप्चरिंग) की जानकारी न देने, तथ्यों को छुपाने एवं निर्वाचन प्रक्रिया को दूषित करने के कारण ज़िला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पीठासीन अधिकारी सहित सभी मतदान अधिकारियों को निलम्बित किया गया।
- (vii) ज़िला निर्वाचन अधिकारी दमोह द्वारा मतदान दल द्वारा निर्वाचन में लापरवाही बरतने के कारण पीठासीन अधिकारी सहित सभी मतदान अधिकारियों को निलम्बित किया गया।
- (viii) वनमंडलाधिकारी बुरहानपुर द्वारा पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया में असहयोग करने एवं बाधा उत्पन्न करने के कारण आयोग की पहल पर मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग ने वनमंडलाधिकारी को भविष्य में पुनरावृत्ति न करने एवं इस हेतु अधिक सजगता से कार्य करने के निर्देश दिए।
- (ix) ज़िला मण्डला में पदस्थ उप निरीक्षक श्री दिनेश सिंह रघुवंशी के विरुद्ध पंचायत चुनाव में भतीजे श्री रामप्रताप सिंह रघुवंशी से प्रचार करने की शिकायत प्राप्त हुई। शिकायत जांच में पाये जाने पर पुलिस अधीक्षक गुना द्वारा पुलिस अधीक्षक मण्डला को श्री रघुवंशी के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु लिखा गया। श्री रघुवंशी के विरुद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही की जा रही है।

(3) निर्वाचन हेतु मदवार व्यय :—पंचायत आम निर्वाचन में कुल मिलाकर रुपये 26.97 करोड़ व्यय होने का अनुमान है। सर्वाधिक व्यय रुपये 10.39 करोड़ कार्यालय व्यय—“लेखन सामग्री एवं फार्म” स्टेशनरी, मतपत्र मुद्रण, प्रकाशन निर्वाचन संबंधी प्रपत्र एवं प्रारूपों पर किया गया। उसके बाद रुपये 5.52 करोड़ व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियाँ—“विशेष सेवाओं के लिये मानदेय”, रुपये 5.89 करोड़ “परिवहन व्यवस्था” के लिए तथा 1.61 करोड़ कार्यालय व्यय—“लेखन सामग्री एवं फार्म”—“मतदाता सूची पर व्यय” के मद में व्यय हुआ। व्यय के प्रमुख मदों का विवरण परिशिष्ट-अड़तीस में दर्शाया गया है।

(4) आयोग के प्रकाशन :—निर्वाचन प्रक्रिया बहुआयामी होती है जिसमें शासन तंत्र, अभ्यर्थी एवं उसके सहयोगियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यद्यपि अधिनियम एवं नियम उपलब्ध है किन्तु प्रक्रिया को स्पष्ट करने एवं चुनाव संचालन में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने हेतु आयोग द्वारा भी निर्देश जारी किये गये। शासन तंत्र एवं अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आयोग द्वारा कई पुस्तिकाओं का प्रकाशन किया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पुस्तिका रिटर्निंग आफीसरों के लिये हस्त-पुस्तक निर्वाचन संदर्शका है क्योंकि रिटर्निंग आफीसर के कर्तव्य न केवल बहुआयामी हैं अपितु निर्णय अर्धन्यायिक स्वरूप के होते हैं। अतः रिटर्निंग आफीसर के मार्गदर्शन के लिए कानून तथा निर्वाचन नियमों के मूलभूत प्रावधानों को

समाविष्ट किए इस पुस्तिका की उपयोगिता स्वयंसिद्ध है। इसके साथ ही मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 तथा पंचायत निर्वाचनों से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम भी अद्यतन स्थिति में पुस्तिकाओं के रूप में आयोग द्वारा संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को उपलब्ध कराए गए।

इसी प्रकार मतदाता सूची बनाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सुविधा हेतु मतदाता सूची तैयार करने के संबंध में निर्देश, दावे-आपत्तियां प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत कर्मचारियों के लिए निर्देश, व पंचायतों की मतदाता सूची मुद्रण कराए जाने के संबंध में निर्देश पुस्तिकाओं के रूप में प्रसारित किये गये। मतदान में लगे पीठासीन अधिकारियों के लिए भी निर्देश पुस्तिका प्रसारित की गई।

आयोग द्वारा प्रेक्षकों के लिए अलग से निर्देश पुस्तिका प्रकाशित की गई जिससे कि वे मतदान के समय पर्यवेक्षण के अपने दायित्वों का सम्यक रूप से निर्वहन कर सकें।

सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तिका आदर्श आचरण संहिता का भी प्रकाशन उल्लेखनीय रहा क्योंकि यह शासकीय सेवकों, अभ्यर्थियों, प्रेक्षकों सभी के लिये उपयोगी थी।

इतनी पुस्तिकाओं के प्रकाशन के बाद भी निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों की शंकाओं के समाधान के लिए आयोग द्वारा समय-समय पर निर्देश दिये गये। इन निर्देशों को एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए उनका अद्यतन संकलन अक्टूबर, 2004 में प्रकाशित किया गया।

उपरोक्त निर्देश निर्वाचन से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के उपयोग के लिए थे। किन्तु चुनाव में अभ्यर्थियों को भी अपने अधिकारों/दायित्वों से अवगत कराना आवश्यक है। इस उद्देश्य से अभ्यर्थियों के लिए उनके मतदान अभिकर्ताओं तथा गणन अभिकर्ताओं के लिए पुस्तक के रूप में मार्गदर्शिकाएं प्रकाशित की गई जो नाममात्र मूल्य पर उन्हें और अन्य सभी को उपलब्ध रही।

इस प्रकार यह पूर्ण प्रयास किया गया कि निर्वाचन से संबंधित सभी अधिकारी/कर्मचारी अपने दायित्वों को पूरी तरह समझें और उनका निर्वहन करें। आयोग के प्रकाशनों की सूची परिशिष्ट-उन्तालीस पर है।

---

## पंचायत निर्वाचन-2005

प्रतिवेदन से संबंधित परिशिष्ट एवं सांख्यिकी तालिकाएँ

मार्ग  
५८

पंचायत आम निर्वाचन-2004-05  
त्रिस्तरीय पंचायतों में पदवार आरक्षण की स्थिति

परिशिष्ट-एक (क)  
पंच, ग्राम पंचायत

क्र. नं.	जिला	पदों की	आरक्षण की स्थिति														
			कुल	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			अन्य पिछड़ा वर्ग			अनारक्षित अर्थात् सामान्य				
				संख्या	महिला	मुक्त	योग	महिला	मुक्त	योग	महिला	मुक्त	योग	महिला	मुक्त	योग	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(18)	
1.	मुरैना	8,320	558	1,145	1,703	23	53	76	713	1,243	1,956	1,531	3,054	4,585	2,825	5,495	8,320
2.	श्योपुर	3,630	213	402	615	311	589	900	268	500	768	455	892	1,347	1,247	2,383	3,630
3.	भिण्ड	7,995	580	1,186	1,766	1	3	4	723	1,249	1,972	1,436	2,817	4,253	2,740	5,255	7,995
4.	ग्वालियर	3,396	244	486	730	58	151	209	276	502	778	571	1,108	1,679	1,149	2,247	3,396
5.	शिवपुरी	10,202	660	1,286	1,946	471	931	1,402	853	1,528	2,381	1,507	2,966	4,473	3,491	6,711	10,202
6.	दतिया	4,560	429	805	1,234	18	49	67	394	746	1,140	703	1,416	2,119	1,544	3,016	4,560
7.	गुना	6,429	317	659	976	399	801	1,200	477	870	1,347	957	1,949	2,906	2,150	4,279	6,429
8.	अशोकनगर	5,074	347	660	1,007	143	309	452	428	600	1,028	794	1,793	2,587	1,712	3,362	5,074
9.	मंदसौर	6,662	454	824	1,278	48	168	216	578	1,120	1,698	1,150	2,320	3,470	2,230	4,432	6,662
10.	नीमच	4,120	179	346	525	142	315	457	378	630	1,008	726	1,404	2,130	1,425	2,695	4,120
11.	रतलाम	7,121	331	684	1,015	861	1,719	2,580	377	719	1,096	821	1,609	2,430	2,390	4,731	7,121
12.	शाजापुर	8,911	736	1,476	2,212	61	178	239	732	1,433	2,165	1,482	2,813	4,295	3,011	5,900	8,911
13.	उज्जैन	9,165	955	1,889	2,844	67	168	235	684	1,327	2,011	1,345	2,730	4,075	3,051	6,114	9,165
14.	देवास	8,026	528	1,020	1,548	553	1,147	1,700	545	996	1,541	1,110	2,127	3,237	2,736	5,290	8,026
15.	राजगढ़	9,500	615	1,232	1,847	98	262	360	769	1,591	2,360	1,679	3,254	4,933	3,161	6,339	9,500
16.	सीहोर	7,797	571	1,118	1,689	311	640	951	566	1,147	1,713	1,186	2,258	3,444	2,634	5,163	7,797
17.	विदिशा	8,891	743	1,166	1,909	149	361	510	906	1,320	2,226	1,461	2,785	4,246	3,259	5,632	8,891
18.	भोपाल	3,344	220	448	668	37	101	138	285	550	835	578	1,125	1,703	1,120	2,224	3,344
19.	गयेश्वर	8,151	409	925	1,334	566	948	1,514	601	1,014	1,615	1,670	2,018	3,688	3,246	4,905	8,151
20.	बैंगूल	9,665	339	532	871	1,612	3,231	4,843	394	724	1,118	956	1,877	2,833	3,301	6,364	9,665
21.	होशंगाबाद	6,532	361	672	1,033	488	988	1,476	452	850	1,302	889	1,832	2,721	2,190	4,342	6,532
22.	हरदा	3,283	194	342	536	379	732	1,111	180	323	503	366	767	1,133	1,119	2,164	3,283
23.	झावुआ	10,684	45	155	200	3,371	6,700	10,071	30	62	92	111	210	321	3,557	7,127	10,684
24.	इन्दौर	4,766	323	604	927	234	405	639	319	637	956	724	1,520	2,244	1,600	3,166	4,766
25.	धार	11,286	204	447	651	2,763	5,459	8,222	265	494	759	573	1,081	1,654	3,805	7,481	11,286
26.	खरोन	10,378	382	830	1,212	1,773	3,654	5,427	387	748	1,135	882	1,722	2,604	3,424	6,954	10,378
27.	बड़वारी	7,218	96	283	379	1,871	3,863	5,734	74	177	251	293	561	854	2,334	4,884	7,218
28.	खण्डवा	6,967	282	582	864	946	1,881	2,827	336	607	943	789	1,544	2,333	2,353	4,614	6,967
29.	बुरहानपुर	2,848	70	161	231	499	1,000	1,499	130	215	345	270	503	773	969	1,879	2,848
30.	टीकमगढ़	7,767	623	1,258	1,881	93	255	348	620	1,125	1,745	1,210	2,583	3,793	2,546	5,221	7,767
31.	पन्ना	6,343	445	871	1,316	378	768	1,146	447	814	1,261	829	1,791	2,620	2,099	4,244	6,343
32.	छतरपुर	9,434	837	1,533	2,370	135	310	445	857	1,419	2,276	1,484	2,859	4,343	3,313	6,121	9,434
33.	सोनर	10,411	841	1,317	2,158	458	862	1,320	932	1,526	2,458	1,553	2,922	4,475	3,784	6,627	10,411
34.	दमोह	7,632	500	988	1,488	368	812	1,180	545	1,038	1,583	1,171	2,210	3,381	2,584	5,048	7,632
35.	जबलपुर	8,193	335	680	1,015	774	1,589	2,363	535	975	1,510	1,038	2,267	3,305	2,682	5,511	8,193
36.	कटनी	4,884	177	397	574	473	913	1,386	329	698	1,027	618	1,279	1,897	1,597	3,287	4,884
37.	नरसिंहपुर	5,158	279	576	855	231	559	790	413	821	1,234	764	1,515	2,279	1,687	3,471	5,158
38.	छिंदवाड़ा	12,597	337	917	1,254	2,038	4,021	6,059	496	896	1,392	1,344	2,548	3,892	4,215	8,382	12,597
39.	सिवनी	9,483	318	643	961	1,651	2,769	4,420	437	690	1,127	984	1,991	2,975	3,390	6,093	9,483
40.	मण्डला	6,841	71	195	266	1,546	2,864	4,410	166	312	478	588	1,099	1,687	2,371	4,470	6,841
41.	डिण्डोरी	5,308	91	190	281	1,208	2,383	3,591	121	240	361	337	738	1,075	1,757	3,551	5,308
42.	बालाघाट	11,452	521	301	822	1,216	1,772	2,988	1,000	1,380	2,380	1,309	3,953	5,262	4,046	7,406	11,452
43.	रीवा	13,911	773	1,522	2,295	643	1,321	1,964	1,143	2,177	3,320	2,162	4,170	6,332	4,721	9,190	13,911
44.	सतना	11,788	650	1,423	2,073	657	1,406	2,063	931	1,762	2,693	1,788	3,171	4,959	4,026	7,762	11,788
45.	शहडोल	6,399	175	290	465	1,248	2,501	3,749	190	372	562	555	1,068	1,623	2,168	4,231	6,399
46.	अनूपपुर	4,463	63	202	265	1,002	1,979	2,981	109	199	308	319	590	909	1,493	2,970	4,463
47.	उमरिया	3,739	62	144	206	653	1	1,930	165	303	468	385	750	1,135	1,265	2,474	3,739
48.	सीधी	10,230	360	752	1,112	1,247	2,413	3,660	551	989	1,540	1,337	2,581	3,918	3,495	6,735	10,230
	योग	36,0954	18,843	36,564	55,407	34,272	67,580	1,01,852	23,107	41,658	64,765	46,790	92,140	1,38,930	1,23,012	2,37,942	3,60,951

**पंचायत आम निर्वाचन-2004-05**  
**त्रिस्तरीय पंचायतों में पदवार आरक्षण की स्थिति**

परिशिष्ट-एक (ख)  
सरपंच, ग्राम पंचायत

क्र. नं.	जिला	पदों की	आरक्षण की स्थिति															महायोग																			
			अनसूचित जाति					अनुसूचित जनजाति					अन्य पिछड़ा वर्ग					अनारक्षित अर्थात् सामान्य																			
			कुल	संख्या	महिला	मुक्त	योग	महिला	मुक्त	योग	महिला	मुक्त	योग	महिला	मुक्त	योग	महिला	मुक्त	योग	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.	मौरीना	474	32	67	99	1	3	4	39	79	118	84	169	253	156	318	474																				
2.	श्योपुर	226	11	23	34	26	51	77	15	29	44	24	47	71	76	150	226																				
3.	भिण्ड	443	38	60	98	-	-	-	35	76	111	79	155	234	152	291	443																				
4.	ग्वालियर	199	15	29	44	3	9	12	17	33	50	32	61	93	67	132	199																				
5.	शिवपुरी	613	39	80	119	27	54	81	51	101	152	86	175	261	203	410	613																				
6.	दतिया	281	26	49	75	1	4	5	24	46	70	44	87	131	95	186	281																				
7.	गुना	417	21	44	65	26	49	75	34	71	105	56	116	172	137	280	417																				
8.	अशोकनगर	331	24	48	72	10	22	32	29	54	83	47	97	144	110	221	331																				
9.	मंदसौर	441	29	60	89	5	11	16	37	74	111	75	150	225	146	295	441																				
10.	नीमच	239	10	20	30	9	16	25	19	41	60	42	82	124	80	159	239																				
11.	रत्नाम	419	20	41	61	53	105	158	25	51	76	42	82	124	140	279	419																				
12.	शाजापुर	554	46	91	137	5	11	16	46	93	139	88	174	262	185	369	554																				
13.	उज्जैन	612	61	125	186	6	14	20	53	101	154	84	168	252	204	408	612																				
14.	देवास	497	33	63	96	33	70	103	25	49	74	75	149	224	166	331	497																				
15.	राजगढ़	627	40	76	116	6	16	22	51	105	156	112	221	333	209	418	627																				
16.	सीहोर	497	36	72	108	21	43	64	41	84	125	68	132	200	166	331	497																				
17.	विदिशा	580	31	92	123	11	22	33	49	101	150	92	182	274	183	397	580																				
18.	भोपाल	202	13	28	41	3	6	9	17	34	51	34	67	101	67	135	202																				
19.	रायसेन	502	36	51	87	27	64	91	38	84	122	59	143	202	160	342	502																				
20.	बैतूल	557	11	22	33	121	233	354	24	45	69	33	68	101	189	368	557																				
21.	होशगाबाद	428	22	40	62	36	74	110	31	63	94	54	108	162	143	285	428																				
22.	हरदा	211	12	23	35	22	46	68	18	34	52	19	37	56	219	442	661	661	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
23.	झाबुआ	661	-	-	-	219	442	661	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.	इन्दौर	333	21	48	69	12	25	37	26	55	81	47	99	146	106	227	333																				
25.	धार	760	3	6	9	233	472	705	7	15	22	8	16	24	251	509	760																				
26.	खरसोन	600	11	22	33	147	296	443	17	33	50	25	49	74	200	400	600																				
27.	बड़वानी	417	-	-	-	138	279	417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
28.	खण्डवा	423	17	32	49	64	126	190	21	42	63	40	81	121	142	281	423																				
29.	बुरहानपुर	166	3	6	9	37	75	112	6	13	19	9	17	26	55	111	166																				
30.	टीकमगढ़	455	38	75	113	6	15	21	38	75	113	69	139	208	151	304	455																				
31.	पन्ना	395	26	53	79	23	45	68	33	64	97	49	102	151	131	264	395																				
32.	छत्तरपुर	554	46	92	138	9	16	25	46	91	137	85	169	254	186	368	554																				
33.	सापार	758	57	99	156	37	61	98	69	123	192	109	203	312	272	486	758																				
34.	दमोह	460	29	62	91	22	47	69	40	76	116	63	121	184	154	306	460																				
35.	जबलपुर	542	23	45	68	50	102	152	40	79	119	67	136	203	180	362	542																				
36.	कटनी	404	16	32	48	36	73	109	35	67	102	49	96	145	136	268	404																				
37.	नरसिंहपुर	457	29	46	75	27	40	67	43	72	115	77	123	200	176	281	457																				
38.	छिंदवाड़ा	808	16	31	47	166	332	498	34	69	103	50	110	160	266	542	808																				
39.	सिवनी	645	12	22	34	143	283	426	26	49	75	35	75	110	216	429	645																				
40.	मण्डला	441	-	-	-	151	289	440	-	1	1	-	-	-	-	-	151	290	441																		
41.	डिङ्डौरी	364	-	-	-	120	244	364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
42.	बालाघाट	691	17	28	45	83	157	240	46	84	130	86	190	276	232	459	691																				
43.	रीवा	827	45	89	134	39	79	118	69	139	208	122	245	367	275	552	827																				
44.	सतना	688	40	78	118	36	76	112	57	114	171	95	192	287	228	460	688																				
45.	शहडोल	391	2	4	6	116	233	349	6	11	17	6	13	19	130	261	391																				
46.	अनूपपुर	276	-	-	-	93	1																														

पंचायत आम निर्वाचन-2004  
प्रिस्तरीय पंचायतों में पदवार अरक्षण की स्थिति

परिशिष्ट-एक (ग)  
सदस्य, जनपद पंचायत

क्र. संख्या	जिला	पदों की संख्या	आरक्षण की स्थिति															
			अनेसूचित जाति					अनुसूचित जनजाति					अन्य पिछड़ा वर्ग			अनारक्षित अथोत् सामाज्य		
			कुल	महिला	मुक्त	योग	महिला	मुक्त	योग	महिला	मुक्त	योग	महिला	मुक्त	योग	महिला	मुक्त	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
1.	मुरैना	172	13	24	37	-	1	1	14	27	41	28	65	93	55	117	172	
2.	श्योपुर	65	4	7	11	6	10	16	4	9	13	9	16	25	23	42	65	
3.	भिण्ड	144	10	21	31	-	-	-	12	23	35	26	52	78	48	96	144	
4.	ग्वालियर	75	5	11	16	1	3	4	6	12	18	12	25	37	24	51	75	
5.	शिवपुरी	199	14	24	38	9	18	27	16	32	48	25	61	86	64	135	199	
6.	दतिया	73	6	13	19	-	1	1	6	12	18	12	23	35	24	49	73	
7.	गुना	117	6	13	19	6	16	22	9	21	30	17	29	46	38	79	117	
8.	अशोकनगर	95	7	13	20	3	7	10	8	15	23	13	29	42	31	64	95	
9.	मंदसौर	116	9	14	23	-	3	3	10	18	28	18	44	62	37	79	116	
10.	नीमच	75	3	7	10	3	5	8	6	12	18	12	27	39	24	51	75	
11.	रतलाम	124	6	11	17	14	31	45	8	14	22	13	27	40	41	83	124	
12.	शाजापुर	160	12	26	38	1	3	4	12	27	39	27	52	79	52	108	160	
13.	उज्जैन	148	16	29	45	1	2	3	12	25	37	19	44	63	48	100	148	
14.	देवास	139	9	17	26	8	16	24	8	12	20	21	48	69	46	93	139	
15.	राजगढ़	146	10	17	27	1	5	6	12	24	36	25	52	77	48	98	146	
16.	सीहोर	114	8	15	23	5	13	18	10	18	28	14	31	45	37	77	114	
17.	विदिशा	164	14	22	36	3	7	10	16	26	42	25	51	76	58	106	164	
18.	भोपाल	50	3	7	10	1	2	3	4	8	12	8	17	25	16	34	50	
19.	सायरसेन	146	9	16	25	10	16	26	13	24	37	20	38	58	52	94	146	
20.	बैंगूल	221	6	15	21	35	68	103	11	23	34	22	41	63	74	147	221	
21.	होशंगाबाद	129	7	15	22	9	19	28	9	20	29	17	33	50	42	87	129	
22.	हरदा	74	4	8	12	8	17	25	4	8	12	8	17	25	24	50	74	
23.	झानुआ	205	1	3	4	65	123	188	-	-	-	3	10	13	69	136	205	
24.	इन्दौर	100	7	15	22	4	12	16	8	18	26	13	23	36	32	68	100	
25.	धार	250	4	11	15	56	107	163	8	13	21	17	34	51	85	165	250	
26.	खरगोन	203	8	16	24	35	68	103	7	16	23	16	37	53	66	137	203	
27.	बढ़वानी	133	2	6	8	34	65	99	2	2	4	7	15	22	45	88	133	
28.	खण्डवा	144	5	12	17	19	33	52	8	16	24	15	36	51	47	97	144	
29.	बुरहानपुर	50	1	3	4	6	14	20	2	4	6	7	13	20	16	34	50	
30.	टीकमगढ़	146	12	23	35	-	6	6	12	25	37	26	42	68	50	96	146	
31.	पन्ना	123	8	17	25	7	14	21	10	20	30	15	32	47	40	83	123	
32.	छतरपुर	186	17	28	45	3	6	9	15	30	45	27	60	87	62	124	186	
33.	सामर	240	20	29	49	12	18	30	22	37	59	36	66	102	90	150	240	
34.	दमोह	144	10	19	29	7	15	22	12	24	36	19	38	57	48	96	144	
35.	जबलपुर	163	7	14	21	15	30	45	12	24	36	19	42	61	53	110	163	
36.	कटगी	122	6	7	13	11	24	35	10	22	32	15	27	42	42	80	122	
37.	नरसिंहपुर	135	7	16	23	7	13	20	12	22	34	18	40	58	44	91	135	
38.	छिंदवाड़ा	233	7	20	27	30	63	93	16	29	45	23	45	68	76	157	233	
39.	सिवनी	161	5	11	16	25	42	67	9	18	27	18	33	51	57	104	161	
40.	मण्डला	139	1	5	6	31	53	84	5	10	15	12	22	34	49	90	139	
41.	डिण्डौरी	99	1	5	6	23	43	66	1	3	4	8	15	23	33	66	99	
42.	बालापाट	221	8	8	16	21	32	53	17	32	49	33	70	103	79	142	221	
43.	रीवा	225	10	26	36	12	20	32	18	36	54	32	71	103	72	153	225	
44.	सतना	195	10	25	35	12	20	32	16	31	47	25	56	81	63	132	195	
45.	शहडोल	119	3	5	8	20	40	60	5	12	17	10	24	34	38	81	119	
46.	अनूपपुर	85	2	4	6	17	34	51	2	5	7	6	15	21	27	58	85	
47.	उमरिया	65	1	3	4	11	21	32	2	4	6	8	15	23	22	43	65	
48.	सीधी	179	6	15	21	21	39	60	10	19	29	20	49	69	57	122	179	
	योग	6,811	350	691	1,041	628	1,218	1,846	451	882	1,333	839	1,752	2,591	2,268	4,543	6,811	

पंचायत आम निवाचन-2004  
त्रिस्तरीय पंचायतों में पदवार आरक्षण की स्थिति

परिशिष्ट-एक (घ)  
सदस्य, जिला पंचायत

क्र. संख्या	जिला पदों को	आरक्षण की स्थिति																	
		कुल		अनमूलित जाति				अनुमूलित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अनारक्षित अथात् सामान्य			
		संख्या	महिला	मुक्त	यांग	महिला	मुक्त	यांग	महिला	मुक्त	योग	महिला	मुक्त	यांग	महिला	मुक्त	योग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
1. मुरैसा	20	1	3	4	-	-	-	-	2	3	5	4	7	11	7	13	20		
2. श्योपुर	10	1	1	2	1	1	2	1	1	2	3	1	2	3	4	6	10		
3. भिण्ड	21	2	3	5	-	-	-	-	1	3	4	5	7	12	8	13	21		
4. ग्वालियर	13	1	3	4	-	1	1	1	2	3	2	3	5	4	9	13			
5. शिवपुरी	23	2	2	4	1	2	3	2	4	6	3	7	10	8	15	23			
6. दतिया	10	1	2	3	-	-	-	-	1	2	3	1	3	4	3	7	10		
7. गुना	14	1	1	2	1	2	3	1	3	4	2	3	5	5	9	14			
8. अशोकनगर	11	1	1	2	-	1	1	1	2	3	2	3	5	4	7	11			
9. मंदसौर	17	1	2	3	-	1	1	1	2	4	3	6	9	6	11	17			
10. नीमच	10	-	1	1	-	1	1	1	2	3	2	3	5	3	7	10			
11. रत्नाम	16	1	1	2	2	4	6	1	3	4	1	3	4	5	11	16			
12. शाजापुर	17	1	3	4	-	1	1	1	3	4	4	4	8	6	11	17			
13. उज्जैन	21	2	4	6	-	-	-	-	2	3	5	3	7	10	7	14	21		
14. देवास	18	1	2	3	1	3	4	2	3	5	2	4	6	6	12	18			
15. राजगढ़	18	1	2	3	-	1	1	1	2	3	5	3	6	9	6	12	18		
16. सीहोर	17	1	3	4	1	1	2	1	3	4	3	4	7	6	11	17			
17. विदिशा	19	2	2	4	-	1	1	2	3	5	3	6	9	7	12	19			
18. भोपाल	10	1	1	2	-	-	-	-	1	2	3	2	3	5	4	6	10		
19. रायसेन	17	1	2	3	1	2	3	1	3	4	3	4	7	6	11	17			
20. बैंतूल	23	1	1	2	4	7	11	1	3	4	2	4	6	8	15	23			
21. होशंगाबाद	15	1	1	2	1	2	3	1	3	4	2	4	6	5	10	15			
22. हरदा	10	1	1	2	1	2	3	1	2	3	1	1	2	4	6	10			
23. झाझुआ	20	-	1	1	7	11	18	-	-	-	-	-	1	1	7	13	20		
24. इन्दौर	15	1	2	3	1	1	2	1	2	3	2	5	7	5	10	15			
25. धार	27	1	1	2	5	12	17	1	1	2	2	4	6	9	18	27			
26. खरगोन	26	1	2	3	4	9	13	1	3	4	2	4	6	8	18	26			
27. बड़बानी	14	-	1	1	4	7	11	-	-	-	1	1	2	5	9	14			
28. खण्डवा	16	1	1	2	2	4	6	1	3	4	1	3	4	5	11	16			
29. बुरहानपुर	10	-	1	1	1	2	3	1	2	3	1	2	3	3	7	10			
30. दीक्षमगढ़	18	1	3	4	-	1	1	1	3	4	4	5	9	6	12	18			
31. पन्ना	14	1	2	3	1	1	2	1	3	4	2	3	5	5	9	14			
32. छतरपुर	22	2	3	5	-	1	1	2	3	5	4	7	11	8	14	22			
33. सागर	27	2	4	6	1	2	3	3	4	7	4	7	11	10	17	27			
34. दमोह	15	1	2	3	1	1	2	1	3	4	2	4	6	5	10	15			
35. जबलपुर	17	1	1	2	2	3	5	1	3	4	2	4	6	6	11	17			
36. कटनी	14	1	1	2	1	2	3	1	3	4	2	3	5	5	9	14			
37. नरसिंहपुर	15	1	1	2	1	1	2	1	3	4	2	5	7	5	10	15			
38. ठिंडवाड़ा	26	1	1	2	3	7	10	2	3	5	3	6	9	9	17	26			
39. सिवनी	19	1	1	2	3	4	7	1	2	3	2	5	7	7	12	19			
40. मण्डला	16	-	1	1	4	6	10	-	1	1	2	2	4	6	10	16			
41. डिण्डौरी	10	-	1	1	2	4	6	-	-	0	1	2	3	3	7	10			
42. बालाघाट	27	1	1	2	2	4	6	3	3	6	3	10	13	9	18	27			
43. रीवा	32	2	3	5	2	3	5	3	5	8	4	10	14	11	21	32			
44. सतना	26	1	3	4	1	3	4	2	5	7	5	6	11	9	17	26			
45. शहडोल	15	-	1	1	3	5	8	1	1	2	1	3	4	5	10	15			
46. अनूपपुर	11	-	1	1	2	4	6	1	-	1	1	2	3	4	7	11			
47. उमरिया	10	-	1	1	2	3	5	-	-	-	1	3	4	3	7	10			
48. सीधी	24	1	2	3	3	5	8	2	4	6	2	5	7	8	16	24			
योग	836	46	84	130	72	139	211	60	119	179	110	206	316	288	548	836			

## आयोग में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण

क्र.	पदनाम	संख्या	वेतनमान
01	संयुक्त निर्वाचन आयुक्त/सचिव (सुपर टाईम स्केल आय.ए.एस.)	01	18400-500-22400
02	सहायक निर्वाचन आयुक्त/उप सचिव	02	12000-375-16500
03	वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी	01	14300-400-18300 (अथवा एम.पी.एफ.एस. संवर्ग के वेतनमान)
04	लेखाधिकारी	02	8000-275-13500
05	विधिक सलाहकार (संविदा नियुक्ति पर)	01	12000-375-16500
06	उप सचिव	01	12000-375-16500
07	अवर सचिव	01	10000-325-15200
08	अनुभाग अधिकारी	04	6500-200-10500
09	वरिष्ठ सहायक	04	5000-150-8000
10	सहायक	08	4000-100-6000
11	कनिष्ठ सहायक/स्टेनोटायपिस्ट	16	3050-75-3950-80-4590
12	विशेष सहायक	01	10000-325-15200
13	स्टाफ ऑफिसर	03	6500-200-10500
14	निज सचिव	01	5500-175-9000
15	निज सहायक	04	5000-150-8000
16	कनिष्ठ लेखाधिकारी	02	5000-150-8000
17	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	01	5500-175-9000
18	सांख्यिकी अधिकारी	01	8000-275-13500
19	लेखापाल/केशियर	02	4000-100-6000
20	वाहन चालक	03	3050-75-3950-80-4590
21	वाहन चालक	05	कांटिजेंसी पेड
22	सुपरवाइजर	01	3050-75-3950-80-4590
23	भृत्य/चौकीदार/संदेश वाहक	06	2550-55-2660-60-3200
24	भृत्य/चौकीदार/संदेश वाहक	14	कांटिजेंसी पेड
25	जमादार	01	2610-60-3150-65-3540
26	दफतरी	01	2610-60-3150-65-3540
27	स्वीपर (पार्टटाईम)	01	जिलाध्यक्ष दर पर
28	माली (पूर्णकालिक)	01	जिलाध्यक्ष दर पर

**त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए पदाभिहित रिटर्निंग आफिसर  
तथा सहायक रिटर्निंग आफिसर**

क्रमांक	पंचायत का नाम जिसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन से स्थान भरने के लिए कार्यवाही की जा रही है	पद जिसके लिए निर्वाचन किया जा रहा है	अधिकारी का पदनाम, जिसे रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) पदाभिहित किया गया है	अधिकारी का पदनाम जिसे सहायक रिटर्निंग (पंचायत) पदाभिहित किया गया है	अधिकार क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	जिला पंचायत	सदस्य	कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) नियम 19(3) के अन्तर्गत	अपर कलेक्टर/संयुक्त कलेक्टर/ डिप्टी कलेक्टर/सहायक कलेक्टर/ उप संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा/जिला योजना अधिकारी/ विकासखण्ड अधिकारी/ तहसीलदार/ अपर तहसीलदार/ अधीक्षक, भू- अभिलेख/नायब तहसीलदार/सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	संपूर्ण जिला
2.	जनपद पंचायत	सदस्य	तहसीलदार/अपर तहसीलदार या डिप्टी कलेक्टर/सहायक कलेक्टर/अधीक्षक, भू-अभिलेख/सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	(1) तहसीलदार/अपर तहसीलदार, अधीक्षक, भू-अभिलेख/सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख यदि वह स्वयं रिटर्निंग आफिसर नियुक्त न किया गया हो तो.  (2) अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त/विकासखण्ड अधिकारी/वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी/विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी/ नायब तहसीलदार/कृषि विस्तार अधिकारी/सहकारिता विस्तार अधिकारी/उद्योग निरीक्षक (विस्तार)/पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठक/विकास विस्तार अधिकारी/उपयंत्री (ग्रामीण यांत्रिकी सेवा)/ खाद्य निरीक्षक/मण्डल संयोजक, आदिम जाति कल्याण.*	संपूर्ण खण्ड (अर्थात् जनपद पंचायत क्षेत्र)
3.	ग्राम पंचायत	(1) सरपंच (2) पंच	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार

\*उपयंत्री/परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना/सहायक यंत्री/पशु चिकित्सक/आदिम जाति कल्याण विभाग' के व्याख्याता.

**पंचायतों के आम निवाचन 2004 के लिए मतदाता सूची तैयारी के प्रथम चरण के  
पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त प्रेक्षक**

क्र.	जिले का नाम	प्रेक्षक का नाम
1.	छिन्दवाड़ा	श्री ए.डी. मोहिले, आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त)
2.	धार	श्री ए. जी. खरे, आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त)
3.	खण्डवा/बुरहानपुर	श्री बी. के. रमोले, आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त)
4.	सागर/दमोह/पन्ना	श्री जे. एल. अजमानी, आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त)
5.	रायसेन/सीहोर	श्री के. एल. जैन, आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त)
6.	सिवनी/नरसिंहपुर	श्री एम. एल. पाटिल, आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त)
7.	बैतूल/भोपाल	श्री मोती सिंह, आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त)
8.	होशंगाबाद/हरदा	श्री पी. पी. अग्रवाल, आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त)
9.	रीवा/सतना	श्री टी. डी. गोरखेड़े, आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त)
10.	मंदसौर/नीमच/रतलाम	श्री एस. सी. पाठक, आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त)
11.	जबलपुर/कटनी	श्री बी. सी. रावत, आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त)
12.	इन्दौर/देवास	श्री एस. डी. शुक्ला, आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त)
13.	गुना/अशोकनगर	श्री एस. सी. जैन, आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त)
14.	विदिशा/राजगढ़	श्री यशपाल कुमार, आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त)
15.	उज्जैन/शाजापुर	श्री के. पी.सेठिया, आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त)
16.	मण्डला/डिण्डौरी/बालाघाट	श्री के. डी. मिश्रा, आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त)
17.	मुरैना/भिण्ड	श्री जे. एन. पाण्डे, आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त)
18.	छतरपुर/टीकमगढ़	श्री ए. एल. तिवारी, आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त)
19.	ग्वालियर/दतिया/शिवपुरी/श्योपुर	श्री एस. पी. गुप्ता, आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त)
20.	खरगोन/बड़वानी	श्री पी. एस. तोमर, आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त)
21.	शहडोल/उमरिया/अनूपपुर/झाबुआ	श्री आई. डी. खत्री, आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त)

परिशिष्ट-चार (ब)

पंचायतों के आम निवाचन 2004 के लिए मतदाता सूची तैयारी के द्वितीय चरण के पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त प्रेक्षक

क्र.	जिला	प्रेक्षक का नाम
1.	मुरैना	श्री सुरेश जैन, आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त)
2.	श्योपुर एवं शिवपुरी	श्री टी. डी. गौरखेड़े, आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त)
3.	भिण्ड	श्री एस. पी. गुप्ता, आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त)
4.	दतिया	श्री ए. एन. तिवारी, आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त)
5.	गुना	श्री पी. पी. अग्रवाल, आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त)
6.	देवास	श्री डी. पी. दुबे, आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त)
7.	रायसेन	श्री के. एल. जैन, आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त)
8.	खण्डवा	श्री ए. जी. खरे, आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त)
9.	छतरपुर	श्री जे. एन. पाण्डे, आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त)
10.	पन्ना	श्री बी. के. रमोले, आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त)
11.	सागर	श्री मोती सिंह, आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त)
12.	टीकमगढ़	श्री एस. सी. पाठक, आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त)
13.	जबलपुर	श्री यशपाल कुमार, आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त)
14.	कटनी	श्री के. डी. मिश्रा, आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त)
15.	नरसिंहपुर	श्री एम. एल. पाटिल, आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त)
16.	छिन्दवाड़ा	श्री ए. डी. मोहिले, आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त)
17.	रीवा	श्री एस. डी. शुक्ला, आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त)
18.	सतना	श्री जे. एल. अजवानी, आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त)
19.	शहडोल एवं अनूपपुर	श्री आई. डी. खत्री, आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त)
20.	सीधी	श्री पी. एस. तोमर, आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त)
21.	सिवनी	श्री वी. सी. रावत, आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त)

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग  
विभिन्न जिलों से मतदाता सूची मुद्रण हेतु अनुमोदित दरें

संभाग	क्र.	जिला	दरें 100 प्रतियाँ			दरें 50 प्रतियाँ		
			पूर्ण पृष्ठ	आधा पृष्ठ	चौथाई पृष्ठ	पूर्ण पृष्ठ	आधा पृष्ठ	चौथाई पृष्ठ
चंबल	1	मुरैना	34.50	20.88	10.44	34.50	20.88	10.44
	2	श्योपुर	48.00	23.89	11.00	47.00	23.00	11.00
	3	भिण्ड	38.00	20.00	10.00	38.00	20.00	10.00
ग्वालियर	4	ग्वालियर	34.80	17.80	8.90	34.80	17.80	8.90
	5	शिवपुरी	29.40	20.00	20.00	24.40	25.00	20.00
	6	दतिया	40.80	22.00	11.00	40.80	22.00	11.00
	7	गुना	32.00	16.00	10.00	32.00	16.00	10.00
	8	अशोकनगर	39.85	19.92	9.96	39.85	19.92	9.96
उज्जैन	9	मदसौर	41.75	20.88	10.44	41.75	20.88	10.44
	10	नीमच	39.50	20.00	10.50	39.50	20.00	10.50
	11	रतलाम	38.00	20.00	10.00	38.00	20.00	10.00
	12	शाजापुर	26.00	24.00	20.00	26.00	24.00	20.00
	13	उज्जैन	27.50	16.00	10.30	27.50	16.00	10.30
भोपाल	14	देवास	29.00	20.00	10.00	29.00	20.00	10.00
	15	राजगढ़	29.90	18.00	10.00	29.90	18.00	10.00
	16	सीहोर	29.90	19.90	10.44	25.25	18.00	10.00
	17	विदिशा	25.00	15.00	7.00	15.00	12.00	8.00
	18	भोपाल	24.80	14.00	8.00	24.80	14.00	8.00
होशंगाबाद	19	रायसेन	38.00	19.00	9.50	34.00	18.00	10.00
	20	बैतूल	41.75	20.88	10.44	41.75	20.88	10.44
	21	होशंगाबाद	34.76	17.39	8.70	34.76	17.39	8.70
	22	हरदा	30.00	15.00	7.50	30.00	15.00	7.50
	23	झाबुआ	40.75	20.75	9.75	40.75	20.75	9.75
इंदौर	24	इंदौर	18.90	18.90	10.30	18.90	18.90	10.30
	25	धार	24.90	12.45	9.00	24.90	12.45	9.00
	26	खरगोन	30.25	20.00	10.44	30.25	20.00	10.44
	27	बड़वानी	38.00	20.00	10.00	38.00	20.00	10.00
	28	खण्डवा	37.00	20.00	10.25	37.00	20.00	10.25
सागर	29	बुरहानपुर	37.90	19.90	9.90	37.90	19.90	9.90
	30	टीकमगढ़	22.80	14.00	7.00	19.00	14.00	7.00
	31	छतरपुर	22.90	13.10	7.30	22.00	15.00	9.00
	32	पन्ना	33.00	16.50	8.25	33.00	16.50	8.25
	33	सागर	20.00	18.00	9.69	20.00	18.00	9.69
जबलपुर	34	दमोह	33.90	17.00	8.50	33.90	17.00	8.50
	35	जबलपुर	31.20	20.00	10.00	31.20	20.00	10.00
	36	कटनी	27.80	19.00	10.00	27.80	19.00	10.00
	37	नरसिंहपुर	29.00	19.00	10.00	35.50	20.00	10.00
	38	छिंदवाड़ा	37.00	20.00	15.00	29.00	15.00	10.00
रीवा	39	सिवनी	21.20	20.00	18.00	20.00	18.00	17.00
	40	मण्डला	33.00	18.00	8.90	33.00	18.00	8.90
	41	डिङ्डोरी	37.00	20.00	10.00	37.00	20.00	10.00
	42	बालाधार	40.00	20.00	10.00	40.00	20.00	10.00
	43	रीवा	35.00	19.00	11.00	35.00	19.00	11.00
	44	अनूपपुर	41.75	20.88	10.44	41.75	20.88	10.44
	45	सतना	23.00	15.00	7.50	28.00	14.00	8.00
	46	शहडोल	48.00	24.00	12.00	48.00	24.00	12.00
	47	उमरिया	35.00	18.00	10.00	41.50	20.88	10.44
	48	सीधी	41.00	20.80	10.00	41.50	20.88	10.00

परिशिष्ट-छ: (क)

**निर्वाचन प्रतीकों की सूची**  
भाग-एक-जिला पंचायत के सदस्य के लिये

क्रमांक (1)	प्रतीक (2)	क्रमांक (1)	प्रतीक (2)
1.	तीर कमान	20.	बल्ला
2.	दो पंतियां	21.	चाबी
3.	ऊगता सूरज	22.	मोमबत्तियां
4.	पतंग	23.	कढ़ाई
5.	छाता	24.	सीटी
6.	गाड़ी	25.	सिर पर टोकरी सहित औरत
7.	लालटेन	26.	लड़का-लड़की
8.	फावड़ा और बेलचा	27.	नाव
9.	बिजली का बल्ब	28.	बैच
10.	सिलाई की मशीन	29.	गैस सिलेण्डर
11.	हाथ चक्की	30.	गैस स्टोव
12.	टेबल पंखा	31.	सिगड़ी
13.	स्लोट	32.	संडसी
14.	रेडियो	33.	गैस बत्ती
15.	हारमोनियम	34.	गुब्बारा
16.	तो तलवार और एक ढाल	35.	मेज
17.	पिचकारी	36.	कुर्सी
18.	मटका	37.	मोरपंख
19.	अंगूठी	38.	पीपल का पत्ता
		39.	सूरज मुखी

भाग-दो-जनपद पंचायत के सदस्य के लिये

क्रमांक (1)	प्रतीक (2)	क्रमांक (1)	प्रतीक (2)
1.	ब्लैक बोर्ड	13.	डीजल पम्प
2.	बरगद का पेड़	14.	प्रेशर कुकर
3.	झोपड़ी	15.	कप प्लेट
4.	ट्रैक्टर चलाता हुआ किसान	16.	लेटर बाक्स
5.	तराजू	17.	आरी
6.	फसल काटता हुआ किसान	18.	कंधी
7.	मशाल	19.	ढोलक
8.	अलमारी	20.	झम
9.	छत का पंखा	21.	भोंपू
10.	टेलीविजन	22.	चारपाई
11.	रेल का इंजन	23.	दरवाजा
12.	टेलीफोन		

## भाग-तीन-ग्राम पंचायत के सरपंच के लिये

क्रमांक (1)	प्रतीक (2)	क्रमांक (1)	प्रतीक (2)
1.	चश्मा	13.	स्टूल
2.	कांच का गिलास	14.	कलम दवात
3.	फलों सहित नारियल का पेड़	15.	कुआ
4.	हस्तचलित पम्प	16.	गेहूँ की बाली
5.	ताला और चाबी	17.	बस
6.	अनाज बरसाता हुआ किसान	18.	पुल
7.	सज्जियों की टोकरी	19.	नल
8.	घंटी	20.	लट्टू
9.	टेबल लैंप	21.	जग
10.	खंभे पर ट्यूब लाइट	22.	हाकी और गेंद
11.	हार	23.	टोप
12.	किसाब	24.	वायलिन

## भाग-चार-ग्राम पंचायत के पंच के लिये

क्रमांक (1)	प्रतीक (2)	क्रमांक (1)	प्रतीक (2)
1.	सीढ़ी	6.	बिजली का स्विच
2.	फावड़ा	7.	मक्के का भुट्टा
3.	बाल्टी	8.	कैंची
4.	हल	9.	केतली
5.	कुल्हाड़ी	10.	बेलन

भाग-पांच-किसी वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र में अध्यर्थियों की संख्या की बहुलता की स्थिति में आवंटित किये जाने वाले अतिरिक्त प्रतीक

क्रमांक (1)	प्रतीक (2)	क्रमांक (1)	प्रतीक (2)
1.	बनियान	8.	बायुयान
2.	कमीज	9.	रोड रोलर
3.	फ्राक	10.	सेव
4.	गुलाब का फूल	11.	मूली
5.	पोत	12.	आम
6.	स्कूटर	13.	केला
7.	जीप	14.	लेडी पर्स

# परिशिष्ट-छः (ख)

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

पंचायत निर्वाचन

जिला पंचायत सदस्यों के लिए प्रतीक

जिला पंचायत

दौर-क्षण	दो पत्तियाँ	उगता सूरज	पतंग	छाता
Bow and Arrow	Two Leaves	Rising Sun	Kite	Umbrella
गाड़ी	लालटेन	फावड़ा और बेतचा	बिजली का बल्ब	सिलई की मशीन
Cart	Hurricane Lamp	Spade and Stoker	Electric Bulb	Sewing Machine
हाथ चक्की	टेबल फैन	स्लैट	रेडियो	हारमोनियम
Grinding Wheel	Table Fan	Slate	Radio	Harmonium
दो तातों और एक ढाल	पिंचाटी	मटका	अंगूठी	बल्ला
Two Swords and a Shield	Syringe	Earthen Pot	Ring	Bat
कांडी	मोमबातियाँ	कढ़ाई	सीटी	सिर पर टोकती सहित औरत
Key	Candles	Cauldron	Whistle	A woman carrying basket on her head
लड़का और लड़की	नाव	बेंच	गैस पिल्लापाता	गैस स्टोव
Boy and Girl	Boat	Bench	Gas Cylinder	Gas Stove
सिंगड़ी	संडभी	गैमवटी	बूजाण	बेंक
Sigri	Pincers	Petromax	Balloon	Table
कुर्सी	प्रोलस्ट्र	पीपल का फूल	सूखेमुखी	
Chair	Peacock feather	Peepal Leaf	Sunflower	

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

परिशिष्ट-छ: (ग)

पंचायत निर्वाचन  
जनपद पंचायत सदस्यों के लिए प्रतीक

कागड़ का पट्ट		Black Board	कागड़ का पट्ट		Hut	किसान चलाता हुआ किसान		Farmer driving Tractor	टेल का इक्कत		Scales	तापू		Tanpat
भूमि की छड़ी		Flaming Torch	भूमि की छड़ी		Banyan Tree	अलमारी		Ceiling Fan	कपसेट		Television	रेल वाहन		Railway Engine
प्रश्नपत्र		Diesel Pump	प्रश्नपत्र		Almirah	प्रेस कुकर		Pressure Cooker	कपसेट		Cup & Saucer	लेटर बॉक्स		Saw
डिलक		Drum	डिलक		Trumpet	वारपाई		Cot	दरवाजा		Door			

मध्यप्रदेश राज्य निवाचन आयोग  
पंचायत निर्वाचन

परिशिष्ट-छ: (छ)

सरपंच

चश्मा	Glasses	कच्च का मिलाय	फलों शहित गारीबल का खेड़	हस्तचानस पम्प	ताला और चाबी	अनाज चरवाता हुआ किसान
Spectacles	Glass Tumbler	पाठी	Cocoanut Tree Beating Fruits	खुबे पाँड द्वारा लौट	Lock and Key	Cultivator winnowing grain
मर्मज्ञों की सोनकी	Bell	पाठी	टेकला लैम्प	खुबे पाँड	हार	किताब
Basket containing vegetables	Stool	करेप - चवात	Table Lamp	Tubelight on Pole	Necklace	Book
स्टूल	Stool	स्टूल	खड़ी	गोदू को बालं	गोदू	पुल
Inkpot & Pen	Tap	लट्टू	खड़ी	वेल	Bus	Bridge
लट्टू	Tap	लट्टू	खड़ी और गोदू	वेल	टोप	बायालिन
Well	Hockey and Ball	खड़ी	खड़ी	लूप	हात	Violin
Top	Fug	खड़ी	खड़ी	खड़ी	Hat	

## परिशिष्ट-छः (च)

मध्यप्रदेश राज्य निवाचन आयोग  
पंचायत निवाचन  
पंच पदों के लिए प्रतीक

## पंच

सीढ़ी	फालड़ा	बालटी	हल	कुत्ताई
Ladder	Spade	Bucket	Plough	Axe
बिजली का स्थिवर	मक्के का भुट्टा	कैंची	केतली	बोतान
Electric Switch	Maize	Scissors	Kettle	Chapatti Roller

## परिशिष्ट-छः (छ)

मध्यप्रदेश राज्य निर्बाचन आयोग

पंचायत निर्बाचन

किसी वार्ड/निर्बाचन क्षेत्र में अध्यर्थियों की संख्या की बहुत की स्थिति में आवंटित किये जाने वाले अतिरिक्त प्रतीक

अतिरिक्त			
बनियान	कमीज	फ्राक	गुलाब का फूल
Vest	Shirt	Frock	Rose Flower
स्कूटर	जीप	वायुयान	रोड रोलर
Scooter	Jeep	Aeroplane	Road Roller
मूली	आम	केला	लेडी पसं
Radish	Mango	Banana	Lady Purse

## जिलों को प्रदाय किये जाने वाले सांचों का विवरण

क्र.	जिला	पद का विवरण			जिले का योग
		पंच	सरपंच	जनपद पंचायत सदस्य	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	मुँगा	102	324	400	826
2	श्योपुर	26	94	175	295
3	भिण्ड	83	269	345	697
4	खालियर	45	154	230	429
5	शिवपुरी	121	364	460	945
6	दतिया	26	94	175	295
7	गुना	64	230	317	611
8	अशोकनगर	76	214	198	488
9	मदसौर	64	209	285	558
10	नीमच	26	94	175	295
11	रतलाम	83	269	345	697
12	शाजापुर	121	384	460	965
13	उज्जैन	83	269	345	697
14	देवास	83	269	345	697
15	राजगढ़	83	269	345	697
16	सीहोर	64	209	290	563
17	विदिशा	102	324	400	826
18	भोपाल	9	39	115	163
19	रायसेन	102	324	400	826
20	बैतूल	159	499	575	1,233
21	होशगाबाद	102	324	405	831
22	हरदा	26	94	175	295
23	झावुआ	197	614	690	1,501
24	इन्दौर	45	154	230	429
25	धार	216	674	745	1,635
26	खरगोन	140	444	515	1,099
27	बड़वानी	102	324	405	831
28	खण्डवा	102	337	416	855
29	बुरहानपुर	38	107	99	244
30	टोकमगढ़	83	264	345	692
31	पन्ना	121	384	490	995
32	छतरपुर	64	209	290	563
33	सागर	17	559	630	1,206
34	दमोह	102	324	405	831
35	जबलपुर	102	324	405	831
36	कटनी	83	269	345	697
37	नरसिंहपुर	83	269	345	697
38	छिंदवाड़ा	178	559	630	1,367
39	सिवनी	121	384	460	965
40	मण्डला	102	329	405	836
41	डिण्डौरी	140	444	515	1,099
42	बालाघाट	159	499	575	1,233
43	रोवा	140	444	515	1,099
44	सतना	121	384	460	965
45	शहडोल	64	230	322	616
46	अनूपपुर	76	214	198	488
47	उमरिया	26	99	175	300
48	सीधी	121	384	460	965
	योग . .	4,393	14,545	18,030	36,968

**पंच, सरपंच एवं जनपद पंचायत सदस्य पद हेतु मुद्रित कराए जाने वाले मतपत्रों के मुद्रण के लिए  
निर्धारित उच्चतम दरें ( सीलिंग रेट्स )**

**विवरण****उच्चतम ( सीलिंग ) दर**

I.	पंच पद के 2 अध्यर्थियों वाला मतपत्र	रुपये 38.50 प्रति 100 मतपत्र तक
	पंच पद के 3 अध्यर्थियों वाला मतपत्र	रुपये 40.70 प्रति 100 मतपत्र तक
	पंच पद के 4 अध्यर्थियों वाला मतपत्र	रुपये 43.00 प्रति 100 मतपत्र तक
	पंच पद के 5 अध्यर्थियों वाला मतपत्र	रुपये 45.70 प्रति 100 मतपत्र तक

टीप.—(1) पंच पद हेतु अध्यर्थियों की संख्या बढ़ने पर उपरोक्तानुसार प्रत्येक अतिरिक्त अध्यर्थी हेतु प्रति 100 तक मतपत्रों के मुद्रण के लिए रुपये 2.40 की वृद्धि की जावेगी।

(2) पंच पद के लिये मुद्रित कराए जाने वाले मतपत्रों की संख्या यदि 100 से अधिक हो तो अध्यर्थियों की संख्या के अनुसार निर्धारित सीलिंग दर में प्रत्येक 10 मतपत्रों के एकक (यूनिट) के लिए सीलिंग दर समानुपातिक रूप से बढ़ी हुई मानी जावे।

II.	सरपंच पद के 2 अध्यर्थियों वाला मतपत्र	रुपये 265 प्रति 1000 मतपत्र तक
	सरपंच पद के 3 अध्यर्थियों वाला मतपत्र	रुपये 276 प्रति 1000 मतपत्र तक
	सरपंच पद के 4 अध्यर्थियों वाला मतपत्र	रुपये 287 प्रति 1000 मतपत्र तक
	सरपंच पद के 5 अध्यर्थियों वाला मतपत्र	रुपये 298 प्रति 1000 मतपत्र तक
	सरपंच पद के 6 अध्यर्थियों वाला मतपत्र	रुपये 309 प्रति 1000 मतपत्र तक

टीप.—(1) सरपंच पद हेतु अध्यर्थियों की संख्या बढ़ने पर उपरोक्तानुसार प्रत्येक अतिरिक्त अध्यर्थी हेतु प्रति 1000 तक मतपत्रों के मुद्रण के लिए रुपये 11/- की वृद्धि की जावेगी।

(2) सरपंच पद के लिये मुद्रित कराए जाने वाले मतपत्रों की संख्या यदि 1000 से अधिक हो तो अध्यर्थियों की संख्या के अनुसार निर्धारित सीलिंग दर में प्रत्येक 100 मतपत्रों के एकक (यूनिट) के लिए सीलिंग दर समानुपातिक रूप से बढ़ी हुई मानी जावेगी।

III.	जनपद पंचायत सदस्य के 2 अध्यर्थियों वाला मतपत्र	रुपये 371.00 प्रति 3500 मतपत्र तक
	जनपद पंचायत सदस्य के 3 अध्यर्थियों वाला मतपत्र	रुपये 400.00 प्रति 3500 मतपत्र तक
	जनपद पंचायत सदस्य के 4 अध्यर्थियों वाला मतपत्र	रुपये 416.00 प्रति 3500 मतपत्र तक
	जनपद पंचायत सदस्य के 5 अध्यर्थियों वाला मतपत्र	रुपये 432.00 प्रति 3500 मतपत्र तक
	जनपद पंचायत सदस्य के 6 अध्यर्थियों वाला मतपत्र	रुपये 448.00 प्रति 3500 मतपत्र तक

टीप.—(1) जनपद पंचायत सदस्य के पद हेतु अध्यर्थियों की संख्या बढ़ने पर उपरोक्तानुसार प्रत्येक अतिरिक्त अध्यर्थी हेतु प्रति 3500 तक मतपत्रों के मुद्रण के लिए रुपये 15.70 की वृद्धि की जावेगी।

(2) जनपद पंचायत सदस्य के लिये मुद्रित कराए जाने वाले मतपत्रों की संख्या यदि 3500 से अधिक हो तो अध्यर्थियों की संख्या के अनुसार निर्धारित सीलिंग दर में प्रत्येक 350 मतपत्रों के एकक (यूनिट) के लिए सीलिंग दर समानुपातिक रूप से बढ़ी हुई मानी जावेगी।

परिशिष्ट-नौ

## पंचायत-आम चुनाव 2004-05

मतपत्रों का जिला स्तर पर निजी मुद्रणालयों से अनुबंध कर मतपत्र मुद्रण कराने की दरों का विवरण पत्रक

क्र.	जिले का नाम	अनुबंधित प्रेसों का नाम	अनुमोदित दर		
			पंच (100 म. पत्र)	सरपंच (1,000 म. पत्र)	ज. प. सदस्य (3,500 म. पत्र)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	मुरैना	राधा कृष्ण आफसेट एवं अदितिय कम्प्यूटर्स, मुरैना	38.50	265.00	371.00
2	श्योपुर	चन्द्रा प्रिंटिंग प्रेस, ग्वालियर भारत प्रेस, मुरैना.	43.89	302.00	422.94
3	भिण्ड	महिला सह. -मिश्रा प्रेस-बी. एल. आफसेट-अग्रवाल प्रिंटिंग रिलासाराम प्रेस एण्ड		सीलिंग दर से 15 प्रतिशत अधिक	
4	ग्वालियर	सुधीर प्रकाशन-गनपति प्रिन्टिंग पाठन बाजार ग्वालियर.	23.80	118.20	213.80
5	शिवपुरी	कृष्णा प्रिंटिंग प्रेस प्रादर्श बन्धु-गरिमा प्रिंटिंग-जयगिराज प्रिंटर्स भगवती प्रिंटिंग एवं अजन्ता प्रिंटिंग प्रेस, शिवपुरी.	35.00	250.00	360.00
6	दतिया	चन्द्रा प्रिंटिंग प्रेस, ग्वालियर	43.90	320.00	422.91
7	गुना	आर. के. प्रिंटर्स-विजय प्रिटर्स- रिचा प्रिटर्स, आर. एस. कम्पू. प्रेस कुशवाह प्रेस पाठक प्रेस क्वालिस ऑफसेट, गुना.	38.50	265.00	371.00
8	अशोक नगर	दुबे आफसेट अशोक नगर नेशनस स्क्रीन नेशनस स्क्रीन मुंगावली वंदना कम्प. अशोक नगर	36.00	225.00	362.00
9	मंदसौर	वीर ब्रदर्स नाकोडा पब्लि. शिवना प्रिंटर्स एवं प्राड. विमल प्रिंटर्स, मंदसौर.	37.73	259.70	363.58
10	नीमच	सांवलिया प्रिंटर्स नीमच दुर्गानन्द आफसेट नीमच.	34.07	234.53	328.34
11	रत्लाम	शारदा प्रिंटर्स रत्लाम स्वप्नदीप प्रिंटर्स रत्लाम.	40.00	290.00	401.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12	शाजापुर	रायल प्रि. प्रेस प्रज्ञा प्रिं. प्रेस	18.00	119.00	198.00
13	उज्जैन	क्वालिटी आफसेट अग्रवाल प्रिंटिंग प्रेस तिवारी आफसेट प्रेस एवं नवरंग प्रिंटिंग प्रेस, उज्जैन.	24.00	50.00	150.00
14	देवास	अभिनन्दन प्रिंटिंग प्रेस, गणेश प्रेस इन्डौर गणेश मुद्रणालय, देवास नीमा ग्राफिक्स, उज्जैन.	34.00	223.00	349.00
15	राजगढ़	लेजर ग्राफिक्स भोपाल स्टार प्रिंटर्स राजगढ़.	31.76	218.62	296.80
16	सीहोर	एस. आर. कम्प्यूटर्स पालीवाल प्रिंटर्स खण्डेलवाल प्रिंटर्स, सीहोर.	43.85	300.00	370.00
17	विदिशा	लेजर ग्राफिक्स भोपाल	65.00	100.00	320.00
18	भोपाल	गीता ऑफसेट, भोपाल	36.00	95.00	300.00
19	रायसेन	इमेनिजेशन कम्प्यूटर लेजर ग्राफिक्स, भोपाल.		—सीलिंग दर से 7 प्रतिशत कम—	
20	बैतूल		22.90	173.00	299.00
21	होशंगाबाद	भारत इन्द. शर्मा प्रेस दादाजी इन्द., गिलिण्डया पाटिल नर्मदा इन्टर प्राइंज.	28.49	195.00	274.00
22	हरदा	ज्योति प्रिंटर्स हरदा शुभम प्रिंटर्स	38.50	265.00	371.00
23	झाबुआ	वैभव ग्राफिक्स सोलंकी प्रिंटर्स रूपांकन इण्ड. मनोरमा ऑफसेट.	38.50	265.00	371.00
24	इन्दौर	ब्लूगम कम्प्यूटर एज्यूकेशन, इन्दौर	38.00	255.00	365.00
25	धार	अजमेरा, इन्दौर विजासन आफ. तोमर आफसेट जी जी आफ. धार		—सीलिंग दर पर—	
26	खरगोन	लोकशक्ति मुद्रणालय, प्रदीप प्रिंटिंग प्रेस साईं प्रिंटर्स इंदिरा नगर, संदीप प्रिंटर्स, नूरानी प्रिंटर्स, गोपाल प्रिंटर्स प्रगति टाईपिंग कामिनी प्रिंटर्स न्यू आराधना, खरगोन.	33.00	227.00	360.00
27	बड़वानी	स्वास्थिक सैफ प्रदीप न्यू महेश एम. पी. बुक स्टॉल, इन्दौर.	38.50	225.00	335.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28	खण्डवा	कृष्ण प्रेस-रानू आफसेट, खण्डवा	37.00	255.00	359.00
29	बुरहानपुर	आमंत्रिण ऑफसेट आदित्य एजेंसी दुर्गा प्रिंटिंग शारदा प्रिंटिंग प्रेस.	28.00	190.00	270.00
31	छतरपुर	कोरल कम्प्यूटर्स मनेज्मेंट आफसेट	14.90	90.00	150.00
32	पन्ना	दीपाली प्रिंटिंग प्रेस पन्ना छत्रसाल आफसेट, पन्ना.	17.90	124.00	209.00
33	सागर	पीएप्रिंट रवि प्रिंटिंग महावीर प्रिंट.	26.00	164.00	270.00
34	दमोह	राजीव प्रिंटर्स छतरपुर प्रेरणा प्रिंटर्स सागर विजय प्रिंटर्स, दमोह.	22.00	90.00	180.00
35	जबलपुर	सनमार्ग प्रेस श्री राम प्रेस अपूर्वोंट प्रिंटर्स मॉइन्टर.		—सीलिंग दर पर—	
36	कटनी	आई. आई. एफ. टी. जबलपुर शोभा प्रिंटिंग प्रेस कटनी टेम आफसेट पी. ई. प्रा. लि. कटनी.	26.18	180.20	252.28
37	नरसिंहपुर	नायक प्रिंटिंग प्रेस कटनी, अवधेश प्रेस गुप्ता प्रेस, नरसिंहपुर.	14.60	107.00	175.00
38	छिन्दवाड़ा	विजय प्रेस सोनल प्रेस अनिल प्रेस, पारस प्रेस, त्रिवेदी इन्टर.	33.00	240.00	330.00
39	सिवनी	जिन्दल कम्प्यूटर एजाज कम्प्यूटर बिरलियंट कं. फ्रेंड्स कम्प्यूटर नाईस, कम्प्यूटर.	35.80	246.45	351.10
40	मण्डला	मौराजेश्वरी ऑक. आस्था प्रिंटर्स मतकामाया रजनीगंधा मनोहर कुमार ब्रदर्स, सुनिल सुषमा.	35.00	250.00	350.00
41	डिण्डौरी	अरिहन्त प्रिंटिंग संदीप प्रिं. डिडो.	35.00	250.00	350.00
42	बालाघाट	संदीप प्रिंटिंग प्रेस जस इन्टर ओम प्रिंटर्स, बाहुबली प्रिंटर्स ओसिन कम्प्यूटर्स, बाला.	33.60	234.00	306.00
43	रीवा	ओम प्रिंटिंग वर्क्स, रीवा	44.20	303.50	425.00
44	सतना	सतना समाचार प्रेस चावला प्रेस आशीष आफसेट, सतना.		—सीलिंग दर पर—	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
45	शहडोल	शक्ति प्रेस अम्बा प्रेस सह. प्रेस	36.00	264.00	365.00
46	अनुपपूर	मानस प्रेस शक्ति प्रेस अम्बा प्रिंटिंग प्रेस, शहडोल.	38.50	265.00	371.00
47	उमरिया	जनवादी प्रेस उमरिया गरिमा प्रिंटिंग प्रेस उमरिया.	37.00	264.00	371.00
48	सोधी	एकता प्रिंटिंग प्रेस मुरैना आलोक प्रेस, अग्रवाल प्रिंटिंग प्रेस.	43.89	302.10	422.90

## पंचायत आम चुनाव—2004-05

## मतदान केन्द्रों में परिवर्तन के संबंध में जिलों से प्राप्त प्रस्ताव

क्र.	जिला	विकासखण्ड/जनपद पंचायत का नाम जिसके मतदान केन्द्रों में परिवर्तन चाहा गया है।	मतदान केन्द्रों की संख्या	
			जिन्हें परिवर्तित किए जाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए।	जिनके परिवर्तन की स्थीरता दी गई।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	मुरैना	1. मुरैना 2. कैलारस 3. सबलगढ़	03 05 02	03 05 00
2	ग्वालियर	1. मुरार 2. डबरा 3. घाटीगांव (बर्डि)	05 01 03	05 01 03
3	अशोक नगर	1. चंदेरी	02	01
4	मंदसौर	1. भानपुरा	01	01
5	शाजापुर	1. शाजापुर 2. सुसनेर 3. नलखेड़ा 4. मोमन बड़ोदिया 5. शुजालपुर	10 03 02 01 02	10 03 02 01 02
6	उज्जैन	1. तराना 2. बड़नगर	08 01	08 01
7	देवास	1. टोकखुर्द 2. देवास	01 02	01 02
8	राजगढ़	1. व्यावरा	03	03
9	रायसेन	1. सांची 2. बाड़ी 3. ओबेदुल्लागंज 4. गैरतगंज	04 03 05 02	04 03 05 02
10	होशंगाबाद	1. बावड़ि	01	01
11	हरदा	1. खिरकिया	03	03
12	इन्दौर	1. इन्दौर	11	11
13	धार	1. तिरला	01	01
14	बड़वानी	1. ठोकरी 2. पानसेमल 3. बड़वानी 4. सेंधवा	04 01 05 01	04 01 05 01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15	खण्डवा	1. पंधाना 2. किल्लोद	01 02	01 02
16	टीकमगढ़	1. जतारा	02	02
17	छतरपुर	1. गौरिहार 2. बड़ामलहरा 3. ईशानगर (छतरपुर) 4. नौगांव	02 02 01 01	02 02 01 01
18	पन्ना	1. पन्ना 2. शाहनगर	02 01	02 01
19	सागर	1. रहली	01	01
20	दमोह	1. पटेरा	02	02
21	नरसिंहपुर	1. नरसिंहपुर 2. चांवरपाठा	06 02	06 02
22	सिवनी	1. बरघाट	03	03
23	डिण्डौरी	1. डिण्डौरी	01	01
24	रीवा	1. रायपुर कर्चु 2. रीवा 3. गंगेव	05 06 09	05 06 09
25	सतना	1. उचेहरा 2. मंझगावा 3. रामनगर	02 05 06	02 05 06
26	शहडोल	1. गोहपारू	01	01
27	अनूपपुर	1. पुष्पराजगढ़ 2. जैतहरी	08 08	08 08
28	उमरिया	1. करकेली	06	06
योग . .			181	178

## पंचायत आम निर्वाचन—2004-05

परिशिष्ट-ग्यारह

## मतदाताओं की संख्या व मतदान केन्द्रों की संख्या

क्र.	जिला	मतदाताओं की संख्या			मतदान केन्द्रों की संख्या
		पुरुष	महिला	योग	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	मुरैना	4,06,827	3,28,026	7,34,853	1,676
2	श्योपुर	1,55,562	1,39,095	2,94,657	611
3	भिण्ड	4,49,454	3,00,718	7,50,172	1,605
4	गवालियर	2,34,203	1,97,464	4,31,667	922
5	शिवपुरी	3,85,945	3,31,275	7,17,220	1,457
6	दतिया	1,62,175	1,61,217	3,23,392	814
7	गुना	2,41,857	2,13,881	4,55,738	1,013
8	अशोकनगर	1,94,196	1,67,816	3,62,012	811
9	मदसौर	3,05,495	2,94,232	5,99,727	1,363
10	नीमच	1,82,773	1,55,182	3,37,955	701
11	रतलाम	2,55,221	2,52,122	5,07,343	1,103
12	शाजापुर	3,42,253	3,22,374	6,64,627	1,603
13	उज्जैन	3,46,980	3,20,566	6,67,546	1,534
14	देवास	3,00,184	2,84,040	5,84,224	1,240
15	राजगढ़	3,38,747	3,19,376	6,58,123	1,416
16	विदिशा	3,17,213	2,73,430	5,90,643	1,395
17	सीहोर	2,77,787	2,55,269	5,33,056	1,186
18	भोपाल	1,22,696	1,11,639	2,34,335	530
19	सायमेन	3,01,007	2,63,078	5,64,085	1,099
20	वैदूल	3,50,339	3,33,167	6,83,506	1,480
21	होशगाबाद	2,46,986	2,25,820	4,72,806	1,043
22	हरदा	1,19,605	1,09,194	2,28,799	526
23	झावुआ	3,78,330	3,78,005	7,56,335	1,588
24	इन्दौर	2,44,929	2,28,351	4,73,280	1,108
25	धार	4,37,405	4,31,785	8,69,190	1,908
26	खरगोन	4,20,945	4,07,659	8,28,604	1,709
27	बड़वानी	2,69,567	2,67,554	5,37,121	986
28	खण्डवा	2,67,756	2,60,391	5,28,147	1,074
29	बुरहानपुर	1,21,015	1,15,155	2,36,170	482
30	टीकमगढ़	3,38,804	3,03,645	6,42,449	1,314
31	छतरपुर	4,13,219	3,49,551	7,62,770	1,554
32	पन्ना	2,50,473	2,16,982	4,67,455	970
33	सागर	4,91,186	4,23,228	9,14,414	1,962
34	दमोह	2,98,022	2,71,670	5,69,692	1,089
35	जबलपुर	3,85,804	2,43,345	6,29,149	1,337
36	कटनी	2,72,997	2,58,223	5,31,220	988
37	नरसिंहपुर	2,73,608	2,46,852	5,20,460	1,134
38	छिंदवाड़ा	4,71,636	4,60,282	9,31,918	1,959
39	सिवनी	3,45,536	3,25,327	6,70,863	1,678
40	मण्डला	2,62,517	2,58,261	5,20,778	1,091
41	डिण्डौरी	1,79,011	1,79,950	3,58,961	721
42	बालाघाट	4,43,354	4,49,038	8,92,392	1,884
43	रीवा	5,62,856	5,19,559	10,82,415	2,398
44	सतना	4,94,418	4,64,775	9,59,193	2,149
45	शहडोल	2,22,801	2,14,529	4,37,330	1,045
46	अनूपपुर	1,74,772	1,73,802	3,48,74	835
47	उमरिया	1,32,665	1,22,457	2,55,122	671
48	सीधी	4,72,661	4,35,170	9,07,831	1,841
	योग . .	1,46,63,792	1,33,64,527	2,80,28,319	60,603

## पंचायत निर्वाचन — 2004-05

परिशिष्ट-बारह

## जिलों में उपलब्ध मतपेटियों की संख्या

क्र. (1)	जिला (2)	मतपेटियों की संख्या (3)
1	मुरैना	357
2	शयोपुर	343
3	भिण्ड	420
4	ग्वालियर	700
5	शिवपुरी	560
6	दातिया	140
7	गुना	480
8	अशोकनगर	150
9	मन्दसौर	135
10	नीमच	422
11	रतलाम	420
12	शाजापुर	560
13	उज्जैन	770
14	देवास	420
15	राजगढ़	420
16	सीहोर	350
17	विंदिशा	490
18	भोपाल	490
19	रायसेन	490
20	बैतूल	700
21	होशंगाबाद	538
22	हरदा	162
23	झाबुआ	840
24	इन्दौर	630
25	धार	910
26	खरगोन	590
27	बड़वानी	530
28	खण्डवा	380
29	बुरहानपुर	250
30	टीकमगढ़	420
31	पन्ना	350
32	छतरपुर	560
33	सागर	770
34	दमोह	490
35	जबलपुर	1,060
36	कटनी	190
37	नरसिंहपुर	420
38	छिंदवाड़ा	770
39	सिवनी	560
40	मण्डला	563
41	डिंडोरी	557
42	बालाघाट	700
43	रीवा	1,050
44	सतना	277
45	शहडोल	560
46	अनूपपुर	213
47	उमरिया	350
48	सोधी	560
	योग	24,067

## पंचायत आम निर्वाचन — 2004-05

परिशिष्ट-तेरह

## अमिट स्याही की शीशियों का विवरण जो जिलों को प्रदाय की गई

क्र. (1)	जिला (2)	पांच मि. लि. की अमिट स्याही (शीशियां) (संख्या में) (3)
1	मूरैना	1,855
2	श्योपुर	640
3	भिड	2,000
4	ग्वालियर	1,060
5	शिवुरी	1,760
6	दतिया	900
7	गुना	1,270
8	अशोकनगर	900
9	मन्दसौर	1,535
10	नीमच	830
11	रतलाम	1,220
12	शाजापुर	1,715
13	उज्जैन	1,780
14	देवास	1,450
15	गालाबाड़	1,580
16	—	1,310
17	विदिशा	1,550
18	भोपाल	600
19	रायसेन	1,200
20	बैतूल	1,630
21	होशंगाबाद	1,150
22	हरदा	580
23	झावुआ	1,750
24	इन्दौर	1,210
25	धार	2,020
26	खरगोन	1,880
27	बड़वानी	1,050
28	खण्डवा	1,200
29	बुरहानपुर	530
30	टीकमगढ़	1,550
31	पन्ना	1,080
32	छतरपुर	1,720
33	सागर	2,400
34	दमोह	1,250
35	जबलपुर	1,500
36	कटनी	1,090
37	नरसिंहपुर	1,330
38	छिंदवाड़ा	2,050
39	सिवनी	1,880
40	मण्डला	1,250
41	डिण्डौरी	800
42	बालाधाट	2,100
43	रीचा	2,740
44	सतना	2,130
45	शहडोल	1,100
46	अनुपपुर	920
47	उमरिया	740
48	सीधी	2,000
योग . .		67,785

**पंचायत निर्वाचन — 2004-05**  
**निर्देश पुस्तिकाओं की वितरण सूची**

परिशिष्ट-चौहद (अ)

क्र.	जिला	निर्वाचन नियम-1 995	अभ्यर्थियों के लिये मार्गदर्शिका	मतदान अधिकारियों के लिए मार्गदर्शिका	गणन अधिकारियों के लिए मार्गदर्शिका	पंच पद के डमी मतपत्र	सरपंच पद के डमी मतपत्र	जनपद पंचायत सदस्य पद के डमी मतपत्र	जिला पंचायत सदस्य पद के डमी मतपत्र	पीटासीन अधिकारियों मार्गदर्शिका	आदर्श आचरण संहिता कवर रहित	आदर्श आचरण संहिता कवर सहित	निवाचन संदर्शिका
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	मुरैना	26	180	180	180	160	160	160	160	1,900	10,600	240	100
2	झोपुर	14	80	80	80	160	160	160	160	800	4,100	160	50
3	भिण्ड	23	160	160	160	160	160	160	160	1,900	10,100	220	80
4	खलियर	17	110	110	110	160	160	160	160	1,100	6,100	180	60
5	शिवपुरी	29	210	210	210	160	160	160	160	1,800	12,000	260	100
6	दतिया	14	80	80	80	160	160	160	160	900	5,100	160	50
7	गुना	20	230	230	230	160	160	160	160	1,100	15,500	280	70
8	अशोकनगर	17	130	130	130	160	160	160	160	1,000	7,100	180	70
9	मन्दसौर	20	130	130	130	160	160	160	160	1,400	9,100	200	80
10	नीमच	14	80	80	80	160	160	160	160	1,000	5,100	160	60
11	रत्नाम	23	160	160	160	160	160	160	160	1,300	9,100	220	80
12	शाजापुर	29	210	210	210	160	160	160	160	2,000	10,500	260	110
13	उज्जैन	23	160	160	160	160	160	160	160	1,500	11,500	220	90
14	देवास	23	160	160	160	160	160	160	160	1,300	10,500	220	90
15	राजगढ़	23	150	150	150	160	160	160	160	1,600	11,500	220	90
16	सीहोर	20	120	120	120	160	160	160	160	1,600	9,500	240	100
17	विदिशा	26	170	170	170	160	160	160	160	900	4,100	140	50
18	भोपाल	11	50	50	50	160	160	160	160	1,300	9,100	240	90
19	रायसेन	26	170	170	170	160	160	160	160	1,700	10,500	300	130
20	बैतूल	35	250	250	250	160	160	160	160	1,200	7,000	240	90
21	होशंगाबाद	26	170	170	170	160	160	160	160	700	4,000	160	60
22	हरदा	14	70	70	70	160	160	160	160	1,700	10,500	340	160
23	झालुआ	41	300	300	300	160	160	160	160	1,300	6,000	180	70
24	इन्दौर	17	100	100	100	160	160	160	160	2,100	11,500	360	170
25	धार	44	320	320	320	160	160	160	160	2,000	10,500	280	130
26	खरगौन	32	220	220	220	160	160	160	160	1,200	8,000	240	90
27	बड़वानी	26	170	170	170	160	160	160	160	1,100	9,500	280	90
28	खण्डवा	26	220	220	220	160	160	160	160	1,000	3,500	140	50
29	बुढ़हानपुर	11	70	70	70	160	160	160	160	1,500	9,600	220	90
30	टीकमगढ़	23	150	150	150	160	160	160	160	1,800	9,000	260	100
31	छत्तपुर	29	200	200	200	160	160	160	160	1,100	8,000	200	70
32	पन्ना	20	120	120	120	160	160	160	160	2,300	14,000	320	140
33	सापर	38	270	270	270	160	160	160	160	1,400	9,000	240	90
34	दमोह	26	170	170	170	160	160	160	160	1,600	10,000	240	80
35	जबलपुर	26	170	170	170	160	160	160	160	1,200	7,500	220	70
36	कटनी	23	150	150	150	160	160	160	160	1,300	7,500	220	70
37	नसिंहपुर	23	150	150	150	160	160	160	160	2,200	16,000	320	130
38	छिंदवाड़ा	38	270	270	270	160	160	160	160	1,600	11,500	260	90
39	सिवनी	29	200	200	200	160	160	160	160	1,100	10,000	280	100
40	मण्डला	32	220	220	220	160	160	160	160	1,100	10,000	240	80
41	डिङोरी	26	170	170	170	160	160	160	160	900	7,000	240	80
42	बालाघाट	35	250	250	250	160	160	160	160	2,100	15,000	300	120
43	रीवा	32	220	220	220	160	160	160	160	2,400	15,000	280	100
44	सतना	29	210	210	210	160	160	160	160	1,100	14,500	260	90
45	शहडोल	20	230	230	230	160	160	160	160	1,100	12,000	280	60
46	अदूपुर	17	10	-	10	160	160	160	160	1,000	5,700	180	50
47	उमरिया	14	80	-	80	160	160	160	160	1,000	4,000	160	40
48	सीधी	29	210	210	210	160	160	160	160	3,000	14,000	260	90
	योग . .	1,179	8,080	8,080	8,080	7,680	7,680	7,680	7,680	69,500	4,50,000	11,260	4,200

**पंचायत आम निर्वाचन — 2004-05**  
**लिफाफों की जिलेवार वितरण सूची**

परिशिष्ट-चौहद (ब)

क्र. (1)	जिला (2)	लिफाफा	लिफाफा	लिफाफा	लिफाफा	लिफाफा	शीट क्र.-1 (14)	शीट क्र.-2 (15)	शीट क्र.-3 (16)							
		क्र.-1 (3)	क्र.-2 (4)	क्र.-3 (5)	क्र.-4 (6)	क्र.-5 (7)	क्र.-6 (8)	क्र.-7 (9)	क्र.-8 (10)	क्र.-9 (11)	क्र.-10 (12)	प्ररूप-11 (13)	क्र.-1 (14)	क्र.-2 (15)	क्र.-3 (16)	
1	मुरैना	1,900	7,600	1,900	7,600	1,900	11,300	1,900	1,900	11,300	1,900	7,600	11,300	5,700		
2	स्यांगुर	600	2,400	600	2,400	2,400	600	3,200	600	600	3,200	600	2,400	3,200	1,800	
3	भिंड	1,900	7,600	1,900	7,600	7,600	1,900	11,300	1,900	1,900	11,300	1,900	7,600	11,300	5,700	
4	ग्वालियर	1,000	4,100	1,000	4,100	4,100	1,000	6,200	1,000	1,000	6,200	1,000	4,100	6,200	3,100	
5	शिवपुरी	1,700	6,800	1,700	6,800	6,800	1,700	10,200	1,700	1,700	10,200	1,700	6,800	10,200	5,100	
6	दतिया	770	3,000	770	3,000	3,000	770	4,600	770	770	4,600	770	3,000	4,600	2,300	
7	गुना	1,000	4,000	1,000	4,000	4,000	1,000	5,800	1,000	1,000	5,800	1,000	4,000	5,800	2,900	
8	अशोकनगर	1,000	4,000	1,000	4,000	4,000	1,000	5,800	1,000	1,000	5,800	1,000	4,000	5,800	2,900	
9	मन्दसौर	1,300	5,400	1,300	5,400	5,400	1,300	8,100	1,300	1,300	8,100	1,300	5,400	8,100	4,100	
10	नीमच	780	3,200	780	3,200	3,200	780	4,800	780	780	4,800	780	3,200	4,800	2,400	
11	रतलाम	1,200	4,800	1,200	4,800	4,800	1,200	7,300	1,200	1,200	7,300	1,200	4,800	7,300	3,600	
12	शाजापुर	1,900	7,500	1,900	7,500	7,500	1,900	11,300	1,900	1,900	11,300	1,900	7,500	11,300	5,700	
13	उज्जैन	1,400	5,600	1,400	5,600	5,600	1,400	8,500	1,400	1,400	8,500	1,400	5,600	8,500	4,200	
14	देवास	1,300	5,600	1,300	5,600	5,600	1,300	7,500	1,300	1,300	7,500	1,300	5,600	7,500	3,700	
15	राजगढ़	1,500	5,600	1,500	5,600	5,600	1,500	9,200	1,500	1,500	9,200	1,500	5,600	9,200	4,600	
16	सीहोर	1,300	5,200	1,300	5,200	5,200	1,300	7,800	1,300	1,300	7,800	1,300	5,200	7,800	3,900	
17	विदिशा	1,500	5,900	1,500	5,900	5,900	1,500	9,700	1,500	1,500	9,700	1,500	5,900	9,700	4,400	
18	भोपाल	600	2,200	600	2,200	2,200	600	3,100	600	600	3,100	600	2,200	3,100	1,600	
19	रायसेन	1,200	4,800	1,200	4,800	4,800	1,200	7,000	1,200	1,200	7,000	1,200	4,800	7,000	3,600	
20	बैतूल	1,600	6,500	1,600	6,500	6,500	1,600	9,700	1,600	1,600	9,700	1,600	6,500	9,700	4,800	
21	होशंगाबाद	1,100	4,400	1,100	4,400	4,400	1,100	6,700	1,100	1,100	6,700	1,100	4,400	6,700	3,300	
22	हरदा	550	2,100	550	2,100	2,100	550	2,900	550	550	2,900	550	2,100	2,900	1,500	
23	झाबुआ	1,600	6,200	1,600	6,200	6,200	1,600	9,300	1,600	1,600	9,300	1,600	6,200	9,300	4,700	
24	इन्दौर	1,200	4,600	1,200	4,600	4,600	1,200	6,900	1,200	1,200	6,900	1,200	4,600	6,900	3,500	
25	धार	2,000	8,200	2,000	8,200	8,200	2,000	12,200	2,000	2,000	12,200	2,000	8,200	12,200	6,100	
26	खरगोन	2,000	7,800	2,000	7,800	7,800	2,000	11,800	2,000	2,000	11,800	2,000	7,800	11,800	5,900	
27	बद्रियानी	1,100	4,400	1,100	4,400	4,400	1,100	6,600	1,100	1,100	6,600	1,100	4,400	6,600	3,300	
28	खण्डवा	900	3,300	900	3,300	3,300	900	4,900	900	900	4,900	900	3,300	4,900	2,500	
29	बुरहानपुर	900	3,300	900	3,300	3,300	900	4,900	900	900	4,900	900	3,300	4,900	2,500	
30	टीकमगढ़	1,400	5,500	1,400	5,500	5,500	1,400	8,500	1,400	1,400	8,500	1,400	5,500	8,500	4,300	
31	छतरपुर	1,700	6,600	1,700	6,600	6,600	1,700	1,100	1,700	1,700	1,100	1,700	6,600	1,100	6,000	
32	फन्ना	1,000	4,100	1,000	4,100	4,100	1,000	6,000	1,000	1,000	6,000	1,000	4,100	6,000	3,000	
33	सामार	2,200	8,800	2,200	8,800	8,800	2,200	13,000	2,200	2,200	13,000	2,200	8,800	13,000	6,600	
34	दमोह	1,300	5,000	1,300	5,000	5,000	1,300	7,500	1,300	1,300	7,500	1,300	5,000	7,500	3,700	
35	जबलपुर	1,500	6,000	1,500	6,000	6,000	1,500	8,800	1,500	1,500	8,800	1,500	6,000	8,800	4,400	
36	कटनी	1,200	4,600	1,200	4,600	4,600	1,200	6,600	1,200	1,200	6,600	1,200	4,600	6,600	3,500	
37	नरसिंहपुर	1,300	5,000	1,300	5,000	5,000	1,300	7,500	1,300	1,300	7,500	1,300	5,000	7,500	3,700	
38	छिंदवाड़ा	2,300	9,100	2,300	9,100	9,100	2,300	13,600	2,300	2,300	13,600	2,300	9,100	13,600	6,900	
39	सिवनी	1,700	6,500	1,700	6,500	6,500	1,700	9,700	1,700	1,700	9,700	1,700	6,500	9,700	4,800	
40	मण्डला	1,000	4,000	1,000	4,000	4,000	1,000	6,000	1,000	1,000	6,000	1,000	4,000	6,000	3,000	
41	डिण्डौरी	800	3,300	800	3,300	3,300	800	4,900	800	800	4,900	800	3,300	4,900	2,500	
42	बालाघाट	2,100	8,500	2,100	8,500	8,500	2,100	12,600	2,100	2,100	12,600	2,100	8,500	12,600	6,300	
43	रीवा	2,400	9,800	2,400	9,800	9,800	2,400	14,300	2,400	2,400	14,300	2,400	9,800	14,300	7,300	
44	सतना	2,200	8,800	2,200	8,800	8,800	2,200	13,100	2,200	2,200	13,100	2,200	8,800	13,100	6,600	
45	शहडोल	1,000	4,000	1,000	4,000	4,000	1,000	6,000	1,000	1,000	6,000	1,000	4,000	6,000	3,000	
46	अनूपपुर	1,000	4,000	1,000	4,000	4,000	1,000	6,000	1,000	1,000	6,000	1,000	4,000	6,000	3,000	
47	उमरिया	800	2,800	800	2,800	2,800	800	4,300	800	800	4,300	800	2,800	4,300	2,100	
48	सीधी	2,100	8,400	2,100	8,400	8,400	2,100	12,500	2,100	2,100	12,500	2,100	8,400	12,500	6,300	

योग . . . 65,800 2,60,900 65,800 2,60,900 2,60,900 65,800 3,80,600 65,800 65,800 3,80,600 65,800 2,60,900 3,80,600 19,6,400

**पंचायत आम निर्वाचन — 2004-05**  
**विभिन्न प्रपत्रों की वितरण सूची**

परिशिष्ट-चौहद (स)

क्र.	जिला	मतदान केन्द्र के क्षेत्र संबंध में सूचना	प्रतिरूपण के मामले में पुलिस को भेजी जाने वाली रिपोर्ट	अध्याक्षेप के लिये जमा की जाने वाली रसीद	मतदान स्थगित किये जाने की सूचना	मतगणना स्थगित किये जाने की सूचना	पीठासीन अधिकारी की डाकरी	गणना पर्ची	प्रतिक्षेपित (खारिज) मतपत्र लगाई जाने वाली पर्चियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	मुरैना	6,000	4,000	7,800	4,000	4,000	1,800	2,02,000	12,000
2	झोपुर	1,900	1,300	2,500	1,300	1,300	600	62,400	3,900
3	भिण्ड	6,000	4,000	7,800	4,000	4,000	1,800	2,01,900	12,000
4	म्बालियर	3,300	2,300	4,300	2,300	2,300	1,000	1,09,900	6,900
5	शिवपुरी	5,400	3,700	7,000	3,700	3,700	1,700	1,81,800	11,100
6	दतिया	2,500	1,600	3,200	1,600	1,600	800	82,300	4,800
7	गुना	3,100	2,100	4,000	2,100	2,100	1,000	1,04,000	6,300
8	अशोकनगर	3,100	2,100	4,000	2,100	2,100	1,000	1,04,000	6,300
9	मन्दसौर	4,400	2,900	5,700	2,900	2,900	1,400	1,43,800	8,700
10	नीमच	2,600	1,800	3,400	1,800	1,800	800	91,400	5,400
11	रतलाम	3,900	2,700	5,000	2,700	2,700	1,200	1,36,200	8,100
12	शाजापुर	6,000	4,000	7,700	4,000	4,000	1,600	2,04,200	12,000
13	उज्जैन	4,600	3,100	5,900	3,100	3,100	1,400	1,53,900	9,300
14	देवास	4,000	2,700	5,200	2,700	2,700	1,300	1,36,300	8,100
15	राजगढ़	4,900	3,300	3,300	3,300	3,300	1,500	1,65,300	9,900
16	सीहोर	4,200	2,900	5,400	2,900	2,900	1,300	1,39,700	8,700
17	विदिशा	4,700	3,200	6,100	3,200	3,200	1,500	1,57,000	9,600
18	भोपाल	1,800	1,300	2,300	1,300	1,300	,600	57,900	3,900
19	रायसेन	3,900	2,600	5,000	2,600	2,600	1,300	1,30,900	7,800
20	बैतुल	5,200	3,500	6,700	3,500	3,500	1,700	1,75,200	10,500
21	हारांगाबाद	3,600	2,500	4,600	2,500	2,500	1,200	1,25,900	7,500
22	हरदा	1,700	1,200	2,200	1,200	1,200	,700	58,600	3,600
23	झावुआ	5,000	3,400	6,500	3,400	3,400	1,700	1,70,700	10,200
24	इटोर	3,800	2,500	4,900	2,500	2,500	1,300	1,30,400	7,500
25	धार	6,600	4,400	8,500	4,400	4,400	2,100	2,18,700	13,200
26	खरगौन	6,300	4,200	8,100	4,200	4,200	2,000	2,09,400	12,600
27	बड़वानी	3,600	2,400	4,600	2,400	2,400	1,200	1,18,000	7,200
28	खण्डवा	2,800	1,900	3,600	1,900	1,900	1,000	89,100	5,700
29	बुरहनपुर	2,900	1,900	3,700	1,900	1,900	1,000	89,100	5,700
30	टीकमगढ़	4,700	3,100	6,000	3,100	3,100	1,600	1,51,700	9,300
31	छतरपुर	5,500	3,600	7,000	3,600	3,600	1,800	1,78,700	10,800
32	पन्ना	3,400	2,300	4,400	2,300	2,300	1,200	1,08,800	6,900
33	सागर	7,100	4,700	9,100	4,700	4,700	2,200	2,34,400	14,100
34	दमोह	4,100	2,800	5,300	2,800	2,800	1,400	1,33,300	8,400
35	जबलपुर	4,900	3,200	6,300	3,200	3,200	1,600	1,60,800	9,600
36	कटी	3,900	2,600	5,000	2,600	2,600	1,300	1,26,200	7,800
37	नरसिंहपुर	4,200	2,800	5,400	2,800	2,800	1,400	1,38,100	8,400
38	छिंदवाड़ा	7,500	5,000	3,600	5,000	5,000	2,300	2,45,900	15,000
39	सिवनी	5,300	3,500	6,800	3,500	3,500	1,700	1,72,500	10,500
40	मण्डला	3,500	2,300	4,500	2,300	2,300	1,200	1,08,200	6,900
41	डिण्डौरी	2,800	1,900	3,600	1,900	1,900	1,000	88,000	5,700
42	बालाघाट	6,900	4,600	8,900	4,600	4,600	2,200	2,25,500	13,800
43	रीवा	7,900	5,200	10,200	5,200	5,200	2,500	2,60,300	15,600
44	सतना	7,200	4,700	9,200	4,700	4,700	2,300	2,35,900	14,100
45	शहडोल	3,400	2,100	4,300	2,100	2,100	1,200	1,07,800	7,300
46	अनुपपुर	3,400	2,100	4,300	2,100	2,100	1,200	107,800	7,300
47	उमरिया	2,500	1,500	3,200	1,500	1,500	,800	80,000	4,500
48	सीधी	6,800	4,400	8,700	4,400	4,400	2,200	2,22,900	13,200
	योग . .	2,06,000	1,37,500	2,73,800	1,37,500	1,37,500	68,600	70,35,700	4,12,500

क्र.	जिला	पीटासीन अधि./मतदान अधिकारी के नियुक्ति आदेश	मतदान दलों को मानदेय	वाहन आदि भूगतान देयक प्रपत्र-1	वाहन आदि भूगतान देयक प्रपत्र-2	वाहन आदि भूगतान देयक प्रपत्र-3	मतपत्र लेखा की प्राप्ति की रसीद	गणना परिणाम पत्र की रसीद	रिटर्निंग आफिसर का प्रतिवेदन	जिला निवाचन अधिकारी का प्रतिवेदन
(1)	(2)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	मुरैना	23,900	1,800	280	170	170	7,800	7,800	100	15
2	श्योपुर	7,600	600	280	170	170	2,500	2,500	100	15
3	भिंड	23,900	1,800	280	170	170	7,800	7,800	100	15
4	ग्वालियर	13,100	1,000	280	170	170	4,300	4,300	100	15
5	शिवपुरी	21,500	1,700	280	170	170	7,000	7,000	100	15
6	दतिया	9,800	800	280	170	170	3,200	3,200	100	15
7	गुना	12,300	1,000	280	170	170	4,000	4,000	100	15
8	अशोकनगर	12,300	1,000	280	170	170	4,000	4,000	100	15
9	मन्दसौर	17,000	1,400	280	170	170	5,700	5,700	100	15
10	नीमच	10,200	800	280	170	170	3,400	3,400	100	15
11	रतलाम	15,400	1,200	280	170	170	5,000	5,000	100	15
12	शाजापुर	23,800	1,600	280	170	170	7,700	7,700	100	15
13	उज्जैन	17,900	1,400	280	170	170	5,900	5,900	100	15
14	देवास	15,800	1,300	280	170	170	5,200	5,200	100	15
15	राजगढ़	19,200	1,500	280	170	170	6,300	6,300	100	15
16	सीहोर	16,600	1,300	280	170	170	5,400	5,400	100	15
17	विदिशा	18,600	1,500	280	170	170	6,100	6,100	100	15
18	भोपाल	6,900	600	280	170	170	2,300	2,300	100	15
19	रायसेन	15,200	1,300	280	170	170	5,000	5,000	100	15
20	बैतूल	20,400	1,700	280	170	170	6,700	6,700	100	15
21	होशंगाबाद	14,100	1,200	280	170	170	4,600	4,600	100	15
22	हरदा	6,700	700	280	170	170	2,200	2,200	100	15
23	झावुआ	19,700	1,700	280	170	170	6,500	6,500	100	15
24	इन्दौर	14,800	1,300	280	170	170	4,900	4,900	100	15
25	धार	25,900	2,100	280	170	170	8,500	8,500	100	15
26	खरगाँव	24,800	2,000	280	170	170	8,100	8,100	100	15
27	बड़वानी	14,000	1,200	280	170	170	4,600	4,600	100	15
28	खण्डवा	10,600	1,000	280	170	170	3,600	3,600	100	15
29	बुरहानपुर	10,600	1,000	280	170	170	3,700	3,700	100	15
30	टीकमगढ़	18,000	1,600	280	170	170	6,000	6,000	100	15
31	छतरपुर	21,200	1,800	280	170	170	7,000	7,000	100	15
32	पन्ना	12,900	1,200	280	170	170	4,400	4,400	100	15
33	सापर	27,700	2,200	280	170	170	9,100	9,100	100	15
34	दमोह	15,800	1,400	280	170	170	5,300	5,300	100	15
35	जबलपुर	18,700	1,600	280	170	170	6,300	6,300	100	15
36	कटरी	14,800	1,300	280	170	170	5,000	5,000	100	15
37	नरसिंहपुर	16,000	1,400	280	170	170	5,400	5,400	100	15
38	छिंदवाड़ा	29,000	2,300	280	170	170	9,600	9,600	100	15
39	सिवरी	20,400	1,700	280	170	170	6,800	6,800	100	15
40	मण्डला	12,900	1,200	280	170	170	4,500	4,500	100	15
41	डिण्डौरी	10,500	1,000	280	170	170	3,600	3,600	100	15
42	बालाघाट	26,700	2,200	280	170	170	8,900	8,900	100	15
43	रीवा	30,800	2,500	280	170	170	10,200	10,200	100	15
44	सतना	27,900	2,300	280	170	170	9,200	9,200	100	15
45	शहडोल	12,800	1,200	280	170	170	4,300	4,300	100	15
46	अनूपपुर	12,800	1,200	280	170	170	4,300	4,300	100	15
47	उमरिया	10,100	800	280	170	170	3,200	3,200	100	15
48	सीधी	26,300	2,200	280	170	170	8,700	8,700	100	15
	योग . .	8,27,900	68,600	13,440	8,160	8,160	2,73,800	2,73,800	4,800	720

पंचायत आम निवाचन 2004 के लिये नियंत्रक लेखन सामग्री भाष्कर द्वारा जिलों को प्रदाय की जाने वाली सामग्री की सूची

क्र.	जिला	प्रतदान	विकास	योगदानी	चमड़े	आलपिन	गोंद की	बैंगनी	कोय	भूग	कार्बन	बाल	पैसल	रबर	संयंज	क्रीमबोव रुल्ड	राइस	इंडिग	टाइमिंग				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
1	मुरैना	1676	7	913	28	817	233	1886	3556	2585	90	18	207	8778	1886	163	9	6	52	17	276	69	
2	श्योपुर	611	3	286	13	256	73	611	1115	810	28	6	65	2771	611	71	3	2	16	5	86	22	
3	झिंड	1605	6	890	24	796	227	1819	3465	2519	87	18	201	8535	1819	140	8	6	50	17	269	67	
4	ग्वालियर	922	4	507	17	453	129	1050	1973	1434	50	10	115	4874	1050	94	5	3	29	10	153	38	
5	शिवपुरी	1457	8	819	31	732	209	1731	3191	2318	80	16	185	7911	1731	186	8	5	46	15	247	62	
6	दिल्ली	814	3	373	13	333	95	774	1451	1055	37	7	84	3586	774	774	71	4	2	21	7	112	28
7	गुरा	1013	5	522	20	467	133	1102	2034	1478	51	10	118	5042	1102	1117	5	3	30	10	158	39	
8	अशोकनगर	811	4	418	17	374	107	883	1629	1184	41	8	95	4039	883	883	94	4	3	24	8	126	32
9	मनसहर	1363	5	649	20	581	165	1342	2579	1838	64	13	147	6242	1342	1342	117	6	4	37	12	196	49
10	नीमच	701	3	387	13	346	99	801	1507	1095	38	8	88	3721	801	801	71	4	2	22	7	117	29
11	रतलाम	1103	6	588	24	526	150	1249	2291	1664	58	12	133	5685	1249	1249	140	6	4	33	11	177	44
12	शाब्दिकर	1603	8	774	31	692	197	1646	3016	2190	76	15	175	7486	1646	1646	186	7	5	44	15	234	58
13	उज्जैन	1534	6	740	24	662	188	1536	2882	2094	73	15	168	7120	1536	1536	140	7	5	42	14	223	56
14	देवास	1240	6	603	24	539	153	1277	2348	1706	59	12	136	5825	1277	1277	140	6	4	34	11	182	45
15	राजाहू	1416	6	735	24	657	187	1527	2863	2081	72	15	166	7075	1527	1527	140	7	5	42	14	222	55
16	सीहोर	1186	5	608	20	544	155	1265	2370	1722	60	12	138	5857	1265	1265	117	6	4	34	11	184	46
17	विदिशा	1395	7	708	28	633	180	1499	2759	2004	69	14	160	6843	1499	1499	163	7	4	40	13	214	53
18	भोपाल	530	2	261	9	233	66	540	1016	738	26	5	59	2508	540	540	48	2	2	15	5	79	20
19	रायसेन	1099	7	575	28	514	146	1248	2242	1628	56	11	130	5588	1248	1248	163	5	4	33	11	174	43
20	बैतूल	1480	10	780	39	698	199	1704	3042	2208	77	16	177	7592	1704	1704	232	7	5	44	15	236	59
21	होशगढ़	1043	7	535	28	479	136	1173	1515	53	11	121	5213	1173	1173	163	5	3	30	10	162	40	
22	हाता	526	3	252	13	225	64	546	982	713	25	5	57	2446	546	546	71	2	2	14	5	76	19
23	झीरुआ	1588	12	754	46	675	192	1701	2943	2135	74	15	171	7393	1701	1701	278	7	5	43	14	228	57
24	इद्रौर	1108	4	563	17	503	143	1156	2192	1593	55	11	127	5404	1156	1156	94	5	3	32	11	170	42
25	धार	1908	13	990	50	885	252	2168	3859	2801	97	20	224	9636	2168	2168	301	9	6	56	19	290	75

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
26	खगोन	1703	9	940	35	840	239	1982	3661	2660	92	19	213	9074	1982	1982	209	9	6	53	18	284	71
27	बड़वासी	986	7	533	28	477	136	1169	2079	1509	52	11	121	5193	1169	1169	163	5	3	30	10	161	40
28	खण्डवा	1074	7	556	28	497	142	1212	2168	1574	55	11	128	5408	1212	1212	163	5	3	31	10	168	42
29	बुहानपुर	482	2	306	9	273	78	625	1191	866	30	6	69	2933	625	625	48	3	2	17	6	92	23
30	टीकमगढ़	1314	6	687	24	614	175	1436	2676	1944	67	14	156	6620	1436	1436	140	6	4	39	13	207	52
31	छतपुर	1554	8	809	31	723	206	1712	3152	2289	79	16	183	7816	1712	1712	186	8	5	46	15	244	61
32	पना	970	5	493	20	441	126	1047	1921	1395	48	10	112	4767	1047	1047	117	5	3	28	9	149	37
33	सागर	1962	11	1061	42	949	270	2257	4135	3003	104	21	240	10265	2257	2257	255	10	7	60	20	320	80
34	दमोह	1089	7	603	28	539	154	1301	2351	1707	59	12	137	5853	1301	1301	163	6	4	34	11	182	46
35	जबलपुर	1337	7	715	28	639	182	1512	2786	2024	70	14	162	6908	1512	1512	163	7	4	40	13	216	54
36	कटनी	988	6	557	24	408	142	1100	2100	1575	54	11	120	5300	1100	1100	140	6	3	32	11	168	47
37	नरसिंहपुर	1134	6	610	24	545	155	1290	2375	1725	60	12	138	5890	1290	1290	140	6	4	35	12	184	46
38	छिंदवाड़ा	1959	11	1110	42	993	283	2349	4325	3141	109	22	251	10725	2349	2349	255	10	7	63	21	335	84
39	सिवानी	1678	8	753	31	673	192	1000	2933	2130	74	15	170	7280	1606	1606	186	7	5	43	14	227	57
40	मधुडला	1091	9	490	31	438	125	1110	1911	1386	48	10	111	4866	1110	1110	186	5	3	28	9	148	37
41	डिण्डीरी	721	7	466	31	417	119	1066	1821	1320	46	9	106	4586	1066	1066	186	4	3	26	9	141	35
42	बालाघाट	1884	10	1020	39	912	260	2156	3973	2886	100	20	231	9852	2156	2156	232	10	6	58	19	308	77
43	रीचा	2398	9	1177	35	1052	300	2429	4582	3330	115	23	266	11309	2429	2429	209	11	7	67	22	355	89
44	सतना	2149	8	1065	31	953	271	2196	4149	3015	105	21	241	10236	2196	2196	186	10	7	60	20	322	80
45	शहदोल	1045	5	550	20	492	140	1154	2141	1556	54	11	124	5302	1154	1154	117	5	3	31	10	106	41
46	आनपुर	835	4	401	17	359	102	851	1563	1136	39	8	91	3879	851	851	94	4	2	23	8	121	30
47	उमरिया	671	3	346	13	309	88	723	1346	978	34	7	78	3331	723	723	71	3	2	20	7	104	26
48	सीधी	1841	8	1008	31	902	257	2088	3926	2853	99	20	228	9696	2088	2088	186	10	6	57	19	304	76
योग..	60,603	313,31,482	1,248	28156	8019	66695	1,22,677	89,100	3,089	628	7,1283,04,295	6,6695	66,695	297	195	1,782	594	9,504	2,376				

(क्रमांक.....)

पंचायत आम निर्वाचन 2004 के लिये नियंत्रक लेखन सामग्री भास्तर द्वारा जिलों को प्रदाय की जाने वाली सामग्री की सूची

क्र.	जिला	ट्रेंसिंग पेपर	इक्सी केटिंग पेपर	रजिस्टर स्लैट	स्ट्रिप्स	कार्बन पेपर	डुल्कोटिंग एंक	लाल/ नीली पेंसिल	टायपिंग इंक	रिक्वेट ना	फाइल प्लूट	आर्किव बोर्ड	स्ट्रप्स	गम	विस्त्रिप	सुली	ट्राइन बाल पैकेट			
(1)	(2)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)
1	मुरैना	11	345	276	1723	17	121	69	121	34	52	34	69	345	34	34	9	231	1886	
2	खोपुर	4	108	86	540	5	38	22	38	11	16	11	22	108	11	11	3	74	611	
3	भिण्ड	11	336	269	1679	17	118	67	118	67	34	50	34	67	336	34	34	8	224	1819
4	खालियर	6	191	153	956	10	67	38	67	38	19	29	19	38	191	19	19	5	129	1050
5	शिवपुरी	10	309	247	1545	15	108	62	108	62	31	46	31	62	309	31	31	8	208	1731
6	दतिया	5	141	112	703	7	49	28	49	28	14	21	14	28	141	14	14	4	95	774
7	युना	7	157	158	985	10	69	39	69	39	20	30	20	39	197	20	20	5	134	1102
8	अशोकनगर	5	158	126	789	8	*55	32	55	32	16	24	16	32	158	16	16	4	107	883
9	मदसौर	8	245	196	1225	12	86	49	86	49	25	37	25	49	245	25	25	6	165	1342
10	नीमच	5	146	117	730	7	51	29	51	29	15	22	15	29	146	15	15	4	99	801
11	रतलाम	7	222	177	1109	11	78	44	78	44	22	33	22	44	222	22	22	6	150	1249
12	शाजाहानपुर	10	292	234	1460	15	102	58	102	58	29	44	29	58	292	29	29	7	197	1646
13	उज्जैन	9	279	223	1396	14	98	56	98	56	28	42	28	56	279	28	28	7	188	1546
14	देवास	8	227	182	1137	11	80	45	80	45	23	34	23	45	227	23	23	6	154	1277
15	राजाहां	9	277	222	1387	14	97	55	97	55	28	42	28	55	277	28	28	7	186	1527
16	सीहोर	8	230	184	1148	11	80	46	80	46	23	34	23	46	230	23	23	6	155	1265
17	बिहारा	9	267	214	1336	13	94	53	94	53	27	40	27	53	267	27	27	7	181	1499
18	भोपाल	3	98	79	492	5	34	20	34	20	15	10	15	20	98	10	10	2	67	540
19	रायसेन	7	217	174	1085	11	76	43	76	43	22	33	22	43	217	22	22	5	148	1248
20	बैंसूत	10	294	236	1472	15	103	59	103	59	29	44	29	59	294	29	29	7	200	1704
21	होशगाबाद	7	202	162	1010	10	71	40	71	40	20	30	20	40	202	20	20	5	138	1173
22	हरदा	3	95	76	475	5	33	19	33	19	10	14	10	19	95	10	10	2	66	546
23	झावुआ	9	285	228	1423	14	100	57	100	57	28	43	28	57	285	28	28	7	195	1701
24	इन्दौर	7	212	170	1062	11	74	42	74	42	21	32	21	42	212	21	21	9	143	1156
25	धार	2	373	299	1867	19	131	75	131	75	37	56	37	75	373	37	37	9	254	2168
26	खरौन	12	355	284	1773	18	124	71	124	71	35	53	35	71	355	35	35	5	239	1982
27	बड़बानी	7	201	161	1006	10	70	40	70	40	20	30	20	40	201	20	20	5	138	1169
28	खण्डवा	7	210	168	1049	10	73	42	73	42	21	31	21	42	210	21	21	3	143	1212

(1)	(2)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)
29	बुरहानपुर	4	115	92	577	6	40	23	40	23	12	17	12	23	115	12	12	6	78	625
30	टीकमाड़	9	259	207	1296	13	91	52	91	52	26	39	26	52	259	26	26	8	175	1436
31	छतपुर	10	305	244	1526	15	107	61	107	61	31	46	31	61	305	31	31	5	206	1712
32	पन्ना	6	186	149	930	9	65	37	65	37	19	28	19	37	186	19	19	10	126	1047
33	सारांश	13	400	320	2002	20	140	80	140	80	40	60	40	80	400	40	40	6	270	2257
34	दमोह	8	228	182	1138	11	80	46	80	46	23	34	23	46	228	23	23	7	155	1301
35	जबलपुर	9	270	216	1349	13	94	54	94	54	27	40	27	54	270	27	27	5	182	1512
36	कटनी	7	210	168	1050	11	74	42	74	42	21	32	21	42	210	21	21	5	143	1190
37	नारिमिहपुर	8	230	184	1150	12	81	46	81	46	23	35	23	46	230	23	23	6	156	1290
38	चिंदवाड़ा	14	419	335	2094	21	147	84	147	84	42	63	42	84	419	42	42	10	282	2349
39	सिवनी	9	284	227	1420	14	99	57	99	57	28	43	28	57	284	28	28	7	192	1606
40	याइला	6	185	148	924	9	65	37	65	37	18	28	18	37	185	18	18	5	128	1110
41	झिल्होरी	6	176	141	880	9	62	35	62	35	18	26	18	35	176	18	18	4	122	1065
42	बालाघाट	13	385	308	1924	19	135	77	135	77	38	58	38	77	385	38	38	10	259	2156
43	रीचा	15	444	355	2220	22	155	89	155	89	44	67	44	89	414	44	44	11	297	2429
44	सतना	13	402	322	2010	20	141	80	141	80	40	60	40	80	402	40	40	10	269	2196
45	खाहड़ीत	7	207	166	1037	10	73	41	73	41	21	31	21	41	207	21	21	5	140	1154
46	अनुपपुर	5	151	121	757	8	53	30	53	30	15	23	15	30	151	15	15	4	103	851
47	उमरिया	4	130	104	652	7	46	26	46	26	13	20	13	26	130	13	13	3	89	723
48	योरी	13	380	304	1902	19	133	76	133	76	38	57	38	76	380	38	38	10	255	2088
	योग . .	396	11,880	9,504	59,400	594	4,158	2,376	4,158	2,376	1,188	1,782	1,188	2,376	11,880	1,188	1,188	297	8,034	66,895

पंचायत निवाचन—2004-05

चरणवार मतदान हेतु जिलों से प्राप्त प्रस्ताव ( संशोधित दिनांक 20-12-2004 )

जिला	वि.ख.	प्रथम चरण के विकासखण्ड	योग	द्वितीय चरण के विकासखण्ड	योग	योग	दृतीय चरण के विकासखण्ड	योग										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	मुँगा	7	मुँगा	सरकारगढ़	2	जोगा	कोलारस	पहाड़ागढ़	3	अमज्जाह	पोरसा	2						
2	श्योपुर	3	श्योपुर	गोहद	1	कराहला			1	बिजयपुर		1						
3	भिंड	6	भिंड	मेहरांव	2	अटेर	भिंड		2	लहार	रोन	2						
4	ग्वालियर	4	डवरा	शिवपुरी	1	भितवार			1	मुरार	बाटीगांव	2						
5	शिवपुरी	8	शिवपुरी	करेया	2	पोहरी	कोलारस	चादरबास	3	पिछोर	खिन्याधाना	2						
6	दीतिया	3	दीतिया	आरोन	1	सेवहा			1	भाण्डेर		1						
7	युना	5	युना	चंद्रेंरी	2	वरमोरी	गोमगढ़		2	चांचोड़ा		1						
8	अरोंकरार	4	इंसागढ़	भानपुरा	2	मुंगावर्ती			2	मदसौर		1						
9	मदसौर	5	गोरेठ	जाकरा	2	महाराड़	सीतामऊ		2	जावद		1						
10	नीमच	3	नीमच	रत्नाम	1	परमारा			1	परमारा		1						
11	रत्नामा	6	रत्नाम	फिलोद	3	आलोट	सैलाना	वाजना	3	शाजापुर	गो बड़ेदिया	2						
12	शाजापुर	8	कालापीपल	चड्डीद	3	शुजालपुर	आर	सुमंसर	3	बड़नार	बड़नार	2						
13	उज्जेन	6	उज्जेन	तराना	2	चटिया	महिदपुर		2	खाचरेद	खांगांव	3						
14	देवाराम	6	देवाराम	सोनकछ	3	तोकचुद			2	बागली	सिलचीपुर	2						
15	प्रज्ञगढ़	6	प्रज्ञगढ़	मारगापुरा	2	त्यावरा	जीशपुर		2	सजाड़	नमस्तलांगज	2						
16	सोहोर	5	सोहोर	इछाकर	2	आध्या			1	बुदनी		2						
17	विदिशा	7	विदिशा	ग्यारसपुर	3	सिरोज	करेन		2	बासेंदा	कुरवई	2						
18	पोपाल	2	फटा	वैरसिया	2	सांची	सिलवानी		2	गैरमांज	बोडांगोरी	3						
19	रायसेन	7	याडी	ओंचंदुल्लांज	2	पुलताई	आमला	बैतूल	2	शाहपुर	उदयपुरा	4						
20	बैतूल	10	झेसदेही	आठनेर	3	पुलताई	केरसला	होशगाबाद	3	सिलनीमालवा	चावई	2						
21	होशगाबाद	7	बनयेडी	प्रभातपट्टम	2	सोहागपुर			3	दिवरकिया		1						
22	हरदा	3	हरदा	पिपरिया	1	टिपर्नी			1	जोवट	अलीराजपुर	4						
23	झाड़आ	12	रामा	पेटलावर	4	झायुआ	रानापुर	उदयगढ़	4	योडवा	कटटीबाड़ा							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
24	ઇંદોર	4	મહુ	દેપાલપુર	2	ઇંદોર	સાંચર	2	કૃશ્ણ	બાધ	નિસરુ	દહી	4					
25	ધાર	13	ધાર	નાલાચા	તિરલા	સરદારપુર બદનાવર	5	મનાવર	ગંધવાની	ઉપયન	ભરમારી	4						
26	ખરોન	9	ખરોન	ગોળાવા	સેગાવા	ભાગવાનપુરા	4	કસરાવદ	ખેકનાંબ	ઝિરન્યા	3	મહેશ્વર	બડુદ્ધાહ	2				
27	બડુદ્ધારી	7	બડુદ્ધારી	પાટી	2	રાજુર	ઠીકરી	2	સેધવા	નિંબાલી	ધાનસેપાલ	3						
28	ખણ્ડવા	7	ખણ્ડવા	સુનાસા	છેંગાવમાખન	3	ફંથના	હરસૂદ	બડલી	ખાલવા	4							
29	બુરહાનપુર	2	બુરહાનપુર	1	ખકનાર	1												
30	ટીકમાઢ	6	ટીકમાઢ	પલેરા	2	ટીકમાઢ	જતારા	2	નિવારી	પ્રથ્માપુર	શાહનગર	પબેં	2					
31	પના	5	પના	અજયાઢ	2	ઇંશાનાર	રાજનાર	2	ગુરીર	નૌગાંબ	લૌંડી	ગોરેહાર	3					
32	છત્રપુર	8	બિજાવર	વડુમલહરા બદનાવાહા	3	ઇંશાનાર	રાજનાર	2	દેવરી	બીના	4	માલથીન	ખુરુ	3				
33	સાર	11	જયસિંહનાર	યાહસાઢ	4	રહલી	કેસલી	4	દેવરી	હટા	2	પેરા	બદિયારુ	3				
34	દમોહ	7	દમોહ	પથરેચા	2	જબેરા	તેન્દુખેણુા	2		સિલોરા	માર્ગીલીં			2				
35	જબલપુર	7	જબલપુર	પનાર	3	પાટન	શહપુરા	2		વિજયાચારાઢ	વિજયાચારાઢ							
36	કટની	6	કટની	ઢીપારખેડા	2	વદેરીચન્દ	રીઠી	2	વદ્ધબાળ	કરેલી	ગોટેનગબ	કરેલી	3					
37	નરસિંહપુર	6	નરસિંહપુર	ચાંચાવઠા	3	ચાંચાવઠા	ચીચલી	3	નરસિંહપુર	પાંડુર્ણ	ફિયની	નારાણાંજ	કુરુ	3				
38	છિંદવાડા	11.	છિંદવાડા	મોહખેઢ	4	તાપિયા	હર્દે	4	સૌંસર	અમારવાદુ	નારાણાંજ	દીજાંડાંઢી	3					
39	સિકરી	8	ચંમોર	ધર્માં	3	છપા	લખનાદૈન	2	બાધાટ	નિગસ	નારાણાંજ	ચારાચિંબની	3					
40	મણદાલા	9	મણદાલા	મોહાંબ	3	વિચિયા	મબુ	3	કટની	ચાંદાંઢી	ચાંદાંઢી	ચારાચિંબની	3					
41	દિણદોરી	7	દિણદોરી	શહપુરા	3	અમનપુર	સમાનપુર	4	ચાલાંબા	નારાણાંજ	ચાવા	લોંથા	3					
42	બાલાંધાર	10	લાંઝી	કિરનપુર	3	બાલાંબાટ	લાલબા	4	કટની	નિષ્માર	અમારપાટાન	3						
43	રેચા	9	રેચા	રાયપુરકંચું, મઠાંચ	3	હરુમાન	નિંગઢી	3	ઘેર	અનપુર	જૈતહરી	કોતમા	3					
44	સતના	8	મઝાગાંબ	સોહાવલ	3	નારોદ	ઉચેહાયા	3	પાંચેલી	પાંચેલી	લાલબા	લાલબા	2					
45	શહદોલ	5	જયસિંહનાર	લ્યોહરી	2	સોહાગુર	ગોહપસુ	3	કરેકેલી	કરેકેલી	લાલબા	લાલબા	2					
46	અનૂપપુર	4	પુષ્પજાગઢ	1														
47	ઉમરિયા	3	માનપુર	ચિતરંગી	3	સિહાવલ	સીધી	3	મઝોલી	મઝોલી	લાલબા	લાલબા	2					
48	સીધી	8	દેવમાર	બેઢન	1													

नामनिर्देशन-पत्र के साथ अभ्यर्थी द्वारा रिटर्निंग आफिसर के समक्ष प्रस्तुत  
किया जाने वाला घोषणा-पत्र

देखिए पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 नियम-31-क (1)

ग्राम पंचायत ..... के वार्ड क्रमांक ..... से पंच के निर्वाचन के लिये.

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... आयु .....  
वर्ष, निवासी .....

जो उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि :—

1. मेरे विरुद्ध आपराधिक मामलों का विवरण मेरी जानकारी में निम्नलिखित है:—

अ- न्यायालयों में विचाराधीन आपराधिक प्रकरणों की वर्तमान स्थिति:—

क्रमांक	न्यायालय का नाम	प्रकरण क्रमांक	अपराध विवरण (अधिनियम एवं धारा)	प्रकरण की स्थिति

ब- निर्णीत आपराधिक प्रकरणों की जानकारी:—

क्रमांक	न्यायालय का नाम	प्रकरण क्रमांक	अपराध विवरण (अधिनियम एवं धारा)	निर्णय	अपील यदि हो तो, विवरण दें

2. मेरी और मेरे आश्रितों की चल संपत्ति का विवरण निम्नानुसार है:—

क्रमांक (1)	विवरण (2)	स्वयं द्वारा धारित (3)	पति/पत्नी द्वारा धारित (4)	आश्रित-1 द्वारा धारित (5)	आश्रित-2 द्वारा धारित (6)	आश्रित-3 द्वारा धारित (7)
1.	नकद					
2.	बैंक, वित्तीय संस्थानों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में जमा धनराशि.					
3.	कंपनियों में बाँड़, डिबैंचर, शेयर.					
4.	अन्य वित्तीय साधनों एन. एस. एस., डाक बचत, एल. आई. सी. पॉलिसी आदि.					
5.	वाहन (कम्पनी मॉडल, वर्ष एवं मूल्य).					
6.	गहने (भार तथा कीमत)					
7.	अन्य					

3. मेरी एवं मेरे आश्रितों की अचल संपत्ति का विवरण निम्नानुसार है:—

क्रमांक (1)	विवरण (2)	स्वयं द्वारा धारित (3)	पति/पत्नी द्वारा धारित (4)	आश्रित-1 द्वारा धारित (5)	आश्रित-2 द्वारा धारित (6)	आश्रित-3 द्वारा धारित (7)
1.	कृषि भूमि —स्थिति (स्थितियां) —खसरा क्रमांक —रकवा (क्षेत्रफल) —वर्तमान बाजार कीमत					
2.	गैर कृषि भूमि —स्थिति (स्थितियां) —खसरा क्रमांक एवं प्लॉट क्रमांक इत्यादि. —रकवा (क्षेत्रफल) —वर्तमान बाजार कीमत					
3.	भवन (व्यवसायिक और आवासीय) —स्थिति (स्थितियां) —खसरा/प्लॉट क्रमांक इत्यादि —क्षेत्रफल कुल माप —वर्तमान बाजार कीमत					
4.	अन्य परिसम्पत्तियां					

4. मेरी सार्वजनिक एवं वित्तीय संस्थानों, बैंकों के प्रति देनदारियों के बकाया का विवरण निम्नानुसार हैः—

क्रमांक (1)	विवरण (2)	बैंक/वित्तीय संस्थान का नाम (3)	नामनिर्देशन-पत्र दाखिल करने के दिन तक की बकाया राशि का विवरण (4)
1.	बैंक (सहकारी बैंक सहित) के ऋण।		
2.	वित्तीय संस्थान के ऋण		

5. मेरी केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय संस्थाओं के प्रति देनदारियों एवं बकाया का विवरण निम्नानुसार हैः—

क्रमांक (1)	केन्द्रीय सरकार के प्रति देयताएं (2)	बकाया का विवरण (3)	नामनिर्देशन-पत्र दाखिल करने के दिनांक तक की बकाया राशि (4)
1.	आयकर		
2.	सम्पत्ति कर		
3.	अन्य		

क्रमांक (1)	राज्य सरकार के प्रति देयताएं (2)	बकाया का विवरण (3)	नामनिर्देशन-पत्र दाखिल करने के दिनांक तक की बकाया राशि (4)
1.	भू-राजस्व		
2.	विक्रय कर		
3.	अन्य		

स्थानीय संस्था का नाम (1)	बकाया का प्रकार (2)	नामनिर्देशन-पत्र दाखिल करने के दिनांक तक की बकाया राशि (3)
	सम्पत्ति कर	
	जल कर	
	प्रकाश कर एवं अन्य	

6. मेरा किसी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं है\* अथवा मेरा निम्नानुसार शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा है.

क्र. (1)	ग्राम का नाम (2)	अतिक्रामित भूमि का विवरण		कितने वर्षों से अतिक्रमण है (5)
		खसरा क्र. (3)	रकबा (4)	

7. मैं निरक्षर हूँ अथवा\*

मैं केवल साक्षर हूँ अथवा

मेरी शैक्षणिक योग्यता का विवरण निम्नानुसार है:-

उच्चतम शैक्षणिक योग्यता (सामान्य) (1)	डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट (2)	प्राप्त करने का वर्ष (3)	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/स्कूल (4)

उच्चतम शैक्षणिक योग्यता (तकनीकी) (1)	डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट (2)	प्राप्त करने का वर्ष (3)	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/स्कूल (4)

8. मैं अविवाहित हूँ अथवा\*

मैं विवाहित हूँ किन्तु मेरी दो से अधिक संताने नहीं हैं, अथवा

मेरी ..... संताने हैं (दो से अधिक) किन्तु उनमें से किसी का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् नहीं हुआ है.

\*जो लागू हो उसी विकल्प को सही (✓) करें अथवा भरें.

घोषणाकर्ता

### सत्यापन

मैं ..... घोषणाकर्ता एतद्वारा यह सत्यापन करता हूँ कि घोषणा-पत्र के पैरा 1 से 7 की विषय वस्तु मेरे विश्वास और जानकारी में सही है, कोई भाग गलत नहीं है और कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई नहीं गई है।  
आज दिनांक ..... सन् ..... को स्थान ..... पर सत्यापन किया और हस्ताक्षर किया।

स्थान :

दिनांक :

घोषणाकर्ता

परिशिष्ट-सत्रह (ब)

नामनिर्देशन-पत्र के साथ अभ्यर्थी द्वारा रिटर्निंग आफिसर के समक्ष प्रस्तुत  
किया जाने वाला शपथ-पत्र

देखिए पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 नियम-31-क (2)

जिला पंचायत ..... के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक ..... से सदस्य/जनपद पंचायत  
..... के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक ..... से सदस्य/ग्राम पंचायत ..... के सरपंच पद के  
निर्वाचन के लिये.

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... आयु .....  
वर्ष, निवासी .....

जो उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूं, शपथ पूर्वक कथन करता/करती हूं कि :—

1. मेरे विरुद्ध आपराधिक मामलों का विवरण मेरी जानकारी में निम्नलिखित है:—

अ- न्यायालयों में विचाराधीन आपराधिक प्रकरणों की वर्तमान स्थिति:—

क्रमांक	न्यायालय का नाम	प्रकरण क्रमांक	अपराध विवरण (अधिनियम एवं धारा)	प्रकरण की स्थिति

ब-निर्णीत आपराधिक प्रकरणों की जानकारी:—

क्रमांक	न्यायालय का नाम	प्रकरण क्रमांक	अपराध विवरण (अधिनियम एवं धारा)	निर्णय	अपील यदि हो तो, विवरण दें

2. मेरी और मेरे आश्रितों की चल संपत्ति का विवरण निम्नानुसार है:—

क्रमांक (1)	विवरण (2)	स्वयं द्वारा धारित (3)	पति/पत्नी द्वारा धारित (4)	आश्रित-1 द्वारा धारित (5)	आश्रित-2 द्वारा धारित (6)	आश्रित-3 द्वारा धारित (7)
1.	नकद					
2.	बैंक, वित्तीय संस्थानों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में जमा धनराशि.					
3.	कंपनियों में बाँड़, डिबैंचर, शेयर.					
4.	अन्य वित्तीय साधनों एन. एस. एस., डाक बचत, एल. आई. सी. पॉलिसी आदि.					
5.	वाहन (कम्पनी मॉडल, वर्ष एवं मूल्य).					
6.	गहने (भार तथा कीमत)					
7.	अन्य					

3. मेरी एवं मेरे आश्रितों की अचल संपत्ति का विवरण निम्नानुसार है:—

क्रमांक (1)	विवरण (2)	स्वयं द्वारा धारित (3)	पति/पत्नी द्वारा धारित (4)	आश्रित-1 द्वारा धारित (5)	आश्रित-2 द्वारा धारित (6)	आश्रित-3 द्वारा धारित (7)
1.	कृषि भूमि  —स्थिति (स्थितियाँ)  —खसरा क्रमांक  —रकबा (क्षेत्रफल)  —वर्तमान बाजार कीमत					
2.	गैर कृषि भूमि  —स्थिति (स्थितियाँ)  —खसरा क्रमांक एवं प्लॉट  क्रमांक इत्यादि.  —रकबा (क्षेत्रफल)  —वर्तमान बाजार कीमत					
3.	भवन (व्यवसायिक और आवासीय)  —स्थिति (स्थितियाँ)  —खसरा/प्लॉट क्रमांक इत्यादि  —क्षेत्रफल कुल माप  —वर्तमान बाजार कीमत					
4.	अन्य परिसम्पत्तियाँ					

4. मेरी सार्वजनिक एवं वित्तीय संस्थानों, बैंकों के प्रति देनदारियों के बकाया का विवरण निम्नानुसार है:—

क्रमांक	विवरण	बैंक/वित्तीय संस्थान का नाम	नामनिर्देशन-पत्र दाखिल करने के दिन तक की बकाया राशि का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	बैंक (सहकारी बैंक सहित) के ऋण		
2.	वित्तीय संस्थान के ऋण		

5. मेरी केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय संस्थाओं के प्रति देनदारियों एवं बकाया का विवरण निम्नानुसार है:—

क्रमांक	केन्द्रीय सरकार के प्रति देयताएं	बकाया का विवरण	नामनिर्देशन-पत्र दाखिल करने के दिनांक तक की बकाया राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आयकर		
2.	सम्पत्ति कर		
3.	अन्य		

क्रमांक	राज्य सरकार के प्रति देयताएं	बकाया का विवरण	नामनिर्देशन-पत्र दाखिल करने के दिनांक तक की बकाया राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	भू-राजस्व		
2.	विक्रय कर		
3.	अन्य		

स्थानीय संस्था का नाम	बकाया का प्रकार	नामनिर्देशन-पत्र दाखिल करने के दिनांक तक की बकाया राशि
(1)	(2)	(3)
	सम्पत्ति कर	
	जल कर	
	प्रकाश कर एवं अन्य	

6. मेरा किसी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं है\* अथवा मेरा निम्नानुसार शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर, कब्जा है.

क्र. (1)	ग्राम का नाम (2)	अतिक्रमित भूमि का विवरण		कितने वर्षों से अतिक्रमण है (5)
		खसरा क्र. (3)	रकबा (4)	

7. मैं निरक्षर हूं अथवा\*

मैं केवल साक्षर हूं अथवा

मेरी शैक्षणिक योग्यता का विवरण निम्नानुसार है:—

उच्चतम शैक्षणिक योग्यता (सामान्य) (1)	डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट (2)	प्राप्त करने का वर्ष (3)	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/स्कूल (4)

उच्चतम शैक्षणिक योग्यता (तकनीकी) (1)	डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट (2)	प्राप्त करने का वर्ष (3)	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/स्कूल (4)

\*जो लागू हो उसी विकल्प को लिखें

7. मैं अविवाहित हूं अथवा\*

मैं विवाहित हूं किन्तु मेरी दो से अधिक संतानें नहीं हैं, अथवा

मेरी ..... संतानें हैं (दो से अधिक) किन्तु उनमें से किसी का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् नहीं हुआ है.

\*जो लागू हो उसी विकल्प को लिखें

शपथग्रहीता

#### सत्यापन

मैं ..... शपथग्रहीता एतद्वारा यह सत्यापन करता हूं कि शपथ-पत्र के पैरा 1 से 7 की विषय वस्तु मेरे विश्वास और जानकारी में सही है, कोई भाग गलत नहीं है और कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई नहीं गई है।  
आज दिनांक ..... सन् ..... को स्थान ..... पर सत्यापन किया और हस्ताक्षर किया।

स्थान :

दिनांक :

शपथग्रहीता

पंचायतों के बकाया/अतिक्रमण के संबंध में  
 नामनिर्देशन-पत्र के साथ अभ्यर्थी द्वारा रिटर्निंग आफिसर के समक्ष प्रस्तुत  
 किया जाने वाला घोषणा-पत्र

[देखिए मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 36(1) (ग ख) एवं (ग ग)]

- (i) ग्राम पंचायत ..... से सरपंच/के वार्ड क्रमांक .....  
 'से पंच के निर्वाचन के लिये.
- (ii) जनपद पंचायत ..... / जिला पंचायत ..... के निर्वाचन क्षेत्र  
 क्रमांक ..... से सदस्य के निर्वाचन के लिये.
- मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी .....  
 आयु ..... वर्ष, निवासी .....

जो उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ, सत्यानिष्ठा पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि:-

- (1) मेरे द्वारा किसी भी मद में पंचायत को देय किसी शोध्य धन का संदाय नहीं किया जाना है।
- (2) मैंने पंचायत तथा सरकार की किसी भूमि या भवन पर अतिक्रमण नहीं किया है।

घोषणाकर्ता

### सत्यापन

मैं ..... घोषणाकर्ता एतद्द्वारा यह सत्यापन करता हूँ कि उक्त घोषणा-पत्र की कंडिका 1 एवं 2 की विषय वस्तु मेरे विश्वास और जानकारी में सही है, कोई भाग गलत नहीं है और कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई नहीं गई है।

आज दिनांक ..... सन् ..... को स्थान ..... पर सत्यापन किया और हस्ताक्षर किया।

स्थान :

दिनांक :

घोषणाकर्ता

## घोषणा-पत्र की प्राप्ति अभिस्वीकृति

[मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 36 (1) (ग ख) एवं (ग ग) के अन्तर्गत घोषणा-पत्र]

- (i) ग्राम पंचायत ..... से सरपंच/के वार्ड क्रमांक .....  
से पंच के निर्वाचन के लिये.
- (ii) जनपद पंचायत ..... / जिला पंचायत ..... के निर्वाचन क्षेत्र  
क्रमांक ..... से सदस्य के निर्वाचन के लिये.
- श्री ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी .....  
आयु ..... वर्ष, निवासी .....

जो उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हैं के द्वारा उपरोक्तानुसार घोषणा-पत्र आज प्रस्तुत किया गया।

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता  
नाम प्राप्तकर्ता  
पदनाम/पदमुद्रा प्राप्तकर्ता

परिशिष्ट-उनीस (1)

**पंचायत निर्वाचन 2004-05**  
**निर्विरोध तथा सविरोध निर्वाचन की स्थिति ( पंच )**

क्र.	जिला	कुल स्थान (सीटें)	स्थान जिनके	स्थान	स्थान जिनमें	स्थान जो	सविरोध निर्वाचन		अभ्यर्थी की मूल्य के कारण लड़ने वाले निर्वाचन अभ्यर्थियों की संख्या के प्रकरण
			लिए नाम निर्देशन-पत्र दाखिल नहीं किए गए	जिनके लिए नाम-निर्देशन पत्र खारिज हो गए	आयोग/ न्यायालयों द्वारा निर्वाचन स्थगित किए गए	निर्विरोध निर्वाचन से भरे गए	स्थान	निर्वाचन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	मुरैना	8,320	211	44	-	6,792	1,272	2,734	1
2	श्योपुर	3,630	111	93	-	2,499	927	2,039	-
3	भिण्ड	7,995	365	72	-	6,126	1,432	3,054	-
4	ग्वालियर	3,396	22	78	-	2,481	815	1,796	-
5	शिवपुरी	10,202	304	111	40	6,655	3,090	6,818	2
6	दतिया	4,560	71	33	-	3,084	1,372	2,943	-
7	गुना	6,429	372	30	-	4,182	1,845	4,159	-
8	अशोकनगर	5,074	90	50	-	3,166	1,768	3,850	-
9	मंदसौर	6,662	106	30	-	3,433	3,093	7,176	-
10	नीमच	4,120	59	57	-	2,429	1,575	3,531	-
11	रतलाम	7,121	217	38	-	3,557	3,309	6,791	-
12	शाजापुर	8,911	276	102	-	5,569	2,964	6,385	-
13	उज्जैन	9,165	662	723	-	5,209	2,570	5,596	1
14	देवास	8,026	377	212	-	5,300	2,137	4,696	-
15	राजगढ़	9,500	243	244	-	5,261	3,752	8,502	-
16	विदिशा	8,891	283	173	-	6,629	1,806	3,781	-
17	सीहोर	7,797	254	122	-	5,354	2,067	4,461	-
18	भोपाल	3,344	52	58	-	2,167	1,067	2,388	-
19	रायसेन	8,151	516	469	-	5,757	1,409	2,810	-
20	बैतूल	9,665	574	271	-	5,140	3,678	8,279	2
21	होशंगाबाद	6,532	416	118	-	4,813	1,185	2,568	-
22	हरदा	3,283	371	-	-	2,355	557	1,175	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
23	ज्ञानुआ	10,684	808	-	-	6,231	3,645	8,182	-
24	इन्दौर	4,766	124	26	-	2,492	2,124	5,473	-
25	धार	11,286	413	202	-	6,305	4,366	9,931	-
26	खरगोन	10,378	612	152	-	5,964	3,649	8,125	1
27	बड़वानी	7,218	635	-	-	4,470	2,113	4,605	-
28	खण्डवा	6,967	647	-	-	4,200	2,120	4,690	-
29	बुरहानपुर	2,848	189	20	-	1,448	1,191	2,653	-
30	टीकमगढ़	7,767	66	61	-	3,171	4,469	11,315	-
31	छतरपुर	9,434	83	56	-	4,484	4,810	11,546	1
32	पन्ना	6,343	64	82	31	3,905	2,261	5,033	-
33	सागर	10,411	562	33	-	7,411	2,405	5,489	-
34	दमोह	7,632	496	-	-	5,218	1,918	4,239	-
35	जबलपुर	8,193	215	89	-	4,559	3,329	7,795	1
36	कटनी	4,884	25	-	-	1,439	3,419	8,431	1
37	नरसिंहपुर	5,158	212	137	-	3,346	1,463	3,387	-
38	छिंदवाड़ा	12,597	490	92	-	6,716	5,296	12,254	3
39	सिवनी	9,483	60	53	-	5,028	4,342	9,618	-
40	मण्डला	6,841	138	5	-	3,190	3,508	8,527	-
41	डिण्डोरी	5308	79	31	-	2584	2614	6014	-
42	बालाघाट	11452	86	97	-	4297	6969	16032	3
43	रीवा	13911	182	39	-	5669	8021	55644	-
44	सतना	11788	113	114	-	6370	5191	11782	-
45	शहडोल	6399	38	74	-	2332	3954	9722	1
46	अनूपपुर	4463	86	34	-	1777	2566	6257	-
47	उमरिया *	3739	30	10	1	1391	2295	5708	-
48	सोधी	10230	33	23	-	4602	5572	12947	-
योग . .		3,60,954	12,438	4,558	72	2,06,557	1,37,300	3,50,931	17

\* एक ग्राम पंचायत के सरपंच एवं इसी ग्राम पंचायत के 12 बाड़ों के पंच पदों हेतु मतदाताओं द्वारा मतदान का बहिष्कार किया।

परिशिष्ट-उनीस (ii)

**पंचायत निर्वाचन 2004-05**  
**निर्विरोध तथा सविरोध निर्वाचन की स्थिति ( सरपंच )**

क्र.	जिला	कुल स्थान (सौंटे)	स्थान जिनके	स्थान	स्थान जिनमें	स्थान जो	सविरोध निर्वाचन	अभ्यर्थी	
			लिए नाम	जिनके लिए	आयोग/	निर्विरोध	स्थान	निर्वाचन	की मृत्यु
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	मुरैना	474	-	-	-	17	457	3,104	-
2	श्योपुर	226	2	-	-	5	219	1,435	-
3	भिण्ड	443	-	-	-	8	435	3,008	-
4	खालियर	199	-	-	-	6	193	1,126	-
5	शिवपुरी	613	4	-	-	20	589	4,192	-
6	दतिया	281	1	-	-	4	276	1,601	-
7	गुना	417	4	-	-	26	387	2,245	-
8	अशोकनगर	331	-	21	-	13	297	1,482	-
9	मंदसौर	441	-	-	-	12	429	2,402	-
10	नीमच	239	1	-	-	3	235	1,240	-
11	रतलाम	419	3	-	-	11	405	2,541	-
12	शाजापुर	554	3	-	-	25	526	2,420	-
13	उज्जैन	612	11	-	-	23	578	3,059	-
14	देवास	497	2	1	-	25	469	2,398	-
15	राजगढ़	627	2	-	-	24	601	3,739	-
16	विदिशा	580	1	-	-	30	549	2,935	-
17	सीहोर	497	6	1	-	27	463	2,401	-
18	भोपाल	202	-	-	-	6	196	1,334	-
19	रायसेन	502	3	-	1	50	448	2,252	-
20	बैतूल	557	9	2	-	15	531	2,747	-
21	होशंगाबाद	428	1	-	-	55	371	1,259	1
22	हरदा	211	-	-	-	26	185	780	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
23	ज्ञाबुआ	661	-	-	-		11	650	3,056
24	इन्दौर	333	-	-	-	12	321	1,663	-
25	धार	760	2	-	-	32	726	3,819	-
26	खरगौन	600	12	-	-	27	561	2,662	-
27	बड़वानी	417	1	-	-	14	402	2,009	-
28	खण्डवा	423	1	-	-	12	410	2,168	-
29	बुरहानपुर	166	1	-	-	11	154	919	-
30	टीकमगढ़	455	2	-	-	13	440	3,917	-
31	छतरपुर	554	-	-	-	9	545	4,960	-
32	पन्ना	395	1	-	6	11	377	2,696	-
33	सागर	758	1	-	-	58	699	4,355	-
34	दमोह	460	-	-	-	18	442	3,003	-
35	जबलपुर	542	1	-	-	18	523	3,602	-
36	कटनी	404	-	-	-	3	401	3,571	-
37	नरसिंहपुर	457	1	-	-	43	413	1,989	-
38	छिंदवाड़ा	808	4	14	-	27	763	3,703	-
39	सिवनी	645	1	-	-	10	634	2,958	-
40	मण्डला	441	-	-	-	6	435	2,394	-
41	डिण्डोरी	364	-	-	-	2	362	2,437	-
42	बालाघाट	691	1	-	-	9	681	3,314	-
43	रीवा	827	-	-	-	7	820	5,943	-
44	सतना	688	4	1	-	19	664	5,450	-
45	शहडोल	391	-	-	-	2	389	2,843	-
46	अनूपपुर	276	-	-	-	2	274	1,720	-
47	उमरिया *	233	-	-	-	0	232	2,095	-
48	सीधी	632	-	-	-	7	625	5,304	-
योग . .		22,731	86	40	7	814	21,782	1,32,250	1

\* एक ग्राम पंचायत, सरपंच के पद हेतु मतदाताओं द्वारा मतदान का विविधकार किया।

परिशिष्ट-उन्नीस (iii)

पंचायत निर्वाचन 2004-05

## निर्विरोध तथा सविरोध निर्वाचन की स्थिति ( सदस्य, जनपद पंचायत )

क्र.	जिला	कुल स्थान (सीटें)	स्थान जिनके लिए नाम	स्थान जिनके लिए सभी निर्देशन-पत्र	स्थान जिनमें आयोग/ नाम-निर्देशन	स्थान जो निर्विरोध न्यायालयों दाखिल नहीं किए गए	सविरोध निर्वाचन स्थान	निर्वाचन लड़ने वाले से भरे गए	अभ्यर्थी की मृत्यु के कारण अभ्यर्थियों निर्वाचन की संख्या प्रत्यादिष्ट के प्रकरण
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	मुरैना	172	-	-	-	1	171	1,130	-
2	श्योपुर	65	-	-	-	1	64	401	-
3	भिण्ड	144	-	-	-	0	144	1,122	-
4	ग्वालियर	75	-	-	-	0	75	534	-
5	शिवपुरी	199	-	-	-	6	193	1,412	-
6	दतिया	73	-	-	-	0	73	584	-
7	गुना	117	-	-	-	2	115	810	-
8	अशोकनगर	95	-	-	-	3	92	666	-
9	मंदसौर	116	-	-	-	1	115	734	-
10	नीमच	75	-	-	-	0	75	441	-
11	रत्लाम	124	-	-	-	0	124	708	-
12	शाजापुर	160	-	-	-	0	160	898	-
13	उज्जैन	148	-	-	-	2	146	974	-
14	देवास	139	-	-	-	2	137	797	-
15	राजगढ़	146	-	-	-	0	146	1,406	-
16	विदिशा	164	-	-	-	5	159	993	-
17	सीहोर	114	-	-	-	4	110	613	-
18	भोपाल	50	-	-	-	0	50	449	-
19	रायसेन	146	-	2	-	9	135	548	-
20	बैतूल	221	-	-	-	7	214	1,007	-
21	होशंगाबाद	129	-	-	-	10	119	467	-
22	हरदा	74	-	-	-	6	68	272	-
23	झाबुआ	205	-	-	-	8	197	918	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
24	इन्दौर	100	-	-	-	0	100	497	-
25	धार	250	-	-	-	8	242	1,116	-
26	खरगोन	203	-	-	-	2	201	979	-
27	बड़वानी	133	-	-	-	2	131	565	-
28	खण्डवा	144	-	-	-	5	139	643	-
29	बुरहानपुर	50	-	-	-	1	49	217	-
30	टीकमगढ़	146	-	-	-	1	145	1,121	-
31	पन्ना	123	-	-	1	4	118	284	-
32	छतरपुर	186	-	-	-	3	183	1,488	-
33	सागर	240	-	-	-	12	228	1,457	-
34	दमोह	144	-	-	-	4	140	902	-
35	जबलपुर	163	-	-	-	2	161	1,186	-
36	कटनी	122	-	-	-	0	122	1,063	-
37	नरसिंहपुर	135	-	-	-	15	120	523	-
38	छिंदवाड़ा	233	-	-	-	1	232	1,039	-
39	सिवनी	161	-	-	-	0	161	953	-
40	मण्डला	139	-	-	-	0	139	793	-
41	डिण्डोरी	99	-	-	-	0	99	707	-
42	बालाघाट	221	-	-	-	2	219	1,120	-
43	रीवा	225	-	-	-	0	225	2,046	-
44	सतना	195	-	-	-	2	193	1,867	-
45	शहडोल	119	-	-	-	0	119	725	-
46	अनुपपुर	85	-	-	-	0	85	539	-
47	उमरिया	65	-	-	-	2	63	477	-
48	सीधी	179	-	-	-	0	179	1,628	-
योग . .		6,811	0	2	1	133	6,675	41,819	

पंचायत निर्वाचन 2004-05  
निर्विरोध तथा सविरोध निर्वाचन की स्थिति ( सदस्य, जिला पंचायत )

क्र.	जिला	कुल स्थान (सीटें)	स्थान जिनके	स्थान जिनके	स्थान जिनमें	स्थान जो	सविरोध निर्वाचन		अध्यर्थी की मृत्यु के कारण लड़ने वाले अध्यर्थियों की संख्या प्रत्यादृष्ट के प्रकरण
			लिए नाम निर्देशन-पत्र दाखिल नहीं किए गए	लिए सभी नाम-निर्देशन पत्र खारिज हो गए	आयोग/ न्यायालयों द्वारा निर्वाचन स्थगित किए गए	निर्विरोध निर्वाचन से भरे गए	स्थान	निर्वाचन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	मुरैना	20	-	-	-	-	20	246	-
2	श्योपुर	10	-	-	-	-	10	85	-
3	भिण्ड	21	-	-	-	-	21	299	-
4	ग्वालियर	13	-	-	-	-	13	136	-
5	शिवपुरी	23	-	-	-	-	23	237	-
6	दतिया	10	-	-	-	-	10	131	-
7	गुना	14	-	-	-	-	14	129	-
8	अशोकनगर	11	-	-	-	-	11	96	-
9	मंदसौर	17	-	-	-	-	17	142	-
10	नीमच	10	-	-	-	1	9	59	-
11	रतलाम	16	-	-	-	-	16	104	-
12	शाजापुर	17	-	-	-	-	17	84	-
13	उज्जैन	21	-	-	-	-	21	183	-
14	देवास	18	-	-	-	-	18	144	-
15	राजगढ़	18	-	-	-	-	18	164	-
16	विदिशा	19	-	-	-	-	19	125	-
17	सीहोर	17	-	-	-	-	17	190	-
18	भोपाल	10	-	-	-	-	10	98	-
19	रायसेन	17	-	-	-	-	17	120	-
20	बैतूल	23	-	-	-	-	23	133	-
21	होशंगाबाद	15	-	-	-	-	15	68	-
22	हरदा	10	-	-	-	-	10	57	-
23	झाबुआ	20	-	-	-	1	19	102	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
24	इन्दौर	15	-	-	-	-	15	67	-
25	धार	27	-	-	-	-	27	157	-
26	खरगोन	26	-	-	-	-	26	119	-
27	बड़वानी	14	-	-	-	1	13	62	-
28	खण्डवा	16	-	-	-	-	16	78	-
29	बुरहानपुर	10	-	-	-	-	10	44	-
30	टीकमगढ़	18	-	-	-	-	18	148	-
31	छतरपुर	22	-	-	-	-	22	280	-
32	पन्ना	14	-	-	-	-	14	140	-
33	सागर	27	-	-	-	2	25	249	-
34	दमोह	15	-	-	-	-	15	160	-
35	जबलपुर	17	-	-	-	-	17	233	-
36	कटनी	14	-	-	-	-	14	182	-
37	नरसिंहपुर	15	-	-	-	-	15	76	-
38	छिंदवाड़ा	26	-	-	-	-	26	137	-
39	सिवनी	19	-	-	-	-	19	171	-
40	मण्डला	16	-	-	-	-	16	137	-
41	डिण्डोरी	10	-	-	-	-	10	90	-
42	बालाघाट	27	-	-	-	-	27	175	-
43	रीवा	32	-	-	-	-	32	460	-
44	सतना	26	-	-	-	-	26	359	-
45	शहडोल	15	-	-	-	-	15	121	-
46	अनूपपुर	11	-	-	-	-	11	121	-
47	उमरिया	10	-	-	-	-	10	177	-
48	सीधी	24	-	-	-	-	24	244	-
योग . .		836				5	831	7,319	

पंचायत निर्वाचन 2004-05

## नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत न होने/खारिज हो जाने के कारण जिलावार रिक्त स्थानों की संख्या

क्र.	जिला	पद एवं पंचायत का प्रकार			
		पंच	सरपंच	सदस्य जनपद पंचायत	सदस्य जिला पंचायत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	मुरैना	255	-	-	-
2	श्योपुर	204	2	-	-
3	भिण्ड	437	-	-	-
4	ग्वालियर	100	-	-	-
5	शिवपुरी	415	4	-	-
6	दतिया	104	1	-	-
7	गुना	402	4	-	-
8	अशोकनगर	140	21	-	-
9	मंदसौर	136	-	-	-
10	नीमच	116	1	-	-
11	रतलाम	255	3	-	-
12	शाजापुर	378	3	-	-
13	उज्जैन	1385	11	-	-
14	देवास	589	3	-	-
15	राजगढ़	487	2	-	-
16	विदिशा	456	1	-	-
17	सीहोर	376	7	-	-
18	भोपाल	110	-	-	-
19	रायसेन	985	3	2	-
20	बैतूल	845	11	-	-
21	होशंगाबाद	534	1	-	-
22	हरदा	371	-	-	-
23	झाबुआ	808	-	-	-
24	इन्दौर	150	-	-	-
25	धार	615	2	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
26	खरगौन	764	12	-	-
27	बड़वानी	635	1	-	-
28	खण्डवा	647	1	-	-
29	बुरहानपुर	209	1	-	-
30	टीकमगढ़	127	2	-	-
31	छतरपुर	139	-	-	-
32	पन्ना	146	1	-	-
33	सागर	595	1	-	-
34	दमोह	496	-	-	-
35	जबलपुर	304	1	-	-
36	कटनी	25	-	-	-
37	नरसिंहपुर	349	1	-	-
38	छिंदवाड़ा	582	18	-	-
39	सिवनी	113	1	-	-
40	मण्डला	143	-	-	-
41	डिण्डोरी	110	-	-	-
42	बालाघाट	183	1	-	-
43	रीवा	221	-	-	-
44	सतना	227	5	-	-
45	शहडोल	112	-	-	-
46	अनुपपुर	120	-	-	-
47	उमरिया	40	-	-	-
48	सीधी	56	-	-	-
योग . .		16,996	126	2	0

पंचायत आम निर्वाचन 2004-05  
प्रत्यादिष्ट प्रकरणों की जिला व पदवार संख्या

क्र.	जिला	पंच, ग्राम पंचायत	सरपंच, ग्राम पंचायत	सदस्य, जनपद पंचायत	सदस्य, जिला पंचायत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	मुरैना	1	-	-	-
2	श्योपुर	-	-	-	-
3	भिण्ड	-	-	-	-
4	ग्वालियर	-	-	-	-
5	शिवपुरी	2	-	-	-
6	दतिया	-	-	-	-
7	गुना	-	-	-	-
8	अशोकनगर	-	-	-	-
9	मंदसौर	-	-	-	-
10	नीमच	-	-	-	-
11	रतलाम	-	-	-	-
12	शाजापुर	-	-	-	-
13	उज्जैन	1	-	-	-
14	देवास	-	-	-	-
15	राजगढ़	-	-	-	-
16	सीहोर	-	-	-	-
17	विदिशा	-	-	-	-
18	भोपाल	-	-	-	-
19	रायसेन	-	-	-	-
20	बैतूल	2	-	-	-
21	होशंगाबाद	-	1	-	-
22	हरदा	-	-	-	-
23	झाबुआ	-	-	-	-
24	इन्दौर	-	-	-	-
25	धार	-	-	-	-
26	खरगोन	1	-	-	-
27	बड़वानी	-	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28	खण्डवा	-	-	-	-
29	बुरहानपुर	-	-	-	-
30	टीकमगढ़	-	-	-	-
31	पन्ना	-	-	-	-
32	छतरपुर	1	-	-	-
33	सागर	-	-	-	-
34	दमोह	-	-	-	-
35	जबलपुर	1	-	-	-
36	कटनी	1	-	-	-
37	नरसिंहपुर	-	-	-	-
38	छिंदवाड़ा	3	-	-	-
39	सिवनी	-	-	-	-
40	मण्डला	-	-	-	-
41	डिण्डोरी	-	-	-	-
42	बालाघाट	3	-	-	-
43	रीवा	-	-	-	-
44	सतना	-	-	-	-
45	शहडोल	1	-	-	-
46	अनुपपुर	-	-	-	-
47	उमरिया	-	-	-	-
48	सीधी	-	-	-	-
योग ..		17	1	-	-

पंचायत निर्वाचन के लिए  
आदर्श आचरण संहिता

परिशिष्ट-बाईस

भाग-एक—उम्मीदवारों के लिए

इस संहिता के प्रावधान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन तिथि की घोषणा के दिनांक से निर्वाचन परिणाम घोषित होने तक प्रभावशील रहेंगे।

**1. सामान्य आचरण :**

- (1) किसी भी दल या उम्मीदवार को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुंचे या उनमें विद्वेश या तनाव पैदा हो।
- (2) मत प्राप्त करने के लिए धार्मिक, साम्प्रदायिक या जातीय भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाना चाहिये।
- (3) पूजा के किसी स्थल जैसे कि मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि का उपयोग निर्वाचन प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
- (4) किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे पहलुओं की आलोचना नहीं की जानी चाहिए जिनका संबंध उसके सार्वजनिक जीवन या क्रियाकलापों से न हो और न ही ऐसे आरोप लगाये जाने चाहिए जिनकी सत्यता स्थापित न हुई हो।
- (5) किसी राजनैतिक दल की आलोचना उसकी नीति और कार्यक्रम पूर्व इतिहास और कार्य तक ही सीमित रहनी चाहिए तथा दल और उसके कार्यकर्ताओं की आलोचना असत्यापित आरोपों पर आधारित नहीं की जानी चाहिए।
- (6) प्रत्येक व्यक्ति के शान्तिपूर्ण घरेलू जीवन के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए चाहे उसके राजनैतिक विचार कैसे भी क्यों न हो। किसी व्यक्ति के कार्यों या विचारों का विरोध करने के लिए किसी दल या उम्मीदवार द्वारा ऐसे व्यक्ति के घर के सामने धरना देने, नारेबाजी करने या प्रदर्शन करने की कार्यवाही का कर्तव्य समर्थन नहीं किया जाना चाहिए।
- (7) राजनैतिक दलों तथा उम्मीदवारों को ऐसे सभी कार्यों से परहेज करना चाहिए जो चुनाव कानून के अन्तर्गत अपराध हो जैसे कि—
  - (i) ऐसा कोई पोस्टर, इश्तहार, पैम्पलेट या परिपत्र निकालना जिसमें मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता न हो,
  - (ii) किसी उम्मीदवार के निर्वाचन की सम्भावना पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के उद्देश्य से, उसके व्यक्तिगत आचरण और चरित्र या उम्मीदवारी के संबंध में ऐसे कथन या समाचार का प्रकाशन करना जो मिथ्या हो या जिसके सत्य होने का विश्वास न हो,
  - (iii) किसी चुनाव सभा में गड़बड़ी करना या विघ्न डालना,
  - (iv) मतदान के दिन तथा उसके एक दिन पूर्व सार्वजनिक सभा करना,
  - (v) मतदाताओं को रिश्वत या किसी प्रकार का पारितोषिक देना,
  - (vi) मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अन्दर किसी प्रकार का चुनाव प्रचार करना या मत संयाचना करना,
  - (vii) मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने या ले जाने के लिए वाहनों का उपयोग करना,
  - (viii) मतदान केन्द्र में या उसके आसपास विश्रृखल आचरण करना या मतदान केन्द्र के अधिकारियों के कार्य में बाधा डालना,
  - (ix) मतदाताओं का प्रतिरूपण करना अर्थात् गलत नाम से मतदान का प्रयास करना।

(8) मतदान समाप्त होने के 48 घन्टे पूर्व से शराब की दूकानें बन्द रखी जाएंगी। अतः इस अधिकारी में किसी उम्मीदवार द्वारा न तो शराब खरीदी जाए और न ही उसे किसी को पेश या वितरित किया जाए। प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को भी ऐसा करने से रोका जाना चाहिए।

(9) किसी भी उम्मीदवार द्वारा किसी भी व्यक्ति की भूमि, धर्वन, अहाते या दीवार का उपयोग झण्डा टांगने, पोस्टर चिपकाने, नारे लिखने आदि प्रचार कार्यों के लिए, उसकी अनुमति के बगैर, नहीं किया जाना चाहिए और अपने समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं को भी ऐसा नहीं करने देना चाहिए।

(10) किसी भी दल या उम्मीदवार द्वारा या उसके पक्ष में लगाये गये झण्डे या पोस्टर दूसरे दल या उम्मीदवार के कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं हटाये जाने चाहिए।

(11) मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पर्चियां सादे कागज पर होनी चाहिए और उनमें उम्मीदवार का नाम या चुनाव चिन्ह नहीं होना चाहिए। पर्ची में मतदाता का नाम, उसके पिता/पति का नाम, वार्ड क्रमांक, मतदान केन्द्र क्रमांक तथा मतदाता सूची में उसके क्रमांक के अलावा और कुछ नहीं लिखा होना चाहिए।

(12) मतदान शान्तिपूर्वक तथा सुचारू रूप से सम्पन्न कराने में निर्वाचन इयूटी पर तैनात अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग किया जाना चाहिए।

## 2. सभाएँ एवं जुलूस :—

(1) किसी हाट, बाजार या भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर चुनाव सभा के आयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति ली जानी चाहिए तथा स्थानीय पुलिस थाने में ऐसी सभा के आयोजन की पूर्व सूचना दी जानी चाहिए ताकि शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने तथा यातायात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस आवश्यक प्रबन्ध कर सके।

(2) प्रत्येक राजनैतिक दल या उम्मीदवार को किसी अन्य दल या उम्मीदवार द्वारा आयोजित सभा या जुलूस में किसी प्रकार की गड़बड़ी करने या बाधा डालने से अपने कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों को रोकना चाहिए। यदि दो भिन्न-भिन्न दलों या उम्मीदवारों द्वारा पास-पास स्थित स्थानों में सभाएँ की जा रही हो तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों के मुँह विपरीत दिशाओं में रखे जाने चाहिए।

(3) किसी उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित जुलूस ऐसे क्षेत्र या मार्ग से होकर नहीं निकाला जाना चाहिए जिसमें कोई प्रतिबन्धात्मक आदेश लागू हों। जुलूस के निकलने के स्थान, समय और मार्ग तथा समापन के स्थान के बारे में स्थानीय पुलिस थाने में कम से कम एक दिन पहले सूचना दी जानी चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जुलूस के कारण यातायात में कोई बाधा न हो। जुलूस में लोगों को ऐसी चीजें लेकर चलने से रोका जाना चाहिए, जिनको लेकर चलने पर प्रतिबन्ध हो या जिनका उत्तेजना के क्षणों में दुरुपयोग किया जा सकता हो।

(4) प्रत्येक उम्मीदवार या राजनैतिक दल को किसी अन्य उम्मीदवार या दल के नेताओं के पुतले लेकर चलने या उन्हें किसी सार्वजनिक स्थान में जलाए जाने तथा इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शन का आयोजन करने से अपने कार्यकर्ताओं को रोकना चाहिए।

## 3. शासन और संस्थाओं के वाहनों आदि के चुनाव प्रचार में उपयोग पर प्रतिबन्ध:—

शासन सहित सार्वजनिक उपक्रमों/प्राधिकरणों, स्थानीय निकायों, सहकारी संस्थाओं, कृषि उपज मंडियों या शासन से अनुदान अथवा अन्य सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाओं के वाहनों, विमानों एवं अन्य संसाधनों (जैसे कि टेलीफोन, फैक्स) अथवा कर्मचारियों का उपयोग किसी राजनैतिक दल या उम्मीदवार के हित को आगे बढ़ाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे वाहनों आदि को उनके नियंत्रण अधिकारियों द्वारा निर्वाचन की घोषणा की तारीख से निर्वाचन समाप्त होने की तारीख तक, मंत्रिगण, संसद सदस्यों, विधान सभा सदस्यों, पंचायतों के पदाधिकारियों या उम्मीदवारों को उपलब्ध नहीं कराया जाना चाहिए।

## भाग-दो—शासकीय विभागों एवं कर्मचारियों के लिए

1. निर्वाचन की घोषणा की तारीख से निर्वाचन समाप्त होने तक राज्य सरकार के किसी भी विभाग या उपक्रम द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित न किया जाए, जिससे चुनाव के सम्यक् संचालन में व्यवधान उपस्थित हो (जैसे कि कर्मचारियों के स्थानांतरण) या चुनाव की शुचिता और निष्पक्षता प्रभावित हो जैसे कि किसी क्षेत्र या वर्ग के मतदाताओं को लाभान्वित करने की दृष्टि से कोई सुविधा या छूट देना या किसी नयी योजना (स्कीम) या कार्य के लिए स्वीकृति जारी करना।

2. शासकीय कर्मचारियों को चुनाव में बिलकुल निष्पक्ष रहना चाहिए, जनता को उनकी निष्पक्षता का विश्वास होना चाहिए तथा उन्हें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे ऐसी आशंका भी हो कि वे किसी दल या उम्मीदवार की मदद कर रहे हैं।

3. चुनाव के दौरे के समय यदि कोई मंत्री निजी मकान पर आयोजित किसी कार्यक्रम का आमंत्रण स्वीकार कर लें तो किसी शासकीय कर्मचारी को उसमें शामिल नहीं होना चाहिए, यदि कोई निमंत्रण पत्र प्राप्त हो तो उसे नप्रतापूर्वक अस्वीकार कर देना चाहिए।

4. किसी सार्वजनिक स्थान पर चुनाव सभा के आयोजन हेतु अनुमति देते समय विभिन्न उम्मीदवारों या राजनैतिक दलों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, यदि एक ही दिन और समय पर, एक से अधिक उम्मीदवार या दल एक ही जगह पर सभा करना चाहते हों तो उस उम्मीदवार या दल को अनुमति दी जानी चाहिए जिसने सबसे पहले आवेदन-पत्र दिया है।

5. विश्राम गृहों या अन्य स्थानों में शासकीय आवास सुविधा का उपयोग सभी राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों को उन्हीं शर्तों पर करने दिया जाना चाहिए जिन शर्तों पर उनका उपयोग सत्ताधारी दल को करने की अनुमति दी जाती है। परन्तु किसी भी दल या उम्मीदवार को ऐसे भवन या उसके परिसर का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

6. (1) साधारणतः चुनाव के समय जो भी आम सभा आयोजित की जाए उसे चुनाव संबंधी सभा माना जाना चाहिए और उस पर कोई शासकीय व्यय नहीं किया जाना चाहिए, ऐसी सभा में उन कर्मचारियों को छोड़कर जिन्हें ऐसी सभा या आयोजन में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने या सुरक्षा के लिए तैनात किया गया हो, अन्य कर्मचारियों को शामिल नहीं होना चाहिए।

(2) यदि कोई मंत्री चुनाव के दौरान जिले के किसी पंचायत क्षेत्र का भ्रमण करें (जहां कि चुनाव होने वाले हों) तो ऐसा भ्रमण चुनावी दौरा माना जाना चाहिए और उसमें सुरक्षा के लिए तैनात कर्मचारियों को छोड़कर अन्य किसी शासकीय कर्मचारी को साथ नहीं रहना चाहिए, ऐसे दौरे के लिए शासकीय वाहन या अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जानी चाहिए।

7. निर्वाचन की घोषणा की तारीख से निर्वाचन समाप्त होने तक मंत्रिगण या संसद सदस्यों या विधान सभा सदस्यों द्वारा किसी पंचायत क्षेत्र में, जहां कि चुनाव होने वाले हों, स्वेच्छानुदान राशि, जनसम्पर्क निधि या क्षेत्र विकास राशि में से कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए और न ही किसी सहायता या अनुदान का आश्वासन दिया जाना चाहिए, इस अवधि के दौरान किसी योजना का शिलान्यास या उद्घाटन भी नहीं किया जाना चाहिए।

8. चुनाव के दौरान समाचार-पत्रों तथा प्रचार के अन्य माध्यमों से, सरकारी खर्चे पर ऐसे विज्ञापन जारी नहीं किए जाने चाहिए जिनमें सत्ताधारी दल की उपलब्धियों को प्रचारित या रेखांकित किया गया हो या जिनसे सत्ताधारी दल को अपने दलीय हितों को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती हो।

## भाग-तीन—त्रिस्तरीय पंचायतों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए

**नोट:**—इस भाग में पंचायत से अभिप्राय, यथास्थिति, जिला पंचायत, जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायत से है।

1. पंचायत कर्मचारियों को चुनाव के दौरान अपना कार्य पूर्ण निष्पक्षता से करना चाहिए और ऐसा कोई आचरण और व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे यह आभास हो कि वे किसी दल या उम्मीदवार की मदद कर रहे हैं।

2. निर्वाचन की घोषणा से निर्वाचन समाप्त होने तक:—

- (i) पंचायत के अधीन कोई नियुक्ति या स्थानान्तरण नहीं किया जाना चाहिए;
- (ii) पंचायत क्षेत्र में किसी भी नए भवन का निर्माण या मौजूदा भवन में संवर्धन या परिवर्तन की अनुज्ञा नहीं दी जानी चाहिए;
- (iii) पंचायत क्षेत्र में किसी प्रकार के व्यवसाय या वृत्ति के लिए अनुमति नहीं दी जानी चाहिए;
- (iv) पंचायत क्षेत्र में किसी नई योजना या कार्य के लिए स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए; वर्तमान सुविधाओं के विस्तार या उन्नयन का कोई कार्य (जैसे किसी-किसी सड़क को चौड़ा करना या डामरीकृत करना या उसमें खड़ंजे बिछाना; नालियों को पक्का करना; नल-जल योजना का विस्तार करना; नये हैंडपंप लगाना, नयी स्ट्रीट लाइट लगाना आदि) स्वीकृत या प्रारंभ नहीं किया जाना चाहिए. पहले से स्वीकृत किसी योजना का कार्य जिसमें निर्वाचन की घोषणा होने तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ हो, प्रारंभ नहीं किया जाना चाहिए और किसी योजना का शिलान्यास या उद्घाटन नहीं किया जाना चाहिए.
- (v) किसी संगठन या संस्था को, किसी कार्यक्रम के आयोजन के लिए कोई सहायता या अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए.
- (vi) पंचायत के खर्च पर ऐसा कोई विज्ञापन या पैम्पलेट जारी नहीं किया जाना चाहिए जिसमें पंचायत की उपलब्धियों को प्रचारित या रेखांकित किया गया हो या जिससे किसी उम्मीदवार के पक्ष में मतदाताओं को प्रभावित करने में सहायता मिलती हो.
- (vii) पंचायतों के माध्यम से क्रियान्वित किये जाने वाले, परिवार या व्यक्तिमूलक आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों (जैसे कि रोजगार/व्यवसाय के लिए सहायता, सिंचाई स्रोत या आवास के निर्माण के लिए सहायता, निराश्रित पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन आदि) के अन्तर्गत नये हितग्राहियों का चयन नहीं किया जाना चाहिए.

3. किसी प्राकृतिक प्रकोप या दुर्घटना को छोड़कर, जिसमें कि प्रभावित लोगों को तत्काल राहत पहुंचाना आवश्यक हो, निर्वाचन की घोषणा से लेकर निर्वाचन समाप्त होने तक की अवधि के दौरान पंचायत के किसी पदधारी (जैसे कि अध्यक्ष/उपाध्यक्ष आदि) के क्षेत्रीय भ्रमण को चुनावी दौरा माना जाना चाहिए और ऐसे दौरे में पंचायत के किसी कर्मचारी को उनके साथ नहीं रहना चाहिए और न ही शासन अथवा पंचायत के वाहन या अन्य सुविधा का उपयोग किया जाना चाहिए.

#### भाग-चार—प्रेक्षक

(1) राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से प्रेक्षक नियुक्त किए जाते हैं। निर्वाचनों के संचालन के संबंध में अभ्यर्थियों या उनके अधिकारियों को कोई विशिष्ट शिकायत या समस्या हो तो वे उसकी सूचना प्रेक्षक को दे सकेंगे।

(2) शासकीय विश्राम भवन निर्वाचन आयोग के प्रेक्षकों/पदाधिकारियों को प्रथम प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराए जायेंगे। जब किसी विश्राम भवन में आयोग के प्रेक्षक रुके हों तब उसमें किसी राजनीतिक दल से संबंधित किसी व्यक्ति को कक्ष आवंटित नहीं किए जायेंगे।

(गोपाल शरण शुक्ल)  
राज्य निर्वाचन आयुक्त, मध्यप्रदेश.

भोपाल :  
दिनांक . . . अक्टूबर 2004

### प्रेक्षकों की सूची

क्र. (1)	संभाग (2)	जिला (3)	प्रेक्षक का नाम एवं पद (4)
1	चंबल	1. मुरैना 2. श्योपुर 3. भिण्ड	श्री एस. पी. गुप्ता, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) श्री बी. के. सिंह, उपसचिव, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, भोपाल. श्री ए. डी. मोहिले, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त)
2	ग्वालियर	4. ग्वालियर 5. शिवपुरी 6. दतिया 7. गुना 8. अशोकनगर	श्री अजीत के. श्रीवास्तव, वन संरक्षक, कार्य आयोजना, जबलपुर श्री अखिलेन्दु अरजरिया, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) श्री ए. एन. तिवारी, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) श्री अशोक शिवहरे, सचिव, राजस्व मण्डल, ग्वालियर श्री पुष्कर सिंह, वन संरक्षक, कार्य आयोजना, ग्वालियर श्री एल. के. चौबे, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त)
3	उज्जैन	9. मंदसौर 10. नीमच 11. रतलाम 12. शाजापुर 13. उज्जैन 14. देवास	श्रीमती सूरज डामोर, अपर आयुक्त, इन्दौर एवं उज्जैन संभाग श्री के. सी. गुप्ता, अपर वाणिज्यिक कर आयुक्त, इन्दौर श्री जे. एन. पाण्डे, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) श्री बी. के. व्यास, अपर आबकारी, आयुक्त, ग्वालियर श्री अजय शंकर, वन संरक्षक, अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र, रतलाम
4	भोपाल	15. राजगढ़ 16. सीहोर 17. विदिशा 18. भोपाल 19. रायसेन 20. बैतूल	श्रीमती दीपाली रस्तोगी, उपसचिव, लोक निर्माण विभाग श्री बसन्त के. सिंह, वन संरक्षक, अनुसंधान विस्तार केन्द्र, रीवा श्री के. एल. जैन, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) श्रीमती शिखा दुबे, आयुक्त सह अनुसूचित जाति कल्याण, भोपाल श्री एस. बी. शुक्ला, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) श्री ए. जी. खरे, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त)
5	होशंगाबाद	21. होशंगाबाद 22. हरदा	श्री सुरेन्द्र सिंह राजपूत, वन संरक्षक, कार्य आयोजना, उज्जैन
6	इन्दौर	23. झाबुआ 24. इन्दौर 25. धार 26. खरगोन 27. बड़वानी 28. खण्डवा 29. बुरहानपुर	श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, वन संरक्षक, अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र, खण्डवा श्री बी. सी. रावत, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) श्री के. डी. मेहरा, वन संरक्षक, अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र, खण्डवा श्री आलोक कुमार, वन संरक्षक, कार्य आयोजना, खण्डवा डॉ. आर. के. शुक्ला, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) श्री पंकज श्रीवास्तव, वन संरक्षक, कार्य आयोजना, इन्दौर
7	सागर	30. टीकमगढ़ 31. छतरपुर 32. पन्ना 33. सागर 34. दमोह	श्री एस. सी. पाठक, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) श्री एस. डी. शुक्ला, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) श्री पी. जी. खर, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) श्री सुरेश जैन, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) श्री बी. के. कटेला, अपर आयुक्त, जबलपुर एवं रीवा संभाग मुख्यालय, जबलपुर
8	जबलपुर	35. जबलपुर 36. कटनी 37. नरसिंहपुर 38. छिन्दवाड़ा 39. सिवनी 40. मण्डला 41. डिण्डोरी 42. बालाघाट	श्री मोती सिंह, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) श्री आर. बी. सिंहा, वन संरक्षक, कार्य आयोजना, बालाघाट श्री रमेश कुमार गुप्ता, वन संरक्षक, कार्य आयोजना, छिन्दवाड़ा श्री दिम्बर सिंह, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) श्री टी. डी. गौरखेडे, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) श्री डी. पी. दुबे, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) श्री डी. न्ही. दुबे, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) श्री रवि श्रीवास्तव, मुख्य वन संरक्षक, एस.एफ.आर.आई., जबलपुर
9	रीवा	43. रीवा 44. सतना 45. शहडोल 46. अनूपपुर 47. उमरिया 48. सीधी	श्री प्रभांशु कमल, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) श्री एम. सी. जयप्रकाशनारायण, वन संरक्षक, अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र, ग्वालियर श्री एस. के. सिंह, वन संरक्षक, आर.ई.सी., भोपाल श्री चन्द्रकान्त पाटिल, भू वन संरक्षक, कार्य आयोजना, शहडोल श्री टी. आर. शर्मा, मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश लघु वनोपज, भोपाल श्री के. डी. मिश्रा, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त)

परिशिष्ट-चौबीस

## पंचायत निर्वाचन 2004-05


## सविरोध निर्वाचन वाले स्थानों (सीटों) और उनमें निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या

क्र.	पंचायत का प्रकार	पद	कुल स्थानों (सीटों) की संख्या		स्थान जिनके लिए नाम निर्वाचन-पत्र दाखिल नहीं किए गए / खारिज हो गए	स्थान जो निर्वाचन से भरे गए	सविरोध निर्वाचन		स्थान जिनके लिए निर्वाचन प्रत्यादिष्ट/स्थगित किए गए	स्थान जिनके लिए निर्वाचन सम्पन्न हुए/अर्थात् परिणाम घोषित किए गए	स्थानों की संख्या जिनमें न्यायालय या आयोग के किसी स्थगन आदेश के कारण निर्वाचन नहीं कराए गए
			(4)	(5)			(6)	(7)			(11)
(1)	(2)	(3)									(10)
1	ग्राम पंचायत	1. पंच, ग्राम पंचायत*	3,60,954	16,996	2,06,557	1,37,300	3,50,931	17	3,43,857	72	
		2. सरपंच, ग्राम पंचायत*	22,731	126	814	21,782	1,32,250	1	22,596	7	
2	जनपद पंचायत	3. सदस्य जनपद पंचायत	6,811	2	133	6,675	41,819	-	6,808	1	
3	जिला पंचायत	4. सदस्य, जिला पंचायत	836	-	5	831	7,319	-	836	-	
			3,91,332	17,124	2,07,509	1,66,588	5,32,319	18	3,74,097	80	

\* जिला उमरिया में 01 सरपंच तथा इसी ग्राम पंचायत के 12 वार्डों के पंच हेतु मतदाताओं द्वारा मतदान का बहिष्कार किया।

## मतदान केन्द्र की आंतरिक व्यवस्था

(एक दरवाजे वाले कमरे के लिए)



## मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल

## आदेश

भोपाल, दिनांक 24 दिसंबर 2004

क्र. एफ-51-2-2004-तीन-1917.—संविधान के अनुच्छेद 243-ट एवं मध्यप्रदेश, पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम, 57 (1-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों के निर्वाचन में मतदाताओं की पहचान स्थापित करने हेतु यह निर्देश देता है कि पीठासीन अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी मतदाता से उसकी पहचान स्थापित करने हेतु निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा :—

- (1) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदाय किया गया मतदाता पहचान-पत्र,
- (2) भू-अधिकार एवं त्रृण पुस्तिका,
- (3) पीला राशन कार्ड (काम के बदले अनाज योजनात्तर्गत जारी),
- (4) नीला राशन कार्ड (गरीबी रेखा के नीचे हितग्राहियों हेतु जारी),
- (5) राशन कार्ड,
- (6) बैंक / किसान / डाकघर पासबुक,
- (7) शस्त्र लाइसेंस,
- (8) सम्पत्ति दस्तावेज जैसे पट्टा, रजिस्ट्रीकृत विलेख आदि,
- (9) विकलांगता प्रमाण-पत्र,
- (10) निराश्रित प्रमाण-पत्र,
- (11) तेंदूपत्ता संग्राहक पहचान-पत्र,
- (12) सहकारी समिति का अंश प्रमाण-पत्र,
- (13) किसान क्रेडिट कार्ड,
- (14) पासपोर्ट,
- (15) ड्राइविंग लाइसेन्स,
- (16) आयकर पहचान-पत्र (पी. ए. एन. कार्ड),
- (17) राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले सेवा पहचान-पत्र,
- (18) छात्र पहचान-पत्र,
- (19) सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी अ.जा./ अ.ज.जा/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ अधिवासी प्रमाण-पत्र,
- (20) पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/ पेंशन अदायगी आदेश/ भूतपूर्व सैनिक विधवा/ आश्रित प्रमाण-पत्र,
- (21) रेलवे पहचान-पत्र,
- (22) स्वतंत्रता सेनानी पहचान-पत्र.

उपरोक्त सूची में दर्शाए गए अभिलेखों के अतिरिक्त पीठासीन अधिकारी ऐसा कोई अन्य अभिलेख भी स्वीकार कर सकेगा जिससे वह मतदाता की पहचान के संबंध में संतुष्ट हो सके।

यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर दर्शाए गए किसी दस्तावेज, जो परिवार के मुखिया के पास ही उपलब्ध होता है, की परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिए अनुमति दी जाएगी। इसी प्रकार से परिवार के किसी दूसरे सदस्य के नाम से कोई दस्तावेज अन्य सदस्यों की पहचान के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है, बशर्ते ऐसे दस्तावेज के आधार पर दूसरे सदस्यों की पहचान की जा सकती हो।

2. यदि कोई मतदाता कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो पीठासीन अधिकारी स्थानीय कोटवार, पटवारी, शिक्षक, ग्राम पटेल, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी, सहायिका इत्यादि कर्मियों या किसी प्रतिष्ठित स्थानीय निवासी से उसकी पहचान स्थापित कराने के उपरांत, उसे मतपत्र प्रदान कर सकेगा।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता/-

(अरुण तिवारी )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

पंचायत निर्वाचन 2004-05  
मतदाताओं की संख्या व मतदान का प्रतिशत

क्र. (1)	जिला (2)	मतदाताओं की संख्या			मतदान का प्रतिशत		
		पुरुष (3)	महिला (4)	योग (5)	पुरुष (6)	महिला (7)	योग (8)
1	मुरैना	4,06,827	3,28,026	7,34,853	88.20	88.00	88.10
2	श्योपुर	1,55,562	1,39,095	2,94,657	84.91	80.60	82.76
3	भिण्ड	4,49,454	3,00,718	7,50,172	70.00	65.00	67.50
4	ग्वालियर	2,34,203	1,97,464	4,31,667	82.08	80.48	81.28
5	शिवपुरी	3,85,945	3,31,275	7,17,220	85.10	81.27	83.19
6	दतिया	1,62,175	1,61,217	3,23,392	87.75	84.78	86.27
7	गुना	2,41,857	2,13,881	4,55,738	84.07	76.71	80.39
8	अशोकनगर	1,94,196	1,67,816	3,62,012	84.10	78.23	81.17
9	मंदसौर	3,05,495	2,94,232	5,99,727	87.99	82.49	84.74
10	नीमच	1,82,773	1,55,182	3,37,955	87.08	84.00	85.54
11	रतलाम	2,55,221	2,52,122	5,07,343	87.04	82.44	84.74
12	शाजापुर	3,42,253	3,22,374	6,64,627	89.00	83.00	86.00
13	उज्जैन	3,46,980	3,20,566	6,67,546	77.72	72.87	75.30
14	देवास	3,00,184	2,84,040	5,84,224	65.79	62.84	64.32
15	राजगढ़	3,38,747	3,19,376	6,58,123	82.41	74.95	78.68
16	विदिशा	3,17,213	2,73,430	5,90,643	85.31	78.29	81.80
17	सीहोर	2,77,787	2,55,269	5,33,056	86.31	82.70	84.51
18	भोपाल	1,22,696	1,11,639	2,34,335	42.10	37.21	39.66
19	रायसेन	3,01,007	2,63,078	5,64,085	72.00	67.00	69.50
20	बैतूल	3,50,339	3,33,167	6,83,506	79.10	74.21	76.66
21	होशंगाबाद	2,46,986	2,25,820	4,72,806	78.16	72.19	75.18
22	हरदा	1,19,605	1,09,194	2,28,799	76.52	73.13	74.83
23	झावुआ	3,78,330	3,78,005	7,56,335	68.95	64.49	66.72
24	इंदौर	2,44,929	2,28,351	4,73,280	81.88	78.29	70.09
25	धार	4,37,405	4,31,785	8,69,190	79.60	75.38	77.49
26	खरगोन	4,20,945	4,07,659	8,28,604	80.39	79.09	79.74

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
27	बड़वानी	2,69,567	2,67,554	5,37,121	50.18	49.81	50.00
28	खण्डवा	2,67,756	2,60,391	5,28,147	80.50	76.25	78.38
29	बुरहानपुर	1,21,015	1,15,155	2,36,170	80.88	78.51	79.70
30	टीकमगढ़	3,38,804	3,03,645	6,42,449	81.46	76.46	78.96
31	छतरपुर	4,13,219	3,49,551	7,62,770	74.96	70.23	72.60
32	पन्ना	2,50,473	2,16,982	4,67,455	68.00	62.00	65.00
33	सागर	4,91,186	4,23,228	9,14,414	82.35	75.11	78.73
34	दमोह	2,98,022	2,71,670	5,69,692	84.04	75.74	79.89
35	जबलपुर	3,85,804	2,43,345	6,29,149	80.00	83.00	81.50
36	कटनी	2,72,997	2,58,223	5,31,220	87.10	75.16	81.13
37	नरसिंहपुर	2,73,608	2,46,852	5,20,460	84.82	79.69	82.26
38	छिंदवाड़ा	4,71,636	4,60,282	9,31,918	83.09	79.18	81.14
39	सिवनी	3,45,536	3,25,327	6,70,863	80.71	78.65	79.68
40	मण्डला	2,62,517	2,58,261	5,20,778	74.24	73.90	74.07
41	डिण्डोरी	1,79,011	1,79,950	3,58,961	82.00	81.00	81.50
42	बालाघाट	4,43,354	4,49,038	8,92,392	73.44	75.58	74.51
43	रीवा	5,62,856	5,19,559	10,82,415	71.49	70.96	71.23
44	सतना	4,94,418	4,64,775	9,59,193	82.09	79.03	80.56
45	शहडोल	2,22,801	2,14,529	4,37,330	74.40	72.06	73.23
46	अनूपपुर	1,74,772	1,73,802	3,48,574	80.41	79.50	79.96
47	उमरिया	1,32,665	1,22,457	2,55,122	69.84	65.61	67.73
48	सीधी	4,72,661	4,35,170	9,07,831	76.00	63.00	69.50
योग . .		1,46,63,792	1,33,64,527	2,80,28,319	78.64	74.58	76.61

पंचायत निर्वाचन 2004-05

## बलात् कब्जा, बलवा या हिंसा तथा प्रक्रिया संबंधी त्रुटि से प्रभावित मतदान केन्द्रों की संख्या

क्र.	जिला	बलवा या हिंसा के कारण कुछ देर मतदान में व्यवधान हुआ परन्तु स्थिति नियंत्रित कर लिए जाने/सामान्य हो जाने पर मतदान ठीक से सम्पन्न हो गया (मतदान केन्द्रों की संख्या)	बलवा या हिंसा के कारण मतदान जारी रखना संभव नहीं हुआ और उसे स्थगित करना पड़ा तथा स्थगित मतदान को पूरा करने के लिए नियम 71 के अन्तर्गत शेष मतदाताओं के लिए (बाद में) पुनः मतदान करना पड़ा (मतदान केन्द्रों की संख्या)	बलवा या हिंसा या त्रुटि पर बलात् कब्जा किया जाने के कारण मतदान विकृत हो गया और इसलिए नियम 72 के अन्तर्गत नए सिरे से पुनः मतदान करना पड़ा (मतदान केन्द्रों की संख्या)	प्रक्रिया संबंधी गम्भीर त्रुटि के कारण मतदान स्थगित करना पड़ा और नियम 72 के अन्तर्गत नए सिरे से पुनः मतदान का आयोजन करना पड़ा (मतदान केन्द्रों की संख्या)	पुनर्मतदान के मामले में कुल प्रकरणों की संख्या (4+5+6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	मुरैना	-	-	25	-	25
2	श्योपुर	-	-	-	-	-
3	भिण्ड	-	-	54	-	54
4	ग्वालियर	-	-	-	-	-
5	शिवपुरी	-	-	5	5	10
6	दतिया	-	-	6	1	7
7	गुना	-	-	4	-	4
8	अशोकनगर	-	-	11	-	11
9	मंदसौर	-	-	1	-	1
10	नीमच	-	-	-	-	-
11	रतलाम	-	-	-	3	3
12	शाजापुर	-	-	-	-	-
13	उज्जैन	-	-	1	-	1
14	देवास	-	-	-	-	-
15	राजगढ़	-	-	3	-	3
16	विदिशा	-	-	-	2	2
17	सीहोर	-	-	-	-	-
18	भोपाल	-	-	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19	रायसेन	-	-	7	-	7
20	बैतूल	-	-	2	-	2
21	होशंगाबाद	-	-	-	-	-
22	हरदा	-	-	-	-	-
23	झावुआ	-	-	1	-	1
24	इन्दौर	-	-	-	-	-
25	धार	-	-	-	-	-
26	खरगोन	-	-	1	-	1
27	बड़वानी	-	-	-	1	1
28	खण्डवा	-	-	-	1	1
29	बुरहानपुर	-	-	-	2	2
30	टीकमगढ़	-	-	54	3	57
31	छतरपुर	-	4	1	3	8
32	पन्ना	-	-	-	12	12
33	सागर	-	-	31	-	31
34	दमोह	-	-	-	-	-
35	जबलपुर	-	-	-	-	-
36	कटनी	-	-	-	-	-
37	नरसिंहपुर	5	1	-	4	5
38	छिंदवाड़ा	-	-	-	2	2
39	सिवनी	-	-	-	2	2
40	मण्डला	-	-	-	-	-
41	डिण्डोरी	-	-	-	1	1
42	बालाघाट	-	-	-	4	4
43	रीवा	5	-	9	3	12
44	सतना	-	-	2	2	4
45	शहडोल	-	-	-	1	1
46	अनूपपुर	-	-	-	-	-
47	उमरिया	-	-	2	4	6
48	सोधी	-	1	-	-	1
योग . .		12	6	220	56	282

परिशिष्ट-उनतीस

पंचायत निर्वाचन 2004-05

**भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं तथा मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकारी  
(निर्वाचन अपराध) अधिनियम, 1964 के अन्तर्गत कायम फौजदारी प्रकरणों की संख्या**

क्र. (1)	जिला (2)	हत्या		हत्या का प्रयास (प्रकरणों की संख्या) (5)	चुनाव सामग्री को लूट या चुनावों में बाधा (प्रकरणों की संख्या) (6)	मारपीट (प्रकरणों की संख्या) (7)
		प्रकरण की संख्या (3)	मृतकों की संख्या (4)			
1	मुरैना	-	-	-	6	-
2	श्योपुर	-	-	-	-	-
3	भिण्ड	-	-	-	-	-
4	ग्वालियर	-	-	-	-	-
5	शिवपुरी	-	-	2	8	1
6	दतिया	-	-	-	4	1
7	गुना	-	-	-	6	2
8	अशोकनगर	-	-	-	-	-
9	मंदसौर	-	-	-	1	-
10	नीमच	-	-	-	-	-
11	रतलाम	-	-	-	-	-
12	शाजापुर	-	-	-	-	-
13	उज्जैन	-	-	-	1	-
14	देवास	-	-	-	-	-
15	राजगढ़	-	-	-	2	13
16	विदिशा	-	-	-	-	-
17	सीहोर	-	-	-	-	-
18	भोपाल	-	-	-	-	-
19	रायसेन	-	-	-	5	5
20	बैतूल	-	-	6	2	4
21	होशंगाबाद	-	-	-	-	-
22	हरदा	-	-	-	-	-
23	झाबुआ	-	-	-	-	2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
24	इन्दौर	-	-	-	4	4
25	भार	-	-	-	2	1
26	ग्वराने	-	-	-	1	-
27	कडवानी	-	-	-	-	-
28	खण्डवा	-	-	-	-	-
29	बुरहानपुर	-	-	-	-	-
30	टीकमगढ़	-	-	-	50	1
31	छतरपुर	-	-	-	-	-
32	पन्ना	-	-	-	-	-
33	सागर	-	-	3	14	4
34	दमोह	-	-	-	-	-
35	जबलपुर	-	-	-	-	-
36	कटनी	-	-	-	-	1
37	नरसिंहपुर	-	-	3	4	-
38	छिंदवाड़ा	-	-	-	-	-
39	सिवनी	-	-	-	-	-
40	मण्डला	-	-	-	-	-
41	डिण्डोरी	-	-	-	-	-
42	बालाघाट	-	-	-	-	-
43	रीचा	-	-	-	14	-
44	सतना	-	-	-	-	-
45	शहडोल	-	-	-	-	-
46	अनूपपुर	-	-	-	-	-
47	उमरिया	-	-	-	2	3
48	सोधी	-	-	-	-	-
योग . .		0	0	14	126	57

पंचायत निर्वाचन 2004-05  
**प्रतिस्लपण ( फर्जी ) मतदान के प्रकरणों की संख्या**  
(जिनमें धारा 171-एफ-भा.द.वि. के अन्तर्गत पुलिस को रिपोर्ट भेजी गई )

परिशिष्ट-तीस

क्र. (1)	जिला (2)	फर्जी मतदान के प्रकरणों की संख्या (3)
1	मुरैना	-
2	श्यामपुर	2
3	भिण्ड	1
4	ग्वालियर	-
5	शिवपुरी	-
6	दतिया	-
7	गुना	-
8	अशोकनगर	2
9	मंदसौर	-
10	नीमच	-
11	रतलाम	-
12	शाजापुर	-
13	उज्जैन	-
14	देवास	-
15	राजगढ़	-
16	विदिशा	-
17	सोहार	-
18	भोपाल	-
19	रायसेन	-
20	बैंगल	-
21	होशगावाद	-
22	हरदा	-
23	झावुआ	-
24	इन्दौर	-
25	धार	-
26	खरगोन	-
27	बड़वानी	-
28	खण्डका	-
29	बुरहानपुर	-
30	टीकमगढ़	5
31	छतरपुर	-
32	पन्ना	1
33	सागर	-
34	दमोह	-
35	जबलपुर	-
36	कटनी	-
37	नरसिंहपुर	-
38	छिंदवाड़ा	-
39	सिवनी	-
40	मण्डला	-
41	डिण्डोरी	-
42	बालाघाट	-
43	रीवा	2
44	सतना	-
45	शहडोल	-
46	अनूपपुर	-
47	उमरिया	-
48	सीधी	-

परिशिष्ट-इकतीस

## पंचायत निर्वाचन 2004-05

मतदान केन्द्रों की संख्या जिनकी मतगणना मौके पर/जनपद/तहसील/खण्ड/मुख्यालय पर की गई

क्र.	जिला	मतदान केन्द्रों की कुल संख्या	जिन मतदान केन्द्रों पर मतगणना की गई उन मतदान केन्द्रों की संख्या	मतदान केन्द्रों की संख्या जिनकी मतगणना खण्ड/जनपद/तहसील मुख्यालय में की गई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	मुरैना	1,676	-	1,676
2	श्योपुर	611	125	486
3	भिण्ड	1,605	-	1,605
4	ग्वालियर	922	695	227
5	शिवपुरी	1,457	-	1,457
6	दतिया	814	-	814
7	गुना	1,013	875	138
8	अशोकनगर	811	305	506
9	मंदसौर	1,363	1,363	-
10	नीमच	701	701	-
11	रतलाम	1,103	1,099	4
12	शाजापुर	1,603	1,575	28
13	उज्जैन	1,534	1,529	5
14	देवास	1,240	1,240	-
15	राजगढ़	1,416	1,080	336
16	सोहोर	1,186	1,156	30
17	विदिशा	1,395	1,186	209
18	भोपाल	530	521	9
19	रायसेन	1,099	543	556
20	बैतूल	1,480	1,455	25
21	होशंगाबाद	1,043	-	1,043
22	हरदा	526	491	35
23	झावुआ	1,588	791	797
24	इन्दौर	1,108	738	370
25	धार	1,908	1,872	36
2	खरगौन	1,709	1,704	5
2	बड़वानी	986	869	117

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
28	खण्डवा	1,074	1,074	-
29	बुरहानपुर	482	482	-
30	टीकमगढ़	1,314	334	980
31	पन्ना	970	807	163
32	छतरपुर	1,554	1,499	55
33	सागर	1,962	970	992
34	दमोह	1,089	808	281
35	जबलपुर	1,337	1,309	28
36	कटनी	988	984	4
37	नरसिंहपुर	1,134	1,126	8
38	छिंदवाड़ा	1,959	1,959	-
39	सिवनी	1,678	1,600	78
40	मण्डला	1,091	1,086	5
41	डिण्डोरी	721	706	15
42	बालाधाट	1,884	1,873	11
43	रीवा	2,398	735	1,663
44	सतना	2,149	2,143	6
45	शहडोल	1,045	1,045	-
46	अनूपपुर	835	834	1
47	उमरिया	671	440	231
48	सीधी	1,841	1,784	57
योग ..		60,603	45,511	15,092

परिशिष्ट-बत्तीस

पंचायत निर्वाचन 2004-05  
अभ्यर्थियों का प्रतिशत जिनकी जमानत जप्त हुई

क्रमांक (1)	पंचायत का प्रकार (2)	पद (3)	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या (4)	जमानत खोने वाले अभ्यर्थियों की संख्या (5)	कुल अभ्यर्थियों की तुलना में जमानत खोने वाले अभ्यर्थियों का प्रतिशत (6)
1	ग्राम पंचायत	1. पंच	3,50,931	28,513	8.12
		2. सरपंच	1,32,250	73,170	55.32
2	जनपद पंचायत	3. सदस्य	41,819	24,150	57.74
3	जिला पंचायत	4. सदस्य	7,319	5,035	68.79
		योग . .	5,32,319	1,30,868	24.58

परिशिष्ट-तीसरी

पंचायत निर्वाचन 2004-05  
त्रि-स्तरीय पंचायतों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

क्र.	पंचायत का प्रकार	पद	निर्वाचित महिलाओं की संख्या								
			अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य पिछड़ा वर्ग		सामान्य		
			आरक्षित स्थानों से	अन्य स्थानों से	आरक्षित स्थानों से	अन्य स्थानों से	आरक्षित स्थानों से	अन्य स्थानों से	आरक्षित स्थानों से	अन्य स्थानों से	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	ग्राम पंचायत	पंच	18,843	858	34,272	1,124	23,107	8,887	46,790	983	
		सरपंच	1,082	82	2,583	225	1,418	385	2,515	104	
2	जनपद पंचायत	सदस्य	350	53	628	73	451	176	839	57	
3	जिला पंचायत	सदस्य	46	10	72	8	60	34	110	11	
	योग . .		20,321	1,003	37,555	1,430	25,036	9,482	50,254	1,155	

परिशिष्ट-चौंतीस

पंचायत निर्वाचन 2004-05  
त्रि-स्तरीय पंचायतों में आरक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व

क्र. प्रकार	पंचायत का पद	(3)	आरक्षित वर्गों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या (महिलाओं सहित)					
			अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य पिछड़ा वर्ग	
			आरक्षित स्थानों से	अन्य स्थानों से	आरक्षित स्थानों से	अन्य स्थानों से	आरक्षित स्थानों से	अन्य स्थानों से
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	ग्राम पंचायत	पंच	55,407	2,219	1,01,852	3,566	64,765	34,846
		सरपंच	3,210	144	7,739	339	4,217	2,389
2	जनपद पंचायत	सदस्य	1,041	54	1,846	57	1,333	802
3	जिला पंचायत	सदस्य	130	17	211	16	179	92
	योग . .		59,788	2,434	1,11,648	3,978	70,494	38,129

पंचायत निर्वाचन 2004-05  
पंचायत निर्वाचन 2005 से संबंधित शिकायतें

परिशिष्ट-पैंतीस

क्र.	जिला	मतदाता सूची में गड़बड़ी	स्थानान्तरण का उल्लंघन	आचार संहिता का उल्लंघन	शासकीय कार्मचारियों निर्वाचन में भागीदारी	निर्वाचन कार्यक्रमों में पक्षपात-पूर्ण कृत्य	मतदाताओं को डराना/उपहार देना/धार्मिक भावनाओं को भड़काना	आक्षेप-कारी पोस्टरों का उपहार देना/धार्मिक भावनाओं को भड़काना	प्रतिद्वन्द्वी के पोस्टरों का फाइना मुद्रण	मतगणना में गड़बड़ी/शिकायत की सुनवाई न करना/अभद्र व्यवहार करना	अन्य विविध	कुल योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	इन्दौर	6	1	5	-	-	-	-	-	7	9	28
2	धर	-	1	3	1	-	2	-	-	6	6	19
3	खरौन	3	-	3	3	1	0	-	-	7	16	33
4	बड़वानी	4	-	4	-	1	1	-	-	2	6	18
5	झावुआ	-	1	4	5	-	2	-	-	10	18	40
6	खण्डवा	2	-	-	2	2	1	-	-	3	11	21
7	बुरहानपुर	2	-	1	1	1	-	-	-	3	3	11
8	उज्जैन	4	1	2	-	-	-	-	-	13	8	28
9	देवास	7	1	2	-	-	1	-	-	4	6	21
10	रतलाम	2	2	2	1	2	-	-	-	2	2	13
11	शाजापुर	1	1	3	2	2	-	-	-	5	11	25
12	मन्दसूर	-	1	2	1	3	1	-	-	20	10	38
13	नीमच	2	-	-	-	-	-	-	-	1	5	8
14	ग्वालियर	6	1	1	1	-	-	-	-	5	16	30
15	शिवपुरी	5	1	2	-	9	3	-	-	15	24	59
16	गुना	14	-	-	2	3	7	-	-	8	14	48
17	अशोकनगर	-	3	3	3	-	1	-	-	12	21	43
18	दतिया	20	-	9	2	4	1	-	-	7	32	75
19	मुरैना	5	4	3	2	3	2	-	-	20	62	101
20	झोप्पुर	2	2	2	2	2	0	-	-	2	14	26
21	भिण्ड	12	9	29	-	-	42	-	-	54	70	216
22	रीवा	40	28	24	9	8	5	-	-	61	130	305
23	शहडोल	12	-	9	9	1	3	-	-	27	32	93
24	अनूपपुर	2	3	2	1	-	3	-	-	8	4	23
25	उमरिया	3	2	3	4	-	4	-	-	6	9	31
26	सीधी	22	5	1	10	2	5	-	1	12	76	134
27	सतना	31	7	6	6	3	1	-	-	81	63	198
28	सागर	12	1	16	1	-1	8	-	-	48	43	130
29	दमोह	8	3	3	4	7	8	-	-	13	22	68
30	पन्ना	19	2	32	3	4	1	-	-	4	34	99
31	छतरपुर	13	6	8	3	3	2	-	-	17	44	96
32	टीकमगढ़	13	6	5	21	-	13	-	-	40	80	178
33	भोपाल	4	1	5	5	2	4	1	-	20	15	57
34	सीहोर	7	-	8	-	-	2	-	-	10	19	46
35	रायसेन	5	2	1	5	-	0	-	-	12	29	54
36	राजगढ़	4	4	4	-	1	2	-	-	8	20	43
37	विरिशा	9	1	3	7	4	5	-	-	18	39	86
38	बैतूल	2	-	3	2	2	1	-	1	20	36	67
39	होशगाबाद	1	1	2	4	3	2	-	-	10	16	39
40	हरदा	3	-	7	-	2	3	-	-	7	8	30
41	जबलपुर	2	2	4	2	2	4	-	-	1	11	28
42	कटनी	10	5	4	4	3	4	-	-	10	17	57
43	नरसिंहपुर	5	1	5	3	2	3	-	-	17	32	68
44	छिन्दवाड़ा	-	-	3	-	-	2	-	-	15	12	32
45	सिवनी	10	4	1	9	1	7	-	-	4	14	50
46	मण्डला	2	2	2	2	-	3	-	-	4	3	18
47	डिण्डोरी	1	2	3	-	2	-	-	-	12	16	36
48	बालाघाट	4	1	7	-	-	2	-	-	3	9	26

योग . . . 341 118 251 142 86 161 1 2 694 1,197 2,993

परिशिष्ट-छत्तीस

**पंचायत निर्वाचन 2004-05**  
**पंचायत निर्वाचन के दौरान प्राप्त शिकायतों का विवरण**  
**(माह मई, 2006 तक की स्थिति)**

क्र.	जिला	शिकायतें जिन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी को		प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या	निराकृत प्रकरण	प्रचलित प्रकरण
		आवश्यक कार्यवाही	जांच प्रति- वेतन के लिए			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ग्वालियर	6	24	30	21	9
2	शिवपुरी	19	40	59	34	25
3	दतिया	22	53	75	66	9
4	गुना	12	36	48	39	9
5	उज्जैन	4	24	28	22	6
6	मन्दसौर	6	32	38	34	4
7	नीमच	1	7	8	8	0
8	रतलाम	3	10	13	12	1
9	शाजापुर	6	19	25	25	0
10	देवास	4	17	21	12	9
11	भोपाल	12	45	57	39	18
12	रायसेन	7	47	54	39	15
13	राजगढ़	4	39	43	17	26
14	सीहोर	11	35	46	30	16
15	बैतूल	9	58	67	44	23
16	विदिशा	10	76	86	52	34
17	होशंगाबाद	11	28	39	17	22
18	अशोकनगर	9	34	43	17	26
19	हरदा	6	24	30	26	4
20	झाबुआ	8	32	40	30	10
21	इन्दौर	9	19	28	12	16
22	धार	5	14	19	9	10
23	बुरहानपुर	1	10	11	7	4
24	खरगौन	6	27	33	33	0
25	खण्डवा	1	20	21	8	13
26	बड़वानी	6	12	18	10	8
27	सागर	51	79	130	110	20
28	टीकमगढ़	28	150	178	118	60
29	जबलपुर	5	23	28	18	10
30	छतरपुर	10	86	96	54	42
31	दमोह	5	63	68	56	12
32	कटनी	12	45	57	34	23
33	सिवनी	4	46	50	33	17

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
34	ਮणਡਲਾ	6	12	18	18	0
35	ਡਿੱਡੋਰੀ	4	32	36	24	12
36	ਨਰਸਿੰਹਪੁਰ	4	64	68	25	43
37	ਛਿੰਦਵਾੜਾ	4	28	32	24	8
38	ਰੇਵਾ	47	258	305	81	224
39	ਸਤਨਾ	18	180	198	116	82
40	ਸ਼ਹਡੋਲ	16	77	93	46	47
41	ਅਨੂਪਪੁਰ	5	18	23	16	7
42	ਤਮਰਿਆ	8	23	31	19	12
43	ਸੀਧੀ	30	104	134	90	44
44	ਪਨਾ	17	82	99	22	77
45	ਬਾਲਾਬਾਟ	5	21	26	26	0
46	ਮੁਰੈਨਾ	26	75	101	77	24
47	ਸ਼ਧੌਪੁਰ	8	18	26	16	10
48	ਭਿੰਡ	34	182	216	180	36
ਯੋਗ . .		545	2,448	2,993	1,866	1,127

## पंचायत आम निर्वाचन 2004-05

परिशिष्ट-सैतीस

## शासकीय कर्मचारियों द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन बाबत् निलम्बन/संलग्नीकरण की जानकारी

क्र.	जिला	निलम्बन	संलग्नीकरण कारण बताओ	वेतनवद्धि		अन्य प्रस्ताव	कुल
				नोटिस	रोकना		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	इन्दौर	-	-	-	-	-	0
2	धार	-	-	-	-	-	0
3	खरगौन	2	1	12	1	1 अनुशासनात्मक कार्यवाही	17
4	बड़वानी	1	1	2	-	-	4
5	झावुआ	3	6	-	-	-	9
6	खण्डवा	-	-	-	-	-	0
7	बुरहानपुर	-	-	-	-	1 शासन द्वारा सचेत किया गया	1
8	उज्जैन	-	-	-	-	-	0
9	देवास	-	-	-	-	-	0
10	रतलाम	-	-	-	-	-	0
11	शाजापुर	19	9	28	-	-	56
12	मन्दसौर	-	4	-	-	1 कर्मचारी के विशुद्ध सम्पत्ति विरुद्ध अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही 1 अधिकारी की अनाधिकृत अनुपस्थिति को डायजनोन.	6
13	नीमच	2	1	-	-	-	3
14	ग्वालियर	-	-	-	-	-	0
15	शिवपुरी	-	-	-	-	-	0
16	गुना	-	-	-	-	1 अनुशासनात्मक कार्यवाही	1
17	अशोकनगर	-	-	-	-	-	0
18	दतिया	6	15	-	-	मुख्यालय छोड़ने से प्रतिबंधित-1	22
19	मुरैना	2	1	-	-	-	3
20	श्योपुर	-	-	-	-	-	0
21	भिण्ड	2	-	-	-	-	2
22	रीवा	5	19	-	-	1 सेवा से पृथक	25
23	शहडोल	-	-	-	-	-	0
24	अनूपपुर	1	-	-	-	2 परिनिन्दा शास्ति	3
25	उमरिया	-	-	-	-	1 अनुशासनात्मक कार्यवाही	1
26	सीधी	4	5	-	-	-	9
27	सतना	-	-	-	1	-	1
28	सागर	8	6	-	-	-	14
29	दमोह	6	-	-	-	-	6
30	पन्ना	3	15	-	-	-	18
31	छतरपुर	5	8	-	-	-	13
32	टीकमगढ़	22	-	-	-	-	22

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
33	भोपाल	-	-	-	-	-	0
34	सीहोर	-	-	-	-	-	0
35	रायसेन	3	1	-	-	-	4
36	राजगढ़	2	-	-	-	-	2
37	विदिशा	-	6	-	-	-	6
38	बैतूल	2	-	-	-	-	2
39	होशंगाबाद	-	-	-	-	-	0
40	हरदा	-	-	-	-	-	0
41	जबलपुर	-	-	-	-	-	0
42	कटनी	2	14	-	1	-	17
43	नरसिंहपुर	1	1	-	-	-	2
44	छिन्दवाड़ा	-	2	-	-	-	2
45	सिवनी	2	-	-	-	-	2
46	मण्डला	-	-	-	-	-	0
47	डिण्डोरी	3	10	7	-	-	20
48	बालाघाट	3	1	-	-	-	4
योग . .		109	126	49	3	10	297

परिशिष्ट-अड़तीस

**पंचायत आम चुनाव 2004-2005 में हुए व्यय का मदवार विवरण**  
**( नवगठित पंचायतों के निर्वाचन सहित )**

क्र.	जिले का नाम	मतदाता सूची की तैयारी पर व्यय	निर्वाचन के संचालन पर व्यय										कुल योग
			22-कार्यालय व्यय	21-यात्रा भत्ता 007-लेखन सामग्री एवं फार्म	22-कार्यालय व्यय 001-यात्रा भत्ता दौरा आदि पर	24-परीक्षा प्रशिक्षण एवं फार्म	31-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगिण्या	34-सामग्री एवं पूर्तियां	51-अन्य प्रभार				
			22-कार्यालय व्यय	भत्ता 007-लेखन सामग्री एवं फार्म	प्रशिक्षण 002-प्रशिक्षण	004-विशेष सेवाओं के लिये मानदेव	007-परिवहन व्यवस्था	004-राशन का मूल्य/ धोजन व्यय	009-अन्य मतदान केन्द्रों पर आकस्मिक व्यय				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
1	मुरैना	3,71,901	57,541	7,91,237	6,46,246	10,16,363	15,86,553	4,33,470	-	3,20,887	52,24,198		
2	श्योपुर	1,00,000	15,000	2,20,750	0	5,62,350	7,49,827	1,22,250	50,000	1,28,900	19,49,077		
3	भिण्ड	4,04,636	24,400	7,87,514	0	18,11,250	9,47,050	3,25,680	0	3,29,652	46,30,182		
4	खालियर	1,60,729	6,402	5,27,081	2,06,528	6,68,472	8,71,081	1,47,450	0	7,08,198	32,95,941		
5	शिवपुरी	3,04,313	78,000	7,42,550	3,59,296	13,16,254	22,12,470	2,49,450	0	2,35,019	54,97,352		
6	दतिया	2,09,636	55,756	8,81,501	1,86,816	6,42,154	14,09,422	2,63,400	1,40,535	34,746	38,23,966		
7	गुना	2,85,889	14,500	4,45,496	2,34,528	7,47,692	13,17,347	2,50,950	65,340	93,300	34,55,042		
8	अशोकनगर	2,11,359	16,091	5,47,120	2,93,292	7,38,889	8,87,712	1,93,829	43,940	2,31,282	31,63,514		
9	मंदसौर	3,37,586	46,464	4,33,632	0	13,16,039	11,98,079	3,18,350	0	1,32,215	37,82,365		
10	नीमच	1,90,700	5,980	6,25,448	0	5,74,965	5,78,203	1,78,550	0	70,037	22,23,883		
11	रतलाम	2,75,479	32,000	6,51,849	1,69,360	6,94,844	5,34,599	29,000	0	98,585	24,85,716		
12	शाजापुर	2,15,996	46,987	3,86,190	0	18,44,600	21,45,229	4,01,000	1,45,135	20,658	52,05,795		
13	उज्जैन	3,23,234	26,787	6,71,008	3,77,176	13,96,585	9,25,012	3,42,178	1,00,696	36,750	41,99,426		
14	देवास	1,45,845	43,974	3,25,665	2,91,648	8,49,798	11,37,153	3,10,000	0	1,10,118	32,14,201		
15	राजगढ़	58,799	97,706	11,02,253	0	17,53,869	12,29,016	3,54,000	9,800	1,82,847	47,88,290		
16	सीहोर	3,14,291	7,000	9,12,364	0	14,96,933	10,78,994	2,23,500	0	5,92,525	46,25,607		
17	विदिशा	1,58,735	14,993	3,55,984	3,25,200	14,10,297	11,93,351	1,74,275	0	56,047	36,88,882		
18	भोपाल	97,499	2,000	1,58,304	0	5,50,000	4,62,541	0	0	14,823	12,85,167		
19	रायसेन	2,50,167	9,966	4,29,241	4,27,935	10,18,393	9,88,068	0	0	1,26,452	32,50,222		
20	बैतूल	3,95,839	20,850	4,07,922	4,10,453	12,77,747	15,94,396	3,67,000	0	63,183	45,37,390		
21	होशंगाबाद	315,593	29,155	3,00,439	2,47,225	5,66,760	9,94,923	2,54,400	0	16,003	27,24,498		
22	हरदा	82,687	2,883	1,62,709	0	5,63,284	4,27,107	6,587	0	76,803	13,22,060		
23	झाबुआ	8,85,762	39,613	2,00,050	0	18,76,428	13,82,968	4,23,374	0	3,38,237	51,46,432		
24	इन्दौर	4,00,773	0	3,87,405	0	9,26,907	8,51,659	2,13,540	0	15,289	27,95,573		
25	धार	2,80,046	12,870	6,45,156	0	16,29,424	12,73,262	4,59,250	0	20,120	43,20,128		
26	खरगोन	4,09,190	26,828	5,26,733	0	18,52,730	11,81,920	4,27,250	0	1,90,013	46,14,664		
27	बड़वानी	3,11,149	11,946	1,89,584	12,800	10,94,800	7,34,823	2,38,000	0	2,96,164	28,89,266		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
28	खण्डवा	2,54,646	12,427	3,96,173	0	12,50,900	7,47,427	0	0	37,406	26,98,979
29	बुरहानपुर	1,38,239	4,992	2,99,004	91,494	2,89,846	4,51,513	1,20,500	0	1,45,697	15,41,285
30	टीकमगढ़	1,70,297	4,786	2,99,956	3,68,500	9,16,500	10,27,674	2,65,000	0	5,35,294	35,88,007
31	छतरपुर	20,98,547	66,978	68,024	0	17,77,900	18,99,039	1,65,972	0	1,92,085	62,68,545
32	पन्ना	1,76,848	7,449	5,66,039	4,85,215	6,33,714	14,84,167	2,42,900	0	1,00,900	36,97,232
33	सामर	4,17,749	25,209	5,81,804	7,27,437	23,03,420	11,60,950	2,57,500	0	3,43,930	58,17,999
34	दमोह	3,22,598	61,749	2,64,051	3,10,092	10,54,551	7,38,057	3,00,250	0	1,07,460	31,58,808
35	जबलपुर	4,21,286	36,304	11,75,473	0	16,13,123	14,71,780	3,36,050	0	1,95,636	52,49,652
36	कटनी	3,25,231	20,524	5,79,668	2,36,320	5,77,499	13,76,063	1,23,750	1,70,349	3,28,489	37,37,893
37	नरसिंहपुर	2,15,978	13,694	4,19,415	3,07,794	9,43,800	10,53,723	1,62,438	6,260	1,24,382	32,47,484
38	छिंदवाड़ा	3,86,705	15,870	9,66,861	5,72,680	18,69,490	12,72,569	2,45,125	0	4,25,820	57,55,120
39	सिवनी	1,85,010	25,565	8,05,711	0	16,66,092	15,94,043	3,48,700	0	2,06,769	48,31,890
40	मण्डला	3,11,256	7,231	4,08,599	2,41,256	7,67,455	13,49,557	2,03,800	0	91,511	33,80,665
41	डिण्डोरी	2,03,745	12,618	4,05,233	0	7,75,000	7,93,200	0	0	63,815	22,53,611
42	बालाघाट	5,30,082	75,454	9,35,429	0	21,66,600	24,21,090	4,71,000	0	1,88,400	67,88,055
43	रीचा	6,32,561	69,267	14,01,176	5,85,636	13,52,367	31,06,367	4,87,511	0	2,11,068	78,45,953
44	सतना	5,36,689	73,000	12,00,462	3,48,138	13,83,497	19,08,710	2,70,377	0	1,88,936	59,09,809
45	शहडोल	2,81,240	18,363	8,11,607	3,76,200	7,10,897	13,54,295	3,21,485	0	3,90,345	42,64,432
46	अनुपपुर	3,63,790	13,803	4,88,785	2,47,598	5,67,408	11,10,403	1,79,400	0	1,77,208	31,48,395
47	उमरिया	1,28,429	25,000	3,86,322	0	6,99,439	5,55,128	1,34,200	0	59,200	19,87,718
48	सीधी	5,26,977	26,341	11,56,769	6,44,978	11,51,811	21,18,142	4,68,500	0	2,99,300	63,92,818
49	शा. प्रेस	-	-	4,33,08,215	-	-	-	-	-	-	4,33,08,215
50	मुख्यालय	0	0	3,31,70,319	0	5,92,314	39,772	0	2,56,025	26,21,481	3,66,79,911
योग . .		1,61,25,736	13,62,316	10,39,10,280	97,31,841	5,52,61,450	5,89,26,434	1,18,11,191	9,88,080	1,15,73,985	26,96,91,313

### आयोग के प्रकाशन

- (1) पंचायत निर्वाचन नियम 1995-सितम्बर 2004 की स्थिति में.
  - (2) स्थानीय निकायों के निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम, फरवरी-2004 (पंचायत एवं नगरपालिका हेतु एक समान).
  - (3) मतदाता सूची तैयार करने के संबंध में निर्देश पुस्तिका, मई 2004.
  - (4) मतदाता सूची तैयार करने हेतु नियुक्त प्राधिकृत कर्मचारियों के लिये निर्देश पुस्तिका, मई-2004.
  - (5) पंचायत मतदाता सूची मुद्रण कराए जाने के संबंध में निर्देश, मई-2004.
  - (6) निर्वाचन संदर्शिका अक्टूबर-2004.
  - (7) पंचों, सरपंचों तथा जनपद पंचायत सदस्यों के मतपत्रों का जिला स्तर पर मुद्रण कराये जाने के संबंध में निर्देश, जुलाई-2004.
  - (8) पीठासीन अधिकारियों के लिए मार्गदर्शिका जून-2004.
  - (9) आयोग के प्रेक्षकों के लिये निर्देश, (पंचायत एवं नगरपालिका चुनाव हेतु एक समान) जुलाई-2004.
  - (10) अभ्यर्थियों के लिए मार्गदर्शिका, अक्टूबर-2004.
  - (11) मतदान अभिकर्ताओं की मार्गदर्शिका, अक्टूबर-2004.
  - (12) गणन अभिकर्ताओं की मार्गदर्शिका, अक्टूबर-2004.
  - (13) आदर्श आचरण संहिता—2004 (उम्मीदवारों, शासकीय विभागों और कर्मचारियों के लिए).
  - (14) पंचायत निर्देशों का संकलन, अक्टूबर-2004.
-